



पूर्वाञ्चल खेती

किसान मेला एवं स्थापना दिवस विशेषांक

वर्ष : 33

अक्टूबर 2023

अंक : 10



ब्रोफ्रेया[®] बदलाव की बूंद

जो दे उम्मीद से बेहतर



अनूठी एवं
नवीन कार्यविधि



खेत से सीधे
रसोई तक



क्रॉस स्पेक्ट्रम
गतिविधि



पूरी सुरक्षा



ट्रांसलैमिनर क्रिया



अनोखी क्यू.पी.
टेक्नोलॉजी



PI Industries Ltd

Customer Care No.:- 1800 208 1008, E-mail :-customer@piind.com

प्रसार निदेशालय

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कुमारगंज, अयोध्या 224 229 (उ.प्र.)

बस्ती दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. बस्ती



आपका हार्दिक स्वागत
एवं अभिनंदन करता है।

पूर्वाञ्चल खेती

किसान मेला एवं स्थापना दिवस विशेषांक



प्रसार निदेशालय

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कुमारगंज, अयोध्या 224 229 (उ.प्र.)



introducing...

राजेश भोग

चक्की आटा



राजेश भोग का 1581 नम्बर का

अब आएगा खाने में असली स्वाद



Customer Care no. 03 888 22 1284 info@rajeshmasala.com www.rajeshmasala.com



पूर्वाञ्चल खेती

किसान मेला विशेषांक

वर्ष 33

अक्टूबर 2023

अंक 10

संरक्षक

डॉ. बिजेन्द्र सिंह

कुलपति

प्रधान सम्पादक

डॉ. आर. आर. सिंह

अपर निदेशक प्रसार

तकनीकी सम्पादक

डॉ. शैलेश कुमार सिंह

वरिष्ठ वैज्ञानिक/अध्यक्ष

डॉ. अनिल कुमार

सहायक प्राध्यापक, प्रक्षेत्र प्रबन्ध

सम्पादक मण्डल

डॉ. वी. पी. चौधरी

सहायक प्राध्यापक, पादप रोग

डॉ. पंकज कुमार

सहायक प्राध्यापक, कीट विज्ञान

सम्पादक

उमेश पाठक

मोबाइल नं. 9415720306

इस पत्रिका में प्रकाशित लेख एवं विचार लेखक के निजी हैं। प्रकाशक/सम्पादक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है

विषय सूची

पूर्वी उत्तर प्रदेश मे बिना जुताई गेहूं की अधिक उत्पादन प्रौद्योगिकी	01
आर0 आर0 सिंह, शिवम गुप्ता एवं पी0के0मिश्रा	
फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबन्ध हेतु कृषि मशीनीकरण:	06
आर0आर0 सिंह, एस0के0 सिंह एवं आर0 के0 सिंह	
जौ की वैज्ञानिक खेती	11
संजीत कुमार, आर0 आर0 सिंह एवं मनोज कुमार	
तोरिया एवं सरसों की बीज उत्पादन तकनीक	15
सर्वजीत, प्रदीप एवं ओम प्रकाश	
मसूर का एकीकृत फसल प्रबंधन	20
संदीप कुमार, आर0 के0 सिंह एवं सोमेन्द्र नाथ	
राजमा की वैज्ञानिक खेती	25
राम लखन सिंह एवं पी. के. मिश्रा	
पौष्टिकता एवं अधिक आय का श्रोत-ब्रोकली की खेती	29
डॉ. एस.के. वर्मा, डॉ. सियाराम एवं श्वेता वर्मा	
उन्नत मशीनों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन	34
नीरज कुमार सिंह, शैलेन्द्र सिंह एवं बी. पी. शाही	
मूल्यवर्धन/प्रसंस्करण : आय का साधन	39
एस0 के0 तोमर, शैलेश कुमार सिंह एवं मनोज कुमार	
भारतीय कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक की उपयोगिता	45
संदीप कुमार पाण्डेय, प्रमोद कुमार मिश्रा एवं डी. के. सिंह	
टमाटर के प्रमुख कीट, रोग एवं उनका नियंत्रण	51
हिमांशु शेखर सिंह एवं डा. वी.पी. सिंह	
श्रीअन्न (मिलेट्स) के मूल्यवर्धक प्रसंस्कृत उत्पाद	56
रेखा, प्रदीप एवं रामजीत	
जलकृषि की नवीनतम तकनीक:	63
बायोफ्लॉक तकनीक द्वारा मछली पालन	
ज्ञानदीप गुप्ता, पी0 के0 मिश्रा, ए0 एस0 वत्स	
बकरी पालन में टीकाकरण का महत्व	67
नरेंद्र रघुवंशी, श्रीप्रकाश सिंह एवं नवीन कुमार सिंह	
एपीडा (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) उत्तर प्रदेश में	70
सी. बी. सिंह	
अक्टूबर माह में किसान भाई क्या करें	74
प्रश्न किसानों के, जवाब वैज्ञानिकों के	77

प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में स्थापित विभिन्न कृषि विज्ञान/ज्ञान केन्द्र एवं अनुसंधान केन्द्र

क्र. सं. कृषि विज्ञान केन्द्र	वरिष्ठ वैज्ञानिक/अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी	दूरभाष कार्यालय	मोबाइल	
1.	वाराणसी	डॉ. नरेन्द्र रघुवंशी	05542-248019	9415687643
2.	बस्ती	डॉ. एस.एन. सिंह	05498-258201	9450547719
3.	बलिया	डॉ. संजीत कुमार	—	9837839411
4.	अयोध्या	डॉ. विनायक शाही	05278-254522	8755011086
5.	मऊ	डॉ. वी.के. सिंह	0547-2536240	8005362591
6.	चंदौली	डॉ. एस. पी. सिंह	0541-2260595	9458362153
7.	बहराइच	डॉ. के.एम. सिंह	05252-236650	9307015439
8.	गोरखपुर	डॉ. सतीश कुमार तोमर	—	9415155518
9.	आजमगढ़	डॉ. डी.के. सिंह	—	9456137020
10.	बाराबंकी	डॉ. शैलेश कुमार सिंह	—	9455501727
11.	महाराजगंज	डॉ. डी. पी. सिंह	—	7839325836
12.	जौनपुर	डॉ. सुरेश कुमार कनौजिया	—	9984369526
13.	सिद्धार्थनगर	डॉ. ओम प्रकाश	05541-241047	9452489954
14.	सोनभद्र	डॉ. पी. के. सिंह	—	9415450175
15.	बलरामपुर	डॉ. एस. के. वर्मा	—	9450885913
16.	अम्बेडकरनगर	डॉ. रामजीत	—	9918622745
17.	संतकबीरनगर	डॉ. अरविन्द सिंह	—	9415039117
18.	अमेठी	डॉ. रतन कुमार आनन्द	—	9838952621
19.	बहराइच (नानपारा)	डॉ. शशिकान्त यादव	—	9415188020
20.	मनकापुर-गोण्डा	डॉ. पी.के. मिश्रा प्रभारी	—	9936645112
21.	बरासिन-सुल्तानपुर	डॉ. वी.पी. सिंह	—	9839420165
22.	अभिहित-जौनपुर	डॉ. आर.के. सिंह	—	9452990600
23.	गाजीपुर	डॉ. आर. सी. वर्मा	—	9411320383
24.	श्रावस्ती	डॉ. विनय कुमार	—	—
25.	आजमगढ़ द्वितीय	डॉ. एल.सी. वर्मा	—	7376163318

विश्वविद्यालय के कृषि ज्ञान केन्द्र

क्र.सं. कृषि विज्ञान केन्द्र	प्रभारी अधिकारी/	मोबाइल	दूरभाष कार्यालय	
1.	अमेठी	डॉ. आर. आर. सिंह	9450938866	—
2.	गोण्डा	डॉ. आर. आर. सिंह	9450938866	—
3.	देवरिया	डॉ. आर. आर. सिंह	9450938866	—
4.	गाजीपुर	डॉ. आर. आर. सिंह	9450938866	—

विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्र

क्र.सं. कृषि अनुसंधान केन्द्र	प्रभारी अधिकारी/	मोबाइल	दूरभाष कार्यालय	
1.	मसौधा, फैजाबाद	डॉ. डी. के. द्विवेदी	7706884188	05278-254153
2.	तिसुही, मिर्जापुर	डॉ. पी. के. सिंह	9415450175	05442-284263
3.	बसुली, महाराजगंज	डॉ. डी. पी. सिंह	9451430507	—
4.	घाघरा घाट, बहराइच	डॉ. महेन्द्र सिंह	9026289336	0525-235205
5.	बड़ा बाग, गाजीपुर	डॉ. सी. पी. सिंह	9628631637	—
6.	बहराइच	डॉ. महेन्द्र सिंह	8787289358	0548-223690

सूर्य प्रताप शाही

मंत्री

कृषि, कृषि शिक्षा एवं
कृषि अनुसंधान विभाग,
उत्तर प्रदेश



कार्यालय दूरभाष/फैक्स : 2239247

सी.एच. : 2213256

कार्यालय कक्ष संख्या 69-70


मुख्य भवन

दिनांक :

सन्देश

कृषि के महत्व को देखते हुए पूर्वी प्रदेश में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाये रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या दिनांक-10 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया जिसके द्वारा कृषि शिक्षा, शोध के साथ-साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों जैसे कि धान, गेहूँ, तिलहन, दलहन व फलों में आंवला, बेल एवं सब्जियों में लौकी, टमाटर, मटर आदि की 200 से अधिक उन्नत प्रजातियों व विभिन्न तकनीकी विकसित की गयी हैं। विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीण नवयुवकों को कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके स्वरोजगार अपनाने हेतु भी प्रेरित किया है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय किसान मेला दिनांक 10-11 अक्टूबर, 2023 को आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय "पूर्वांचल खेती मेला विशेषांक" का प्रकाशन भी कर रहा है। मेरी शुभेच्छा है कि मेले में प्रतिभाग करने वाले सभी किसान, सरकारी, निजी संस्थायें, एफ.पी.ओ. व छात्र-छात्रायें अपनी सक्रिय सहभागिता से कृषि के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाये। राज्य स्तरीय किसान मेला के सफल आयोजन एवं "पूर्वांचल खेती मेला विशेषांक" के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनायें।


(सूर्य प्रताप शाही)

बलदेव सिंह औलख
राज्य मंत्री
कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश सचिवालय
8, नवीन भवन, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2238171 (का०)

दिनांक :

संदेश

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय युवाओं को कृषि विज्ञान की विभिन्न विधाओं विशेषकर खेतीबाड़ी, ग्रामीण विकास, ग्रामीण उद्योग तथा व्यापार एवं अन्य संबंधित विषयों जैसे-पशुपालन, उद्यान, गृह विज्ञान, मत्स्य पालन एवं कृषि अभियंत्रण में कृषकों/ग्रामवासियों को जागरूक तथा शिक्षित बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के विभिन्न संकायों/विभागों द्वारा विकसित नवीन कृषि तकनीकों को विभिन्न प्रसार केन्द्रों जैसे कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय शोध केन्द्रों के माध्यम से प्रसार कार्यो जैसे-प्रदर्शन, प्रशिक्षण, परीक्षण, किसान मेला, गोष्ठी व सामयिक साहित्य द्वारा कृषकों तक पहुँचाना। विश्वविद्यालय की शोध उपलब्धियों को विभिन्न योजनाओं तथा विभिन्न जनपदों में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों/कृषि ज्ञान केन्द्रों द्वारा संबंधित जनपदों में कृषकों की समस्याओं के आधार पर कार्य योजना तैयार कर नवीनतम तकनीकी का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य स्तरीय किसान मेला दिनांक 10-11 अक्टूबर, 2023 को आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय पूर्वान्चल खेती मेला विशेषांक का प्रकाशन भी कर रहा है। मेरी शुभेच्छा है कि मेले में प्रतिभाग करने वाले सभी किसान सरकारी निजी संस्थायें यफ0पी0ओ0 व छात्र-छात्रायें अपनी सक्रिय सहभागिता से कृषि के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाये। राज्य स्तरीय किसान मेला के सफल आयोजन के लिये मैं अपनी हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ।

भवदीय

(बलदेव सिंह औलख)

डॉ. बिजेन्द्र सिंह
कुलपति
Dr. Bijendra Singh
Vice-Chancellor




आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कुमारगंज, अयोध्या - 224 229 (उ.प्र.), भारत
Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology
Kumarganj, Ayodhya - 224 229 (U.P.) India



संदेश

कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाये रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 03 विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, 10 अक्टूबर, 1975 को स्थापित किया गया। जिसके द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय युवाओं को कृषि विज्ञान की विभिन्न विधाओं विशेषकर खेतीबाड़ी, ग्रामीण विकास, ग्रामीण उद्योग तथा व्यापार एवं अन्य सम्बन्धित विषयों में उच्च शिक्षा, तत्संबन्धित विषयों पर शोध तथा प्राविधिकी का विस्तार एवं कृषकों / ग्रामीणों को जागरुक तथा शिक्षित बनाने का कार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों / विभागों द्वारा विकसित नवीन कृषि तकनीकों को विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय शोध केन्द्रों के माध्यम से प्रसार कार्यों (प्रदर्शन, प्रशिक्षण, परीक्षण, किसान मेला, गोष्ठी व सामयिक साहित्य) द्वारा कृषकों तक पहुँचाया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा विगत 49 वर्षों में विकसित खाद्यान्न, फलों, सब्जियों एवं मसालों की प्रजातियाँ महज पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन् समूचे प्रदेश, देश एवं विदेश में किसानों व बागवानों के बीच लोकप्रिय है। विश्वविद्यालय ने अपने 49वें स्थापना दिवस की यात्रा तक अपनी स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति करते हुए कृषि विकास में नये कीर्तिमान भी स्थापित किया है। अपने 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 10-11 अक्टूबर, 2023 को राज्य स्तरीय किसान मेला एवं उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय पूर्वान्चल खेती मेला विशेषांक का प्रकाशन भी कर रहा है।

मेरी शुभेच्छा है कि मेले में प्रतिभाग करने वाले सभी किसान, सरकारी, निजी संस्थाएँ, एफ.पी.ओ. व छात्र-छात्राएँ अपनी सक्रिय सहभागिता से कृषि के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ायें। **राज्य स्तरीय किसान मेला** के सफल आयोजन के लिये मैं अपनी हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ।


(बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति

डॉ. आर. आर. सिंह
अपर निदेशक प्रसार



आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कुमारगंज, अयोध्या-224 229 (उ.प्र.), भारत
टेलीफैक्स : 05270-262821
फैक्स : 05270-262821

संपादकीय

प्रसार निदेशालय द्वारा विश्वविद्यालय के 49वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय किसान मेला एवं उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विशेषांक के रूप में मासिक कृषि पत्रिका पूर्वांचल खेती का प्रकाशन किया जा रहा है। विशेषांक के रूप में पत्रिका के इस अंक के प्रिय पाठकों के लिये उपयोगी बनाने की दृष्टि से परम्परागत फसलों के साथ-साथ कृषि आधारित आय सम्वर्धन एवं कृषि में भविष्य की चुनौतियों विशेषरूप से रसायन मुक्त व गुणवत्तायुक्त कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए विकसित नवीनतम तकनीकों, पैकेजिंग, विपणन व निर्यात आदि पर आधारित लेख प्रस्तुत हैं। आशा है कि पत्रिका की पाठ्य सामग्री हमारे किसान भाइयों, ग्रामीण नवयुवकों, प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के अवसर पर मैं सभी आगन्तुकों व पत्रिका के पाठकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।


(आर.आर. सिंह)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिना जुताई गेहूं की अधिक उत्पादन प्रौद्योगिकी

आर० आर० सिंह, शिवम गुप्ता एवं पी०के०मिश्रा

जनसंख्या वृद्धि के साथ ही फसलों की पैदावार बढ़ाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। प्राप्त आकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 तक हमारी जनसंख्या लगभग 130 से 135 बिलियन हो जाने की संभावना है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही फसलों की पैदावार बढ़ाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए हमें लगभग 105 से 109 मैट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता होगी। अतः हमें गेहूं का उत्पादन वर्तमान उत्पादन से बढ़ाना होगा। इस बढ़ी हुई गेहूं की मांग को हमें उत्पादकता बढ़ाकर पूरा करना होगा क्योंकि क्षेत्रफल के बढ़ने की संभावना नहीं के बराबर है। आने वाले समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं रबी मौसम की मुख्य फसल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह फसल लगभग 32 लाख हेक्टेयर भूमि में उगाई जाती है। यहां की उत्पादकता पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में काफी कम है। इस क्षेत्र में गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं। धान कटाई के उपरान्त हैपी सीडर, सुपर सीडर एवं जीरो टिलेज तकनीकी अपनाकर समय के साथ गेहूं को बोने से पहले खेत को तैयार करने के लिए 5 से 6 बार जुताई में लगने वाले समय व डीजल की बचत के साथ गेहूं की बोआई उचित समय, दूरी, गहराई, बीज की मात्रा व बीज के साथ उर्बरक का प्रयोग की वजह से फसल की उपज अधिक होगी और अच्छी गुणवत्ता के साथ उत्पादन लागत भी कम होगा।

जीरो टिलेज तकनीक की परिभाषा:

वैसे तो जीरो टिलेज का शब्दिक अर्थ है शून्य-भूपरिष्करण जो कि व्यावहारिक दृष्टि से असंभव है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने यह निर्धारण किया कि यदि यंत्र द्वारा भू-सतह का 25 प्रतिशत से कम क्षेत्र का विखराव होता है या यूँ कह सकते हैं कि भूमि के साथ ज्यादा छेड़-छाड़ न करके बोआयी करें तो जीरो टिल तकनीक कहते हैं। जब इसका उपयोग सीड कम फर्टी ड्रिल में होता है तो उसे हैपी सीडर, सुपर सीडर एवं जीरो टिलेज सीड कम फर्टी ड्रिल

कहते हैं। वास्तव में यह एक चीरा लगाने की विधि है, जिससे भूमि में अंग्रेजी के यू आकार का चीरा बनता है क्योंकि स्लिट ओपेनर का अग्र भाग प्लेट नुमा होता है। यही कारण है कि यह मशीन कम्बाइन से कटे धान के 5-50 सेमी लम्बे टूटों में भी कुशलता से चलती है तथा 4-5 सेमी गहराई में खाद-बीज की निश्चित मात्रा में बोआई होती है तथा हैपी सीडर एवं सुपर सीडर के अग्र भाग में टूटों को प्रबन्ध करने के लिए यान्त्रिक व्यवस्था की गयी है।

हैपी सीडर, सुपर सीडर एवं जीरो टिलेज टिलेज क्यों और कैसे:

पिछले कई वर्षों से राज्य में 10 जनवरी से पहले गेहूं की बोआई नहीं हो पाई है, जबकि नवंबर व दिसम्बर में गेहूं की बोआई का उचित समय होता है परन्तु गेहूं की बोआई में देरी होने तथा बीज व उर्बरक का प्रयोग भी छिटकवा बिधि से करने की वजह से फसल की उपज कम होती है और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। शोध में पाया गया कि आमतौर पर गेहूं को बोने से पहले खेत को तैयार करने के लिए 5 से 6 बार जुताई करने की जरूरत होती है। इससे भी गेहूं की बुआई में देरी हो जाती है जिस वजह से अगर गेहूं की बोआई 10 दिसम्बर के बाद की जाती है तो अच्छी लागत के बाद भी प्रति हेक्टेयर 30-35 किलोग्राम गेहूं की पैदावार कम होती है। आज के समय में गेहूं की खेती करते समय किसान भाई यदि भूमि के साथ ज्यादा छेड़-छाड़ न करके बुआयी करे या यूँ कह सकते हैं कि जुताई अगर जीरो के बराबर करके करें तो अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जीरो जुताई से गेहूं की बुआई एक अनोखी तकनीक है जिसको हैपी सीडर, सुपर सीडर एवं जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन द्वारा किया जाता है। इस मशीन से किसान भाई अपने खरीफ फसलों की कटाई करके तुरन्त पलेवा करके गेहूं की बोआई सीधे खेत में कर सकते हैं। इस तकनीकी से समय के साथ गेहूं को बोने से पहले खेत को तैयार करने के लिए 5 से 6 बार जुताई में लगने वाले समय व डीजल की बचत के साथ गेहूं की बोआई का उचित समय, दूरी, गहराई, बीज की

मात्रा व बीज के साथ उर्बरक का प्रयोग की वजह से फसल की उपज अधिक होती है और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है तथा उत्पादन लागत भी कम होता है। वैज्ञानिक तौर पर यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि धान-गेहूं फसल चक्र वाले क्षेत्रों में यह मशीन पूरी तरह उपयोगी पायी गयी है तथा कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।

हैपी सीडर, सुपर सीडर एवं जीरो टिलेज कर्हों

जहाँ पर फसल कटाई में देरी या फसल देर से पकने में समय लगता है तथा गेहूं की बोआई 25 नवम्बर के बाद की जाती है ऐसे क्षेत्रों में यह मशीन का उपयोग अति लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस मशीन का उपयोग अति चिकनी मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी में सुचारु रूप से किया जा सकता है।

सस्य क्रियायें:

1. गेहूं की अनुमोदित प्रजातियां: पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोआई हेतु गेहूं की संस्तुत प्रजातियां जैसे: करन नरेन्द्र डीवीडब्ल्यू 222, डीवीडब्ल्यू 47, नरेन्द्र गेहूं 1012, यू0पी0 2338, पी0बी0डब्ल्यू0 343 तथा पी0बी0डब्ल्यू0 154 सामयिक दशा के लिए उपयुक्त है, जबकि बिलम्ब की दशा में नरेन्द्र गेहूं 1014, पी0बी0डब्ल्यू0 373, पी0बी0डब्ल्यू0 752, पी0बी0डब्ल्यू0 757, राज 3077, मालवीय 234, डीवीडब्ल्यू173, डीवीडब्ल्यू 16, एवं राज 3765 की बोआई करनी चाहिए।

बोआई: धान की कटाई के बाद, ज्यों ही मिट्टी की नमी उपयुक्त अवस्था में आ जाय, हैपी सीडर, सुपर सीडर या जीरो टिलेज मशीन से बोआई करें। वैसे खेत में नमी थोडा कम या अधिक की दशा में भी बोआई की जा सकती है। कम नमी की दशा में पलेवा करके गेहूं की बोआई सीधे खेत में कर सकते हैं। यदि खेत में लूज पुवाल या बरसाती घासों ज्यादा हों तो मल्चर, कटर कम स्प्रेडर एक-दो से 0मी0 गहरी स्कैपिंग कर सकते हैं। बोआई से पूर्व मशीन से बीज दर निर्धारण हेतु निम्नानुसार अंशाकन आवश्यक है। बोआई के बाद पाटा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हैपी सीडर, सुपर सीडर एवं जीरो टिलेज तकनीक के लाभ:

1. खेत की तैयारी पर होने वाले खर्च को 1500-2500 रुपए प्रति एकड़ तक बचाया जा सकता है।
2. इस मशीन द्वारा प्रति एकड़ एक घंटे में बुआई की सकती है जबकि सामान्य अवस्था में खेत की तैयारी व

बुआई में 5-6 घंटे लगते हैं।

3. इस मशीन द्वारा समय व डीजल की बचत होती है।

4. इस विधि से गेहूं की बोआई का उचित समय, दूरी, गहराई, बीज की मात्रा व बीज के साथ उर्बरक का प्रयोग की वजह से फसल की उपज अधिक होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है तथा उत्पादन लागत भी कम होता है।

5. छिटकवा विधि से गेहूं की बोआई में फास्फोरस व पोटाश तत्व का फसल आंशिक रूप से ग्रहण कर पाती है, क्योंकि ये तत्व प्रायः भूमि में संचार नहीं कर पाते हैं, जबकि हैपी सीडर, सुपर सीडर एवं जीरो टिलेज सीड कम फर्टी ड्रिल विधि में फसल द्वारा इनका अधिकतम उपभोग होता है।

6. यदि खेत में नमी थोडा कम या अधिक की दशा में भी बोआई की जा सकती है।

7. खरपतवार के जमाव में 40-50 प्रतिशत तक कमी होती है क्योंकि जुताई न होने के कारण खरपतवार के बीज गहराई में ही दबा रहता है तथा गेहुंसा/ गुल्ली डंडा का भी प्रकोप कम पाया जाता है।

8. इस मशीन के उपयोग से बुआई के पश्चात वर्षा होने पर पपड़ी नहीं जमती।

9. इस विधि में पौधों की जड़ों की पकड मजबूत होती है तथा सिंचाई के बाद हवा चलने पर फसल गिरने तथा दाना पतला होने की समस्या कम होती है।

10. मजदूरी तथा डीजल में 25-30 प्रतिशत तक बचत की जा सकती है जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है।

11. पहली सिंचाई के समय पानी को 10-20 प्रतिशत तक बचाया जा सकता है तथा कुल सिंचाई में 30-40 प्रतिशत जल की बचत होती है क्योंकि अफार/ बिना जुते खेत में सीधे बोआई की जाती है।

12. इस तकनीक का उपयोग करने से अलग-अलग शोध से पाया गया है कि फसल उत्पादन में 10-15 प्रतिशत तक बढ़त होती है।

13. फसल अवशेष को जलाने की आवश्यकता नहीं पडती जिससे पर्यावरण शुद्ध तथा भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है।

14. इस तकनीकी द्वारा बोआई करने में भूमि में नमी बनी रहती है जिससे फसल में हवा नहीं निकलती तथा पकाव अच्छा होता है।

15. इस मशीन द्वारा गेहूं की बुआई करके किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं।

हैपी सीडर, सुपर सीडर एवं जीरो टिलेज संबंधी

बीज दर निर्धारण हेतु अंशाकनः

क्रमांक	बोआई का समय	बीज दर किग्रा/हेक्टेयर	भू चक्र एक बार घुमाने में गिरे दानों की संख्या
1.	15 नवम्बर से पहले	100	55-57
		105	58-60
2.	15-30 नवम्बर	110	61-63
3.	1-7 दिसम्बर	115	64-66
4.	8-14 दिसम्बर	120	67-69
5.	15-21 दिसम्बर	125	70-72
6.	22-31 दिसम्बर	130	73-75
7.	31 दिसम्बर के बाद	135	76-78

कुछ महत्वपूर्ण सुझावः

1. खरीफ फसल कटाई करते समय ध्यान रखें कि डंठल की फाने बड़े न हो।
2. गेहूं की बोआई करते समय गहराई 5-7 सेमी0 रखें।
3. अगेती बोआई करने से उपज में वृद्धि होती है।
4. हैपी सीडर, सुपर सीडर एवं जीरो टिलेज मशीन को चलाने के लिए प्रशिक्षण लेना आवश्यक है।
5. बोआई करते समय उचित गहराई करने हेतु मशीन के दोनो तरफ पहिये से स्कू बोल्ट की सहायता से उपर नीचे रख सकते हैं।
6. मशीन के दोनो तरफ ड्रायविंग व्हील होते हैं इससे

आवश्यकतानुसार दिए गए ग्रुप की सहायता से व्यवस्थित कर सकते हैं।

7. मशीन चलते समय पीछे दिए गये लकड़ी के फट्टे पर बैठकर एक व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए की बीज या खाद सही निकल रहे हैं या नहीं कोई नलकी बन्द तो नहीं है।

8. उर्बरक मिश्रण बोआई के समय ही बनायें पहले से बने उर्बरक मिश्रण मशीन चलते समय सही से नहीं निकलते। उचित होगा कि मिश्रीत उर्बरक 12:32:16 का प्रयोग करें।

मशीन की सफाई, देख-रेख समय समय पर करते रहें तथा उचित स्थान पर रखें।


GSTIN: 09AHSPG0330J1ZB
FSSAI Lic. No.: 22723257000246

GEM I.D.: 5614190000805401
MSME: UDYAM-UP-24-0010959

कबीर इण्टरप्राइजेज

कुमारगंज, अयोध्या

जनरल आर्डर सप्लायर, आफिस स्टेशनरी, कम्प्यूटर कार्टेज, सफाई सामग्री, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेंट, प्लास्टिक वेयर, ग्लास वेयर, कृषि उपकरण, छपाई कार्य, आफिस एवं स्कूल फर्निचर, कुकुट दाना, मछली दाना, स्नेट्री वेयर, लंच पैकट इत्यादि बाजार के न्यूनतम दर, कोटेशन, टेडर एवं जेम द्वारा सरकारी संस्थानों में आपूर्ति की जाती है।



प्रो. विनय गुप्ता

चलभाश: 9838480700, 9838490700
ई मेल आई. डी.: vinaykmh@gmail.com

जिनको आलू से हो प्यार
वो एग्रीफोर्ट टेक्नोलॉजीस से कैसे करें इनकार



ब्यूट्री प्लेक्स

फसल के साथ भी, फसल के बाद भी



मात्रा : 5-10 किलो प्रति एकड़ (बुवाई के समय) (दक्कन)
2-3 मिली प्रति लीटर पानी 35-45 दिन की अवधि पर (लस)

विकल्प

जगह से पोषण का आत्म विश्वास



मात्रा : 6-12 किलो प्रति एकड़, 35-40 दिन की फसल पर (दक्कन)
2-3 मिली प्रति लीटर पानी, 35-45 दिन की फसल पर (लस)

कनवर्टर

सोम में कन्वर्ट की संख्या और खाद को बचाने हे



मात्रा : 2-3 मिली प्रति लीटर
एकड़ बिना 35 से 45 दिन की अवधि पर
दुपार बिना 60 से 70 दिन की अवधि पर

सीडफोर्ट

मात्रा : 2 मिली प्रति लीटर
1 किलो बीज के लिए



सिस्कोट 100 का कवरेज, फसल को बेहतर



मात्रा : 100 ग्राम सिस्कोट 100 का बीज है, 100 ग्राम 9 मि.मी. प्रति 1.5 लीटर एकड़










AGRIFORT TECHNOLOGIES PVT. LTD.
Registered Office: 911, Sector-44, Ashokghata, Luchnow-226012
Registered Office: 911, Sector-44, Ashokghata, Luchnow-226012, Gangaenagar Estate, Mumbai-400063, India.
E-mail: info@agfort.com | Website: www.agfort.com

Powered to turn a techno lead. In service of farmer.



आई.पी.एल. किसान मित्र गोल्ड

फर्मेंटेड जैविक खाद



“किसान मित्र गोल्ड” फर्मेंटेड जैविक खाद के उपयोग से फसलों को होने वाले लाभ:




1. “किसान मित्र गोल्ड” खाद में फसलों की चहुर्मुखी वृद्धि के लिए आवश्यक प्रमुख, गीण तथा सूक्ष्म पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं।
2. इस खाद के उपयोग से फसलों की वृद्धि अधिक होने के साथ - साथ कल्तों की संख्या भी बढ़ जाती है।
3. फसलों में संतुलित पोषण मिलने के कारण कीड़ों व बीमारियों के प्रकोप में अत्यन्त कमी आती है।
4. जहाँ एक ओर इसके उपयोग से पौधों की जड़ों का विकास अधिक होता है, वहीं दूसरी ओर मृदा की निचली सतह की कठोरता कम होती है। परिणाम स्वरूप पौधों की जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक जाती हैं जिससे पौधों के गिरने की संभावना अत्यन्त कम हो जाती है।
5. “किसान मित्र गोल्ड” खाद को प्रति एकड़ 4 बैग (100 कि.ग्रा.) की दर से बुवाई के समय मृदा में अच्छी तरह से मिलाकर प्रयोग करते हैं। किसान मित्र गोल्ड का उपयोग करने से फसलों की पैदावार में 10 - 15% की वृद्धि हो सकती है।
6. “किसान मित्र गोल्ड” खाद के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी. आदि) की मात्रा को घटाया जा सकता है क्योंकि इसके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में संचालित औद्योगिक विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत फसलों/उपकरण की इकाई लागत तथा अनुदान की विवरणकी इकाई लागत तथा अनुदान की विवरण

वर्ष - 2023-24

जनपद-बलिया

क्रम सं०	कार्यक्रम का विवरण	जनपद का भौतिक लक्ष्य हे०/सं०	इकाई लागत प्रति हे०/सं०	अनुमन्य अनुदान का विवरण
1	योजना का नाम - जिला औद्योगिक मिशन योजना			
	(क) नवीन उद्यान रोपण :-			
	(1) आम नवीन उद्यान रोपण (10x10 मी०)	12 हे०	12500.00	प्रथम वर्ष 7650.00, द्वितीय वर्ष 2550.00, तृतीय वर्ष 2550.00 अनुदान देय है।
	(2) अमरुद नवीन उद्यान रोपण (6x6 मी०)	08 हे०	38340.00	प्रथम वर्ष 11602.00, द्वितीय वर्ष 3834.00, तृतीय वर्ष 3834.00 अनुदान देय है।
	(3) (टिशू कल्चर) केला रोपण	10 हे०	102462.00	प्रथम वर्ष 30739.00, द्वितीय वर्ष 10246.00, अनुदान देय है।
	(ख) पुष्प क्षेत्र विस्तार			
	(क) लूज प्लावर (मैदा/गुलाब)			
	(1) लघु/सीमांत कृषक हेतु	10 हे०	40000.00	रूपया 16000.00 प्रति हेक्टर अनुमन्य अनुदान देय है।
	(ग) मसाला क्षेत्र विस्तार			
	(1) प्याज	60 हे०	30000.00	रूपया 12000.00 प्रति हेक्टर अनुमन्य अनुदान देय है।
	(घ) संकर (हाईब्रीड) शाकभाजी क्षेत्र विस्तार	125 हे०	50000.00	रूपया 20000.00 प्रति हेक्टर अनुमन्य अनुदान देय है।
	(ड) जैविक खेती			
	(1) वर्मी कम्पोस्ट यूनिट	08	100000.00	इकाई लागत का 50% अधिकतम 50000 रूपया अनुमन्य अनुदान देय है।
	(2) एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड	12	16000.00	इकाई लागत का 50% अधिकतम 8000 रूपया अनुमन्य अनुदान देय है।
	(ज) इटीप्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एण्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम			
	(1) लोकास्ट प्याज भण्डार गृह (25MT) क्षमता का	05	175000.00	इकाई लागत का 50% अधिकतम 87500 रूपया अनुमन्य अनुदान देय है।
	(झ) सुरक्षित खेती कार्यक्रम			
	(1) पोल्टो हाउस निर्माण	4000 वर्ग मी०	3576000.00	इकाई लागत का 50% अधिकतम 1688000 रूपया अनुमन्य अनुदान देय है।
	(2) रोपण सामग्री	2000 वर्ग मी०	560000.00	इकाई लागत का 50% अधिकतम 280000 रूपया अनुमन्य अनुदान देय है।
	(3) फव्वानल पैक हाउस	03	400000.00	इकाई लागत का 50% अधिकतम 200000 रूपया अनुमन्य अनुदान देय है।
2	योजना का नाम - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्राप) माइक्रोइरीगेशन			
	ड्रिप सिंचाई सिस्टम (औद्योगिक फसलों में)			
	(1) 10x10 मी०	20 हे०	26504	ड्रिप/मिनी सिंप्रकलर सिंचाई पद्धति पर श्रेणी के लघु/सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 90-80 प्रतिशत अनुदान एवं पोर्टेबल सिंप्रकलर/रेनगन कृषकों को 75-65 प्रतिशत अनुदान देय है। GST 12% अतिरिक्त कृषक लाभार्थी को वहन करना होगा। कृषक पंजीकरण हेतु वेबसाइट- www.upmip.in
	(2) 6x6 मी०	30 हे०	35114	
	(3) 1.5x1.5 मी०	40 हे०	98443	
	(4) 1.8x1.8 मी०	44 हे०	92669	
	(5) 1.2x1.2 मी०	44 हे०	129073	
	ड्रिप सिंचाई सिस्टम (कृषि फसले)			
	(1) 1.8x1.8 मी०	178 हे०	92669	
	(2) 1.2x0.6 मी०	264 हे०	129073	
	सिंप्रकलर सिंचाई (औद्योगिक फसले)			
	(1) पोर्टेबल (75mm)	980 हे०	25186	
	(2) मिनी सिंप्रकलर 10x10 मी०	38 हे०	97994	
	(3) रेनगन (75mm)	84 हे०	39690	
	सिंप्रकलर सिंचाई (कृषि फसले)			
	(1) पोर्टेबल (75mm)	405 हे०	25186	
	(2) रेनगन (75mm)	60 हे०	39690	
<p>उपरोक्त योजनान्तर्गत का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों को WWW.DBT.UPHORTICULTER.IN पर जाकर उद्यान विभाग के पोर्टल पर आनलाईन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन हेतु कृषक खसरा, खतौनी, आधार कार्ड, संचालित खाता के पासबुक का फोटो कापी एवं मो० नं० तथा लाभार्थी की दो फोटो अपने साथ लेकर किसी जन सुविधा केन्द्र अथवा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय, बलिया में कर सकता है। प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर दायर्युक्त पाये जाने वाले लाभार्थी कृषक ही डी०बी०टी० के माध्यम से अनुमन्य अनुदान धनराशि कृषक खाते में देय होगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, बलिया से सम्पर्क कर सकते हैं।</p> <p align="center">अधिक जानकारी के लिये जिला उद्यान अधिकारी, बलिया से सम्पर्क कर सकते हैं। मो० नं० - 9161778285, 7007275545</p>				

फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबन्ध हेतु कृषि मशीनीकरण:

आर०आर० सिंह*, एस०के० सिंह*** एवं आर० के० सिंह**

दक्षिण-पूर्व एशिया धान की फसल का मुख्य स्थान है, और इस उप महाद्वीप में धान और गेहूँ में क्रमशः 59.16 और 42.55 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल आछादित होता है तथा वार्षिक अनाज उत्पादन क्रमशः 181.35 व 109.07 मिलियन टन है। धान-गेहूँ प्रणाली क्रमशः 10.0, 2.2, 0.8 तथा 0.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ धान-गेहूँ कंसोटियम देशों (भारत, पाकिस्तान, बांग्ला देश और नेपाल) में कुल 13.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। भारत में गंगा के मैदानों के उत्तर-पश्चिम हिस्सों में धान क्षेत्र का 75 प्रतिशत से अधिक भाग यांत्रिक रूप से कटाई की जाती है। फसल की कटाई और मड़ाई के उपरान्त मैदान में छोड़े गए पौधों के कुछ हिस्सों में फसल अवशेषों के रूप में रह जाता है। इन सामग्रियों को अपशिष्ट पदार्थों के रूप में माना जाता रहा है जिन्हें निपटान की आवश्यकता होती थी, लेकिन यह महसूस किया गया कि यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और अपशिष्ट नहीं है। बल्कि फसल अवशेषों के पुनःचक्रण को फसलों की पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फार्म अपशिष्ट को उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। यह मिट्टी की भौतिक व रासायनिक स्थिति को बनाए रखता है और फसल उत्पादन प्रणाली के समग्र पारिस्थितिक संतुलन में सुधार करता है।

सम्भावित फसल अवशेष :

धान-गेहूँ प्रणाली के बढ़ते देशों में बड़ी मात्रा में धान-गेहूँ अवशेष का उत्पादन होता है। इसके अलावा, मशीनीकृत खेती को अपनाने के परिणामस्वरूप अनाज की कटाई के बाद मैदान में धान-गेहूँ के पुआल/भूसे का एक बड़ा हिस्सा खेतों में छोड़ दिया जाता है। अधिकांश किसान जानवरों को खिलाने के लिए गेहूँ के भूसे को हटाने हैं। धान के पुआल का प्रबन्ध एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसे उच्च सिलिका सामग्री के कारण जानवरों को खिलाने के लिए एक निम्न कोटि का पशुआहार मानते हैं। ढीले धान के

अवशेषों के रहते गेहूँ लगाते समय सीडड्रिल संचालन में असुविधा होती है परिणामस्वरूप किसान फसल अवशेषों को जलाने का सहारा लेते हैं। फसल अवशेष जलाने से मृदा ताप में वृद्धि, निकलने वाले धुएँ की जहरीली गैसों से विभिन्न प्रकार के रोग व धुंध के कारण होने वाले दुर्घटना के साथ पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फसलों के जड़, तना व पत्तियों में संचित पोषक तत्वों व मित्र कीटों की छति होती है। इससे अगल-बगल के खेतों तथा आवादी में आग लगने की संभावना रहती है। इससे न केवल विशाल बायोमास का नुकसान का कारण बनता है बल्कि पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बनता है। फसल उत्पादन प्रणालियों में इन अवशेषों को रिसाइक्लिंग करने की भारी सम्भावना है। भारतवर्ष में उत्पादित फसल अवशेषों की कुल मात्रा का 27 प्रतिशत गेहूँ अवशेष तथा धान का लगभग 51 प्रतिशत है। इन अवशेषों का 1/3 भाग जानवरों को खिलाने व अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। फसल अवशेष प्रबंधन एकीकृत पोषक तत्व प्रबंध का मुख्य घटक है इससे फसल अवशेषों में विद्यमान पोषक तत्व व कार्बनिक पदार्थ आगामी फसलों की पोषण आवश्यकता की पूर्ति के साथ शूक्ष्म जीवाणुओं के बढ़ने का वातावरण भी तैयार करते हैं। मृदा में वायु संचार व जल धारण क्षमता में वृद्धि के साथ यह मिट्टी की भौतिक व रासायनिक स्थिति को बनाए रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने में सहयोग प्रदान करता है। फसल अवशेषों की उपलब्धता एवं उनमें पोषक तत्वों का स्तर सारणी-1 में निम्नवत है— उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि केवल धान-गेहूँ से कुल 113.6 मिलियन टन फसल अवशेषों की उपलब्धता में से 37.87 मिलियन टन फसल अवशेष अपशिष्ट पदार्थों के रूप में जला दिया जाता है यदि उन्हें इन-सीटू अवशेष प्रबंध कर लिया जाय तो उनमें 1.898 मिलियन टन पोषक तत्वों का उपयोग कर उर्बरक पर होने वाले खर्च को बचाकर अधिक

*अपर निदेशक प्रसार (विशेषज्ञ मृदा विज्ञान), प्रसार निदेशालय, आ०न०दे० कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या,

प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, अमहिन, जौनपुर एवं *वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, हैदरगढ़, बाराबंकी।

उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

फसल अवशेष रिसाइक्लिंग व मृदा स्वास्थ्य:

औसतन प्रतिवर्ष 600 से 700 मिलियन टन फसल उत्पादित होता है जिसका एक चौथाई भाग धान-गेहूँ से प्राप्त होता है। धान-गेहूँ प्रणाली में 10 टन/हेक्टेयर जैवभार उत्पादन हेतु लगभग 500 किलोग्राम पोषक तत्व मृदा से अवशोषित करती है। फसल द्वारा मृदा से अवशोषित पोषक तत्व का 25 प्रतिशत नत्रजन व फास्फोरस, 50 प्रतिशत सल्फर एवं 75 प्रतिशत पोटेश जड, तना व पत्ती में समग्रहीत होता है। यदि हम एक टन धान अवशेष का दहन करते हैं तो 5.5 किलोग्राम नत्रजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेश, 1.2 किलोग्राम सल्फर एवं 400 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ का ह्रास होता है। विभिन्न फसल अवशेषों में अवशोषित पोषक तत्व की उपलब्धता के अनुसार अपघटन के बाद मिट्टी में उपलब्धता बढ़ती है।

उपरोक्त तालिका को देखकर हम स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति फसलों के विभिन्न अवशेषों को इन-सीटू व एक्स-सीटू प्रबन्ध करके कर सकते हैं। विदेशों में जहाँ अधिकतर मशीनों से खेती की जाती है तथा जहाँ पर पशुओं पर निर्भरता नहीं के बराबर है वहाँ पर फसल के अवशेषों को बारीक टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। यद्यपि वर्तमान में हमारे देश में भी इस कार्य के लिये रोटावेटर जैसी मशीन का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है, जिससे खेत को तैयार करते समय एक बार में ही फसल के अवशेषों को बारीक टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिलाना काफी आसान हो गया है। जिन क्षेत्रों में नमी की कमी हो वहाँ पर फसल अवशेषों को मलच के रूप में प्रयोग करने से मृदा जल संरक्षण के साथ साथ खरपतवारों से बचाते हैं तथा अवशेषों को एक्स-सीटू प्रबन्धन के तहत कम्पोस्ट खाद तैयारकर खेत में डालना भी लाभप्रद होता है।

फसल अवशेष के इन-सीटू प्रबन्ध हेतु कृषि मशीनीकरण:

फसल अवशेषों के प्रबन्ध के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की मशीनें जिनमें रोटावेटर, हैपीसीडर, मलचर, कटर कम स्प्रेडर, जीरो टील सीड ड्रिल,

रिसेंबुल यमबी0 प्लाऊ, शर्व मास्टर आदि कृषि मशीनीकरण की प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के यनसीटी सरकारों के वायु प्रदूषण को संरक्षित करने के लिये 2019-19 से 2019-20 की अवधि के लिए फसल अवशेष के इन-सीटू प्रबन्ध के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए एक विशेष योजना मंजूर की है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र (100 प्रतिशत केंद्रीय शेयर) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। पहली बार केंद्रीय निधि से कुल रु. 1151.80 करोड़ (2018-19 में 591.65 करोड़ रुपये और 2019-20 में 560.15 करोड़ रुपये) का प्राविधान किया गया जो अभी भी सतत जारी है।

योजना के लाभार्थी:

- जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डीयलईसी) के माध्यम से राज्य सरकार कृषि व्यवस्था के आधार पर विभिन्न लाभार्थियों और स्थान विशिष्ट कृषि उपकरणों की पहचान करेगी तथा वयक्तिगत स्वामित्व के आधार पर मशीनों की कस्टम भर्ती और खरीद के लिए फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए लाभार्थियों की पहचान और चयन करेगा।
- राज्य नोडल विभाग / डीयलईसी लाभार्थियों की क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए बैंकों के साथ जुड़ सकता है। चयनित लाभार्थियों का नाम और आधार विवरण/यूआईडी संख्याओं को इंगित करने वाले जिला स्तर पर दस्तावेज किया जायेगा और वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान की जाएगी।

कार्यान्वयन एजेंसियां:

- केंद्रीय स्तर पर इस योजना का प्रबंधन कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
- सचिव, डीएसी और एफडब्ल्यू की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति नीति तैयार करेगी और राज्य सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र दिशा निर्देश और मार्गदर्शन देगी तथा इसकी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी व समीक्षा करेगी।
- अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति इस योजना की देखरेख करेगी।
- राज्य स्तर पर नोडल कार्यान्वयन एजेंसी सम्बंधित

सारणी-1: धान- गेहूँ फसल अवशेषों की उपलब्धता एवं उनमें पोषक तत्वों का स्तर (मिलियन टन)

प्रदेश	फसल अवशेष उपलब्धता(मि०टन)		पुनःचक्रण हेतु अवशेष उपलब्धता		पोषक तत्व(यन०पी०के०) सामर्थ्य		
	धान	गेहूँ	कुल	कुल	कुल	सापेक्ष पुनःचक्रण	
हेतुउपलब्धता	रासायनिक प्रतिस्थापन मान						
पंजाब	10.0	18.2	28.2	9.40	0.462	0.154	0.077
हरियाणा	2.5	9.7	12.2	4.07	0.194	0.065	0.032
उ० प्रदेश	14.0	27.5	41.5	13.83	0.677	0.226	0.113
बिहार	9.6	5.3	14.9	4.97	0.257	0.086	0.043
प० बंगाल	16.7	0.1	16.8	5.60	0.308	0.103	0.051
कुल	52.8	60.8	113.6	37.87	1.898	0.634	0.316

स्रोत: सरकार,1999

सारणी-2: फसलों के विभिन्न अवशेषों में नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटेश तत्वों की मात्रा

क्रमांक	फसल अवशेष	नत्रजन प्रतिशत	फास्फोरस प्रतिशत	पोटेश प्रतिशत
1.	गेहूँ का भूसा	0.53	0.10	1.10
2.	जौ का भूसा	0.57	0.26	1.20
3.	गन्ने की पत्तियाँ	0.35	0.10	0.60
4.	गन्ने की खोई	2.25	0.12	
5.	धान का पुआल	0.36	0.08	0.70
6.	धान की भूसी	0.40	0.25	0.40
7.	राई/सरसो का तना	0.57	0.28	1.40
8.	मक्का की कडवी	0.47	0.57	1.65
9.	बजरे की कडवी	0.65	0.75	2.50
10.	मूंगफली का छिलका	0.70	0.48	1.40
11.	आलू	0.52	0.09	0.85
12.	मटर की सूखी पत्तियाँ	0.35	0.12	0.36
13.	करंज की सूखी पत्तियाँ	2.65	0.41	2.42
14.	बूखों की सूखी पत्तियाँ	1.50	0.45	2.50

सारणी-1: धान- गेहूँ फसल अवशेषों की उपलब्धता एवं उनमें पोषक तत्वों का स्तर (मिलियन टन)

प्रदेश	फसल अवशेष उपलब्धता(मि०टन)		पुनःचक्रण हेतु अवशेष उपलब्धता		पोषक तत्व(यन०पी०के०) सामर्थ्य		
	धान	गेहूँ	कुल	कुल	कुल	सापेक्ष पुनःचक्रण	
हेतुउपलब्धता	रासायनिक प्रतिस्थापन मान						
पंजाब	10.0	18.2	28.2	9.40	0.462	0.154	0.077
हरियाणा	2.5	9.7	12.2	4.07	0.194	0.065	0.032
उ० प्रदेश	14.0	27.5	41.5	13.83	0.677	0.226	0.113
बिहार	9.6	5.3	14.9	4.97	0.257	0.086	0.043
प० बंगाल	16.7	0.1	16.8	5.60	0.308	0.103	0.051
कुल	52.8	60.8	113.6	37.87	1.898	0.634	0.316

राज्य सरकार के कृषि विभाग होगी। सचिव (कृषि)/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) नियमित बैठक के माध्यम से अपने राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और उचित नीति तैयार करने के लिए कार्यकारी समिति को इनपुट प्रदान करेगी। एसएलईसी यह सुनिश्चित करेगी कि किसान अपने क्षेत्र में कोई फसल अवशेष न जलाये।

• जिला स्तर कार्यकारी समिति जिलों में परियोजना तैयार करने, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए

योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगी तथा फसल अवशेषों के न जलाने के लिए किसानों को संगठित करने के लिए किसान समूह/प्रगतिशील किसानों से संबंधित समितियों का गठन करेगी और इसमें पंचायती राज संस्थानों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

डीएसी और एफडब्ल्यू मशीनों और उपकरणों के निर्माता को सूचीबद्ध करेंगे, जो उनकी लागत के साथ फसल अवशेष के इन-सीटू प्रबंधन के लिए पहचाने जाते हैं।

भारत में पहली बार तीन शक्तियों वाला बहुआयामी खरपतवार नाशक



ट्रिस्केल सपने करे सच



लाल सावा

मकरा

गाठवाला मोथा

लहसुआ



छतरी वाला मोथा



गाजर घाम



चिरपोट



एक परिपूर्ण समाधान



उतम फसल सुरक्षा




बहुआयामी खरपतवार नाशक



निर्धारित मात्रा

निर्धारित मात्रा:
१.२ किलो/एकड़
२०० लीटर
पानी में

जेबा दे उम्मीद से ज्यादा



मात्रा
5 किग्रा
प्रति एकड़

1 सोखे
450 गुना पानी

2 पकड़े
- लिफिंग रोके
- भुरभुरी पिट्टी

3 छोड़े
पीछे की जरूरत
अनुसार

निसार दे आपकी मेहनत को



तुरंत डाउनलोड करें
नर्चट. फार्म ऐप



विश्वव्यापी
कृषि अत्याज कंट्रोल



जगत् भर खरपतवार नियंत्रण करने
के लिए नर्चट फार्म ऐप



मिथ पर कृषि जलसिंचनी की एक कदम
आगे किराते पर खरपतवार

* विपणन के लिए नर्चट फार्म ऐप डाउनलोड करें

nuture.farm

अधिक जानकारी के लिये नर्चट केयट पट कॉल करें 18001021199

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० विक्रमजोत

जनपद बस्ती (उ०प्र०)

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० विक्रमजोत परिक्षेत्र के समस्त गन्ना उत्पादक किसानों से अनुरोध है कि शरद कालीन गन्ना बुवाई प्रारम्भ हो चुकी है ऐसे में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं किसानों की आय को दुगुना करने हेतु शतप्रतिशत अधिक उत्पादन देने वाली गन्ने की प्रजातियां क्रमशः CO118, COLK14201, को०शा० 13235 को०शा० 13231 का ही चयन करके उनकी तत्काल ज्यादा से ज्यादा बुआई करें। एवं गन्ना सहफसली खेती भी अवश्य करें। जिससे गन्ना किसानों की आर्थिक आय में कई गुने की बढ़ोत्तरी हो सके।

गन्ना समिति विक्रमजोत परिक्षेत्र के समस्त गन्ना किसानों के सर्वांगीय एवं सतत विकास हेतु विगत हेतु 31 वर्षों से निरन्तर एवं सतत प्रयत्नशील है।

(अतुल कुमार श्रीवास्तव)
लेखाकार

(देव स्वरूप शुक्ला)
सचिव

जौ की वैज्ञानिक खेती

संजीत कुमार*, आर० आर० सिंह** एवं मनोज कुमार***

किसान भाईयों, सिंचाई एवं उर्वरक के सीमित साधन एवं असिंचित दशा में जौ की खेती गेहूँ की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है, साथ ही साथ इसकी खेती सिंचित, असिंचित, विलम्ब से तथा ऊसरीली भूमि वाले क्षेत्रों में सफलता पूर्वक की जा सकती है।

खेत की तैयारी: देशी हल या डिस्क हैरो से 2-3 जुताईयां करने के बाद पाटा लगाकर खेत तैयार कर लेना चाहिए।

बोने का समय—

असिंचित —सभी क्षेत्रों में 20 अक्टूबर तक।

सिंचित समय 25 नवम्बर तक।

विलम्ब से—दिसम्बर के दूसरे पखवारे तक।

जौ की उन्नतिशील प्रजातियाँ—

1. छिलकायुक्त छःधारीय प्रजातियाँ—

अ. मैदानी क्षेत्र— नरेन्द्र जौ-1, नरेन्द्र जौ-2 नरेन्द्र जौ-3(छः धारीय), नरेन्द्र जौ-4(छः धारीय), नरेन्द्र जौ-1173(छः धारीय), ज्योति, आजाद, के-141, हरितमा (के-560), प्रीती (के-409), जागृति (के-287) लखन (के.226), मंजुला (के. 329), आर. एस.-6, एन.डी. बी .-1445, आर.डी.-2552, के.603।

2. छिलका रहित प्रजातियाँ

अ. मैदानी क्षेत्र गीतांजली, एन.डी.बी. 943, उपासना

3. माल्ट हेतु प्रजातियाँ

प्रगति (के. 508) छः धारीय, ऋतम्भरा (के.551) (छः धारीय), डी.डब्लू. आर-28, 4. डी.एल.88 (छः धारीय) रेखा (बी.सी.यू.73) (छः धारीय)

बीज की मात्रा—

असिंचित— 100 किग्रा प्रति हे.।

सिंचित— 75 किग्रा. प्रति हे.।

पछैती बुवाई— 100 किग्रा./हे.।

बुवाई की विधि: बीज हल के पीछे कूंडों में 23 सेमी की दूरी पर 5-6 सेमी गहरा बोंयें। असिंचित दशा में बुवाई 6-8 सेमी. गहराई में करें जिससे जमाव के लिए पर्याप्त नमी मिल सके।

उर्वरक— उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना ही उचित है।

असिंचित— प्रति हेक्टेयर 40 किग्रा. नत्रजन, 20 किग्रा. फास्फेट तथा 20 किग्रा. पोटाश को बुवाई के समय कूंडों में बीज के नीचे लें। चोंगे अथवा नाई का प्रयोग अधिक लाभप्रद है।

सिंचित समय से बुवाई की दशा में: प्रति हेक्टेयर 30 किग्रा. नत्रजन तथा 30 किग्रा. फास्फेट व 20 किग्रा. पोटाश बुवाई के समय कूंडों में बीज के नीचे डालें तथा बाद में 30 किलोग्राम नत्रजन पहली सिंचाई पर टापड्रेसिंग करें। हल्की भूमि में 20-30 किग्रा. /हे. जिंक सल्फेट का प्रयोग करें।

सिंचाई: पहली कल्ले फूटते समय बुवाई के 30-35 दिनों बाद व दूसरी दुग्धावस्था में करें। यदि एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो कल्ले फूटते समय करें। माल्ट हेतु जौ की खेती में एक अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऊसर भूमि तीन सिंचाई पहली कल्ले निकलते समय दूसरी गाँठ बनते समय तथा तीसरी दाना पड़ते समय करें।

फसल सुरक्षा:

दीमक:— यह बहुत हानिकारक कीट है और किसी भी फसल को हानि करने में सक्षम है। यह जमीन में सुरंग बनाकर रहती है पौधों की जड़ों को खाकर पूरे वर्ष फसलों को हानि पहुँचाती रहती है। दीमक का आक्रमण फसल उगने के साथ प्रारम्भ हो जाता है। तथा भूमि की सतह के नीचे से पौधो को जड़ो को काटकर सुखा देती है।

प्रबन्धन:—

1. बुवाई से पूर्व दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरो पाइरीफॉस 20 प्रतिशत ई.सी. की 3-3.5 मिली लीटर प्रति किग्रा. बीज के दर से बीज को शोधित करना चाहिए।

1. बीवेरियाबे शियाना 1.15 प्रतिशत बायोपेस्टीसाइड (जैव कीटनाशी) की 2.5 किग्रा. प्रति हे. 60-75 किग्रा. गोबर की खाद में मिलाकर हल्के पानी का छीटा देकर 8-10 दिन तक छाया में रखने के उपरान्त बुवाई के पूर्व आखिरी जुताई पर भूमि में मिला देने से दीमक सहित भूमि जनित कीटों का नियंत्रण हो जाता है।

*वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, सोहॉव, बलिया, **अपर निदेशक प्रसार, आचार्य नरेन्द्र देव देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, ***विषय वस्तु विशेषज्ञ (जी०पी०बी०), कृषि विज्ञान केन्द्र, सोहॉव, बलिया

2. 10-12 कुन्तल नीम की खली प्रति हे० बुवाई से पूर्व खेत में मिलाये। अगर जौ की खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरपाइरीफास 20 ई०सी० दवा 2-2.5 लीटर मात्रा समान रूप से छिड़काव करना चाहिए।

3. जौ की खड़ी फसल में दीमक/गुजिया के नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास 20 प्रतिशत ई.सी. 2.5 ली. प्रति हे. की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए।

प्रमुख रोग—

1. आवृत कण्डुआ
2. पत्ती का धारीदार रोग
3. पत्ती का धब्बेदार रोग
4. अनावृत कण्डुआ
5. गेरुई रोग

नियंत्रण के उपाय

1. बीज उपचार

आवृत कण्डुआ, अनावृत कण्डुआ पत्ती का धारीदार रोग एवं पत्ती का धब्बेदार रोगों के नियंत्रण कार्बेण्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 ग्राम अथवा कार्बाक्सिन 75 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 ग्राम किगा. बीज की दर से बीजशोधन कर बुवाई करना चाहिए।

अनावृत कण्डुआ एवं अन्य बीज जनित रोगों के साथ-साथ प्रारम्भिक भूमि जनित रोगों के नियंत्रक कार्बाक्सिन 37.5 प्रतिशत + थीरम 37.5 प्रतिशत डी.एस./डब्लूएस. की 3.0 ग्राम प्रति किगा. बीज की बीजशोधन कर बुवाई करना चाहिए।

2. भूमि उपचार— भूमि जनित एवं बीज जनित रोगों के नियंत्रण हेतु बायोपेस्टीसाइड (जैव कवक नाशी) ट्राइकोडरमा बिरडी 1 प्रतिशत डब्लू.पी. अथवा ट्राइकोडरमा हारजिएनम 2 प्रतिशत डब्लू.पी० 2.5 किगा. प्रति हे. 60-75 किगा. सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर हल्के पानी का छीटा देकर 8-10 दिन तक छाया में रखने के उपरान्त बुवाई के पूर्व आखिरी जुताई पर भूमि में मिला देने से अनावृत कण्डुआ, आवृत कण्डुआ आदि रोगों के प्रबन्धन में सहायक होता है।

3. पर्णिय उपचार— गेरुई के नियंत्रण हेतु प्रोपीकोनाजोल 25 प्रतिशत ई.सी. की 500 मिली. प्रति हैक्टर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए।

प्रमुख खरपतवार—

1. सकरी पत्ती— गेहुंसा एवं जंगली जई।
2. चौड़ी पत्ती— बथुआ, सेन्जी, कृष्णनील, हिरनखुरी, चटरी-मटरी, अकरा, जंगली-गाजर, गजरी, प्याजी,

खरतुआ, सत्यानाशी आदि।

नियंत्रण के उपाय—

किसान भाईयों जौ की फसल में संकरी पत्ती के प्रमुख खरपतवार गेहुंसा एवं जंगली जई तथा अन्य चौड़ी पत्ती के खरपतवारों जैसे बथुआ, कृष्णनील, चटरी-मटरी आदि को सकरी एवं चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों के एक साथ नियंत्रण हेतु निम्नलिखित खरपतवारनाशी रसायनों में से किसी एक रसायन की संस्तुत मात्रा को लगभग 500-600 ली० पानी में घोलकर प्रति हे० पलैटफैन नाजिल से छिड़काव करना चाहिए।

1. पेण्डीमेथलीन 30 प्रतिशत ई.सी. की 2.5-3.0 ली० प्रति हैक्टर की दर से बुआई के 2-3 दिन के अन्दर छिड़काव करना चाहिए।

2. सल्फोसल्फ्यूरान 75 प्रतिशत डब्लू.पी. की 33 ग्राम प्रति हैक्टर की दर से बुआई के 20-25 दिन के बाद छिड़काव करना चाहिए। या मैट्रीब्युजिन 70 प्रतिशत डब्लू.पी. की 200-250 ग्राम प्रति हैक्टर की दर से बुआई के 20-25 दिन के बाद छिड़काव करना चाहिए।

कटाई तथा भण्डारण— कटाई का कार्य सुबह या शाम के समय करें। बालियों के पक जाने पर फसल को तुरन्त काट लें और मड़ाई करके भण्डारण करें।

ध्यान देने योग्य बातें—

1. परिस्थिति अनुसार उपयुक्त प्रजातियों का चयन कर शुद्ध एवं प्रमाणित बीज बोये।
2. मृदा परीक्षण के आधार पर संस्तुति अनुसार उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें।
3. खरपतवारों के नियंत्रण हेतु संस्तुत रसायनों का समय से प्रयोग किया जायें।
4. रोग एवं कीड़ों की रोकथाम हेतु संस्तुति अनुसार रसायनों का प्रयोग किया जाय।
5. उपलब्धता अनुसार सिंचाई कल्ले फूटते समय एवं दुग्धावस्था में करें।

कटाई मड़ाई एवं भण्डारण :- जब फसल पक जाय तभी जौ की कटाई करनी चाहिए एवं बीज को अच्छी तरह सुखाकर जब नमी केवल 10-12 प्रतिशत रह जाये तभी भण्डारण में रखना चाहिए अर्थात् जब बीज को दाँत से काटने पर दो भागो मे कट की आवज के साथ टूट जायं तब भण्डारण हेतु उपयुक्त होता है।

उपज : जौ की वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर असिंचित दशा में 25-30 कु०/हे० उपज प्राप्त होती है तथा सिंचित दशा में 40-45 कु० प्रति हे० उपज प्राप्त होती है।

कावेरी का है वादा हर बार उम्मीद से ज़्यादा

संबा अग्रिम में तैयार होने वाला मध्यम कद का धान

महीन दाना (एयरर) एवं उच्च भित्ति प्रतिफल

बीमारियों और कीटों के प्रति सहनशील

खाने में उत्तम स्वाद और गुणवत्ता

135-140
दिन में तैयार



Visit us: www.savannahseeds.com
Email: savannah@savannahseeds.com

सर्वोत्तम सेवा के लिए संपर्क करें: 1800 572 9757

FOLLOW US:   

धन और धान का खज़ाना कुबेर ही लगाना

130-135 दिन में पक कर तैयार



- महीन दाना (एयरर) उत्तम उपज और अग्रिम अग्रिम में तैयार
- उच्च भित्ति प्रतिफल बढ़ित उपज अग्रिम की गुणवत्ता
- खाने में उत्तम स्वाद और गुणवत्ता
- बीमारियों के प्रति सहनशील

Visit us: www.savannahseeds.com
Email: savannah@savannahseeds.com


सर्वोत्तम सेवा के लिए संपर्क करें: 1800 572 9757

FOLLOW US:   

कृषि विभाग, संत कबीर नगर

**श्री अन्न
(मिलेट्स)**

INTERNATIONAL YEAR OF MILLETS 2023



- ❖ श्री अन्न खाद्य, पशु चारा, ईंधन, दवाइयां एवं अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों के रूप में उपयोग किया जाता है।
- ❖ मिलेट्स शुष्क क्षेत्रों और कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी उपज दे सकते हैं। सूखा सहन करने की क्षमता होती है।
- ❖ इनमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई जल आदि कृषि निवेश कम लगने से किसानों को कम लागत में अधिक लाभ मिलता है।
- ❖ मिलेट्स 60 से 90 दिनों में तैयार होने वाली फसलें हैं फलतः मिलेट्स से किसान एक वर्ष में अधिक फसलें ले सकते हैं।
- ❖ ये रोग प्रतिरोधी फसलें हैं। इनमें कीट व व्याधि कम लगने से किसानों की लागत कम हो जाती है।
- ❖ ये कार्बन न्यूट्रल फसलें हैं जो कार्बन फुटप्रिंट कम करने में सहायक हैं।
- ❖ मिलेट्स का भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है।

श्री अन्न अधिक लाभप्रद, पौष्टिक और पर्यावरण अनुकूल होने के कारण किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए हितकारी हैं और ये एक बार फिर खेत और भोजन की थाली में लौटने लगे हैं।



डॉ. राकेश कुमार सिंह
उप कृषि निदेशक
संत कबीर नगर

तोरिया एवं सरसों की बीज उत्पादन तकनीक

सर्वजीत*, प्रदीप** एवं ओम प्रकाश***

सरसों हमारे देश में एक अति महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, सरसों का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। हरे भागों को पशुओं को खिलाने में, एवं मानव द्वारा साग, के रूप में उपयोग किया जाता है। तोरिया एवं सरसों के महत्वपूर्ण उत्पादक देश भारत, चीन, पाकिस्तान, कनाडा, हैं। संसार में भारत लगभग 115 लाख टन सरसों पैदा करने वाला देश है।

भारत में सरसों की खेती मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड में की जाती है। इन राज्यों में राजस्थान में सरसों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन सबसे अधिक है। भारत में कुल सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 10.49 प्रतिशत है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में कुल 1.35 मिलियन टन उत्पादन हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी सीजन 2021-22 में 91.44 लाख हे में सरसों की बुवाई हुई एवं 115 लाख टन उत्पादन हुआ सरसों के लिए मुख्यता शुष्क एवं ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। सरसों की खेती के लिए अम्लीय मृदा एवं अधिक वर्षा वाले स्थान उपयुक्त नहीं होते हैं।

बीज स्रोत— आधार बीज उत्पादन के लिए मान्यता प्राप्त बीज स्रोत से प्रजनक या आधार बीज तथा प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आधार बीज प्रयोग करना चाहिए। बीज थैलों पर लगे टैग लेबिल से किस्म की जांच करने के बाद ही बुवाई करनी चाहिए।

भूमि का चयन— बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चयन करना आवश्यक होता है जिसमें पिछले सीजन में सरसों की फसल ना ली गई हो बीज उत्पादन के लिए भूमि खरपतवार एवं बीमारी रहित होनी चाहिए तथा जल भराव वाला खेत नहीं होना चाहिए।

पृथक्करण दूरी— आधार बीज उत्पादन के लिए 100 मीटर प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 50 मीटर की दूरी अन्य किस्मों के खेत से होनी चाहिए।

भूमि की तैयारी— तोरिया एवं सरसों के लिए हल्की रेतीली भुर-भुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है इसके लिए खरीफ की फसल की कटाई के बाद एक गहरी जुताई मिट्टी पलट हल से और 3 जुताई हैरो या देसी हल से करना लाभदायक होता है। मिट्टी में नमी को सुरक्षित रखने हेतु पाटा लगाना आवश्यक होता है। कीटों के नियंत्रण के लिए अंतिम जुताई के समय क्यूनालफास 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 ग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। उपज बढ़ाने के लिए एजेटोबैक्टर एवं पी एस बी कल्चर का प्रयोग लाभकारी होता है।

बुवाई का समय एवं विधि—

बुवाई का समय क्षेत्र की जलवायु सरसों या तोरिया की किस्म एवं फसल चक्र पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में तोरिया की बुवाई का समय 15 सितंबर के बाद तथा सरसों की बुवाई का समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक होता है। देर से बुवाई करने पर माहू एवं अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। बुवाई हमेशा कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर तथा बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर रखना चाहिए।

उन्नतशील प्रजातियाँ

प्रजाति	उपज कु०	फसल अवधि
पूसा सरसों-0025	17-18	100-110
पूसा सरसों-28	18-20	105-110
पूसा डबल जीरो मस्टर्ड -33	26.5	140-145
पूसा सरसों-30	20-22	130-135
पूसा सरसों-31	24-26	135-145
आर एच -725	30	135
आर एच -749	26-28	146-148
नरेन्द्र स्वर्णा राई-8	22-25	130-135

बीज दर— सरसों की किस्में एवं फसल (मिश्रित या, एकल) पर निर्भर करती है। शुद्ध फसल बोने के

*विषय वस्तु विशेषज्ञ-बीज विज्ञान, **फसल सुरक्षा, ***वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र सोहना, सिद्धार्थनगर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या- 224229

लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिश्रित फसल उगाने में 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है।

बीज उपचार— बीज जनित रोगों से फसल को बचाने के लिए 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करें तथा कीटों से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 डब्ल्यू पी 10 उस प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। कीटनाशक प्रयोग करने के बाद जैव उर्वरक पीएसबी और एजेटोबैक्टर की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचारित करें।

खाद एवं उर्वरक — उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। तोरिया एवं सरसों में कम समय में शीघ्र वृद्धि होती है इनके द्वारा शीघ्रता से पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं। सिंचित क्षेत्रों में 6 से 10 टन सड़ी गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय एवं 90 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम, पोटाश 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस का प्रयोग सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में करते हैं तो अधिक लाभ होता है। यदि सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन को यदि अमोनियम सल्फेट के रूप में देते हैं तो उपज में वृद्धि होती है। फास्फोरस को सिंगल सुपर फास्फेट एवं पोटाश को पोटेशियम सल्फेट के रूप में देना लाभदायक होता है। फास्फोरस एवं पोटाश की कुल मात्रा बुवाई के समय प्रयोग करना चाहिए। जबकि नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय व आधी मात्रा बुवाई के 30 से 35 दिन बाद प्रथम सिंचाई के बाद प्रयोग करना चाहिए।

निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण— फसल की प्रारंभिक अवस्था जैसे 15 से 20 दिन के अंदर घने पौधों को उखाड़ कर उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर कर देना चाहिए शुद्ध फसल में एक से दो निराई गुड़ाई प्रथम सिंचाई के पहले और दूसरी प्रथम सिंचाई के बाद।

रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आइसोप्रोट्यूरान या एलाक्लोर या टोकई 25 (नाइटोफेन) के सक्रिय अवयव की 1.0 किलोग्राम मात्रा या पेंडीमैथलीन 30 ई सी 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर फसल बोन के बाद अंकुरण से पहले छिड़काव करना चाहिए या फसल की बुवाई के पूर्व फ्लूक्लोरैलिन 45 ई सी की 2.2 ली/1000 लीव पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और जुताई करके मिट्टी मिला दें।

सिंचाई— सरसों की फसल में 2 अवस्थाओं जैसे फूल आने के समय एवं दाना भरते समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए प्रायः इस फसल में दो सिंचाइयों की आवश्यकता होती हैं। प्रथम सिंचाई बुवाई के 30 से 35 दिन बाद तथा दूसरी दाना बनने की अवस्था (60–65 दिन) में करें।

कीट एवं रोग नियंत्रण

आरा मक्खी— इसकी गिडारे सरसों कुल की सभी फसलों को हानि पहुंचाती हैं, इसकी सूड़ियां पत्तियों को किनारे से अथवा पत्तियों में छेद कर तेजी से खाती हैं।

रोकथाम— इसके लिए मैलाथियान 5 प्रतिशत चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम, मिथाइल पैराथियान 2.0 प्रतिशत धूल 20 किलोग्राम, क्यूनालफास, 1.5 प्रतिशत धूल 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।

माहू— इसका प्रकोप दिसंबर से प्रारंभ होता है मौसम नम होने पर इसका प्रकोप अधिक होता है। यह कीट फूलों एवं पत्तियों का रस चूसते हैं और दाना नहीं बन पाता है।

नियंत्रण मैलाथियान 50 प्रतिशत ई सी 2 लीटर क्लोरोपायरीफास 20 ई सी 0.75 लीटर मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत धूल 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए।

बिहार की रोमिल सूड़ी— बालदार सूड़ी काले या नारंगी रंग की होती है, तथा पूरा शरीर बालों से ढका रहता है यह सूड़ियां झुंड में रहकर पत्तों को खाती हैं

अधिक प्रकोप होने पर पौधा पत्ती विहीन हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए मैलाथियान 5 प्रतिशत की 20 से 25 किलोग्राम का बुरकाव अथवा मैलाथियान 50 प्रतिशत ईसी की 1.50 लीटर अथवा क्यूनालफास, 25 प्रतिशत ईसी की 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।

चित्रित बग— यह धब्बे दार कीट होते हैं। जिनके शिशु एवं वयस्क पत्तियों मुलायम शाखाओं तनो फूलों एवं फलियों का रस चूसते हैं। प्रभावित पत्तियों के किनारे का भाग सूख जाता है प्रभावित फलियों में दाने कम बनते हैं। इनके नियंत्रण के लिए क्लोरोपायरीफास 20 प्रतिशत ईसी के 1.0 लीटर अथवा मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस एल की 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।

अवांछनीय पौधों को निकालना— फसल की हर अवस्था पर निरीक्षण करना आवश्यक है एवं बुवाई की

किस्म से भिन्न लक्षण वाले पौधों को उखाड़ कर खेत निकाल देना चाहिए। यह प्रक्रिया फसल में फूल आने से पहले करना आवश्यक होता है। खेत से रोगी पौधों बीमारी से ग्रसित पौधों को शीघ्र ही खेत निकाल देना चाहिए तथा खेत में उगे हुए सत्यानाशी के पौधों को फूल आने से पहले ही उखाड़ देना चाहिए।

कटाई मड़ाई— सरसों कुल की सभी फसलों की कटाई 110 से 155 दिन के बाद की जाती है जब 75 प्रतिशत फलियां सुनहरे रंग की हो जाएं फसल को काटकर सुखाकर व मड़ाई करके बीज अलग करना चाहिए यदि पकने के पश्चात कटाई नहीं की जाती है तो फलियां चटकने लगती हैं मड़ाई के पश्चात बीज को सुखाकर (नमी 7-9 प्रतिशत), ही भंडारित करना चाहिए।

उपज— सिंचित क्षेत्रों में राई सरसों की उपज 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर एवं असिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है।

बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि०, यूनिट—कुन्दरखी, गोण्डा

प्रिय किसान भाईयों,

जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ना फसल किसान भाईयों के लिए सबसे लाभकारी फसल साबित हो रहा है। किसान भाईयों को पुरानी पद्धति को छोड़कर, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके अपने उपज को 25-35 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। गन्ने की बुवाई में निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है—

1. किसान भाई उन्नतशील प्रजातियों को 0-0118, को 0 15023, कोलख 14201 एवं कोशा 13235 की ही बुवाई करें।
2. गन्ने की बुवाई से पहले खेत में ट्राइकोडर्मा का कल्चर बनाकर खेत में डालने के बाद अच्छी तरह से जुताई अवश्य कराएँ।
3. गन्ना बीज शोधन का कार्य बाविरटीन/कर्विन्डाजिम/हेक्सास्टाप से अवश्य कराएँ।
4. गन्ने का टुकड़ा तेजधार वाले यन्त्र से ही कटाई कराये और दो आंख के टुकड़े की बुवाई करें।
5. उर्वरक का सन्तुलित प्रयोग करें।

एन. के. दुबे
महाप्रबन्धक (गन्ना)

पी. एन. सिंह
उपाध्यक्ष/इकाई प्रमुख

विश्व का सर्वोत्तम चावल कालानमक

- खाने में मुलायम, सुगंधित और स्वादिष्ट
- 2 गुना प्रोटीन, 3 गुना आयरन, 4 गुना जस्ता
- सुगर फ्री (49–52 ग्लाइसमिक इण्डेक्स)
- विटामिन ए से परिपूर्ण
- अत्यंत सुगंधित
- किसान की आमदनी 3 गुनी



कालानमक बीज (केएन3, बौना कालानमक 101 व 102 तथा कालानमक किरण) एवं इसका चावल (पालिस्ड और बिना पालीस किया हुआ) निम्न पते पर उपलब्ध है।

डा. आर. सी. चौधरी, अध्यक्ष, पीआरडीएफ
59 नहर रोड, शिवपुर सहबाजगंज, पो0 जंगल
सालिकराम, गोरखपुर-273014 (यूपी.),
मोबाइल नं. 9450966091, 9415173984
इमेल: prdfseedsgkp@gmail.com
ram.chaudhary@gmail.com



TUHUM BIOTECH
SEEDS PVT. LTD.
Every Step with farmers

PLOT No.28, Baytha Village, Hesargatta 2, Hubballi, Bangalore, Karnataka-560059



तुहुम सीड का वायदा
लागत कम, मुनाफा ज्यादा !

HYBRID BOTTLE GOURD

1. भरावदार ज्यादा डाली वाला पौधा
 2. जल्दी और सतत फल देने की क्षमता
- सीधा, बेलन आकार हरे रंग की लौकी लम्बे परिवहन के लिए भी उपयुक्त



F1 AMRITA 08

F1 SUHANI



TUHUM BIOTECH
SEEDS PVT. LTD.
Every Step with farmers

PLOT No.28, Baytha Village, Hesargatta 2, Hubballi, Bangalore, Karnataka-560059



HYBRID BITTER GOURD
तुहुम सीड का वायदा
लागत कम, मुनाफा ज्यादा !

1. 45–50 दिन में फल आने की शुरुआत
 2. अच्छी मांग वाला शानदार फल
 3. आकर्षक हरा मध्यम आकार का फल
- फल की लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर लम्बे परिवहन के लिए भी उपयुक्त



F1 SAMRIDHI





क्या आप रोजगार की तलाश में हैं?

हम करेंगे आपकी सहायता

1. बुझाए और निरूप करने में।
2. आपका परामर्श प्रदान करने में।
3. बैंक से ऋण लेने में।
4. नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने में।

दो घण्टे सीमित अवधि के दौरान हमें 5000-20000 अधिक

- ऋण, परामर्श प्रदान करने के लिए के आसानी में।
- पर बैंक के आस-पास स्थित बैंक की टाउन्स www.rsetiindia.org पर डॉक्यूमेंट को।



आर.से.टी. क्या है ?

ग्रामीण स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना (आर.से.टी.) भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें ग्रामीणों को रोजगार की तलाश करने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

आर.से.टी. की विशेषताएं

1. निःशुल्क प्रशिक्षण।
2. आर.से.टी. के अंतर्गत ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
3. आर.से.टी. के अंतर्गत ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
4. ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
5. ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
6. ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
7. ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
8. ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

बैंक ऑफ़ बड़ोदा
Bank of Baroda



आर.से.टी. के प्रशिक्षण की विशेषताएं



- प्रशिक्षण प्रशिक्षण में शामिल होना।
- प्रशिक्षण प्रशिक्षण में शामिल होना।
- प्रशिक्षण प्रशिक्षण में शामिल होना।
- प्रशिक्षण प्रशिक्षण में शामिल होना।
- प्रशिक्षण प्रशिक्षण में शामिल होना।
- प्रशिक्षण प्रशिक्षण में शामिल होना।

उत्पादन विशेषताएं	प्रशिक्षण/उत्पादन के लिए प्रमुख	मुख्य प्रमुख
<ul style="list-style-type: none"> • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. 	<ul style="list-style-type: none"> • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. 	<ul style="list-style-type: none"> • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी. • आर.से.टी.

प्रशिक्षण के प्रकार एवं सुविधाएं

- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

प्रशिक्षण के प्रकार एवं सुविधाएं

- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

वेबसाइट: www.rsetiindia.org
 वेबसाइट: www.rsetiindia.org



उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जनपद-मऊ।

“औद्यानिकी की यही पहचान, सुखी एवं समृद्ध किसान”

जनपद के किसानों के हितार्थ निम्न योजनाएँ संचालित हैं।

1. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:-** आम, अमरुद बागवानी, संकर शाकभाजी की खेती (गोभीवर्गीय, टमाटर, शिमला मिर्च एवं कद्दूवर्गीय), परवल, मिर्च, प्याज, धनियां आदि फसलों पर अनुमन्य अनुदान/निवेश निःशुल्क देय है।
2. **पर ड्रॉप मोर काप- “माइक्रोइरीगेशन”:-** योजना में ड्रिप, मिनी स्प्रींकलर, पोर्टेबल स्प्रींकलर, रेनगन आदि पर डी0बी0टी0 माध्यम से 65 से 90 प्रतिशत तक अनुदान देय है।
3. **अनुसूचित जाति कृषकों के औद्यानिक विकास की योजना:-** योजना में विभिन्न शाकभाजी, मसाला, पुष्प की खेती पर 90 प्रतिशत अनुमन्य अनुदान/निवेश निःशुल्क देय है।
4. **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी0एम0एफ0एम0ई0):-** खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना/उच्चीकरण पर लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये राज्य सहायता बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में देय है।

योजनाओं में पंजीकरण करायें और लाभ उठाएँ।

उक्त के अतिरिक्त पालीहाउस, मशरूम उत्पादन इकाई, मधुमक्खी पालन, गृह वाटिका आदि कार्यक्रमों हेतु राज्य सहायता एवं तकनीकी जानकारी हेतु कार्यालय-जिला उद्यान अधिकारी, विकास भवन, मऊ में सम्पर्क करें, मो0-9415262566, 9984802065



मसूर का एकीकृत फसल प्रबंधन

संदीप कुमार*, आर० के० सिंह** एवं सोमेन्द्र नाथ***

दलहनी फसलों में मसूर का एक प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती भारत के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। मसूर के सेवन को चिकित्सक रोगनाशी मानते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशा, कैल्शियम, आयरन, राइबोफ्लोविन आदि पौषक तत्व पाए जाते हैं। मसूर की खेती के लिए दोमट एवं भारी मिट्टी उपयुक्त और इसकी बुवाई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक की जा सकती है। इसकी खेती सिंचित के साथ असिंचित क्षेत्रों तथा विपरीत परिस्थितियों वाली जलवायु में भी सफलता पूर्वक की जा सकती है। मसूर की फसल में शस्य क्रियाएं जैसे—खाद—बीज प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और कीट व व्याधियों का प्रबंधन वैज्ञानिक विधि से यदि नहीं किया गया तो उत्पादन में कमी आ जाती है। इस प्रकार मसूर की फसल का भरपूर उपज प्राप्त करने के लिए 'एकीकृत फसल प्रबंधन' आवश्यक है।

खेत की तैयारी और बुआई विधि:

मसूर की खेती के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से दो या तीन बार जुताई कर के पाटा लगा देना चाहिए। अगर रोटोवेटर या पावर हैरो से जुताई की जा रही है, तो एक बार जुताई करना ही काफी होता है। किसान ऊसरीली या क्षारीय भूमि में मसूर खेती बिल्कुल भी न करें। मसूर की बुवाई के लिए यदि दाना छोटा है तो 40-45 कि.ग्रा., दाना बड़ा है तो 55-60 कि.ग्रा. तथा ताल क्षेत्र है तो 60-80 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर दर से बीज की आवश्यकता होगी। बुआई के लिए सामान्य दशा में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 सेमी तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी व देर से बुआई की स्थिति में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेमी ही रखें। उतेरा विधि से बोआई करने हेतु धान की खड़ी फसल में अंतिम सिंचाई के बाद बीज छिटक कर बुआई करते हैं और 1.5 गुना अधिक बीज दर का प्रयोग करते हैं। ताल क्षेत्र में वर्षा का पानी हटने के बाद, सीधे बिना जूताई किए

हल से बीज नाली बना कर बुआई की जा सकती है।

उन्नतशील किस्में:

नरेंद्र मसूर-1, पूसा-1, पंत एल-406, नूरी (आईपीएल-81), पंत एल-639 मसूर की किस्में बढ़िया उपज के लिए जानी जाती हैं। **उकटा प्रतिरोधी किस्में**— पीएल-02, पंत मसूर (पीएल-063), के एल बी-303, पूसा वैभव (एल-4147), आइ पी. एल- 316 **छोटे दाने वाली प्रजातियां**— पंत मसूर-4, पूसा वैभव, आपीएल-406, पंत मसूर-639, डीपीएल-32, पीएल0-5, पीएल-6, **बड़े दाने वाली प्रजातियां**— डीपीएल-62, पीएल-3, नूरी (आईपीएल-81), पीएल-5, डीपीएल-15, (प्रिया), आईपीएल-316, आईपीएल-406, पीएल-7

बीज शोधन एवं बीजोपचार:

बीज जनित फफूंदी रोगों से बचाव के लिए थीरम एवं कार्बेन्डाजिम (2:1) से 3 ग्राम अथवा थीरम 3.0 ग्राम अथवा कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित कर लें। तत्पश्चात कीटों से बचाव के लिए बीजों को क्लोरोपाइरीफास 20 ई.सी., 6 मि.ली. प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित कर लें। इसके अलावा बीजोपचार हेतु 10 कि.ग्रा. मसूर के बीज के लिए राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट (200 ग्राम) पर्याप्त होता है। 100 ग्राम गुड़ को एक लीटर पानी में घोलकर उबाल लें, इसके बाद ठंडा होने पर घोल में राइजोबियम कल्चर मिला दें, तत्पश्चात कल्चर में बीज डाल कर अच्छी प्रकार मिला लें। उपचारित बीज को छाया में सूखा कर दोपहर के बाद बुवाई करें।

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन:

मसूर की बढ़िया पैदावार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कम्पोस्ट खाद देना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक के तौर पर 15-20

*विषय वस्तु विशेषज्ञ, पादप सुरक्षा, **प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, अमिहित जौनपुर, ***विषय वस्तु विशेषज्ञ, शस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केन्द्र, बलिया, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या

किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फास्फोरस, 20 किग्रा पोटाश और 20 किग्रा सल्फर का प्रति हेक्टेयर प्रयोग बुवाई के समय करें। असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों की 50 प्रतिशत मात्रा का प्रयोग बुवाई के समय करें। यदि भूमि में जस्ता (जिंक) की कमी है तो 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग उर्वरकों के साथ खेत में करें।

सिंचाई प्रबन्धन:

मसूर के बीज कम नमी में भी अंकुरित हो सकते हैं और इसके पौधों की बढ़िया वृद्धि एवं विकास के लिए एक या दो सिंचाई पर्याप्त मानी जाती हैं। पहली सिंचाई 30-40 दिनों के बाद और दूसरी सिंचाई फली में दाना पड़ते समय करना लाभदायक होता है। किसान सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करें तो अच्छी उपज ले सकते हैं। इसके अलावा इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सिंचाई के समय खेत में पानी जमा न होने पाए।

खरपतवार प्रबन्धन:

मसूर की बुआई के तुरन्त बाद यानि एक से दो दिन के अंदर खरपतवारनाशी पेन्डीमिथालीन 30 ई.सी. की 3.0-3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बुआई से 25-30 दिन बाद एक निराई करना पर्याप्त रहता है, यदि दूसरी निराई की आवश्यकता हो तो बुवाई के 40-45 की फसल अवस्था पर करें।

मसूर के रोग एवं प्रबन्धन:

गेरूआ या रस्ट:— यह रोग यूरोमायसिस फेबी नामक फफूँद से होता है। रोग के लक्षण पर्णवृंत तथा पत्तियों की उपरी व निचली सतहों पर हल्के पीले रंग के उठे हुए चूर्ण युक्त धब्बो (स्पोट) के रूप में प्रकट होते हैं जो बाद में क्रीम या भूरे रंग के हो जाते हैं। रोग का आक्रमण प्रायः खेत के निचले क्षेत्र से प्रारंभ होकर उपर की तरफ फैलता है।

म्लानि (उकठा रोग):— यह रोग फ्यूजेरिम आक्सीस्पोरम फा स्पि लेन्टिस नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है। यह मृदा जनित रोग है। रोग के लक्षण बुवाई से लेकर पौधे की परिपक्व अवस्था तक देखे जा सकते हैं। रोगी पौधे का ऊपरी भाग झुक

जाता है। पत्तियां मुरझाने लगती हैं व अंत में पूरा पौधा सूख जाता है।

ग्रीवा विगलन रोग:— यह रोग स्वलेरोशियम रोल्फसाई नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है तथा यह बीज व मृदा जनित रोग है। इस रोग से पौधे शुरू से लेकर परिपक्व अवस्था तक ग्रसित हो सकते हैं। यह रोग प्रमुखतः नवोदभिद पौधों की ग्रीवा क्षेत्र में आक्रमण करता है। रोगी पौधों के ग्रीवा पर जलासिक्त धब्बे बन जाते हैं तथा बाद में ये भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिक संक्रमण के कारण रोगी पौधा ग्रीवा से टूट जाता है।

तना सड़न रोग:— यह रोग स्वलेरोटिनिया स्वलेरोसियोरम नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है। यह मृदा एवं बीज जनित रोग है। रोगी पौधे पीले पड़ जाते हैं। इस रोग का संक्रमण फलियों व दानों पर भी हो जाता है और पूरा पौधा सूख जाता है।

जड़ सड़न रोग:— यह रोग राइजोक्टोनिया सोलेनाई व राइजोक्टोनिया बटाटीकोला नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है। यह मृदा जनित रोग है। आर्द्र जड़ सड़न में रोगी जड़ें भूरे रंग की जलयुक्त हो जाती हैं। पूरा पौधा पीला हो जाता है तथा सूख जाता है।

मृदुरोमिल आसिता रोग:— यह रोग पेरोनोस्पोरा लेन्टिस नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है तथा यह मृदा जनित रोग है। आर्द्र मौसम में निचली सतह पर कवक की मृदुरोमिल वृद्धि दिखाई पड़ती है। बाद में पत्तियों पर बने धब्बे गहरे रंग के हो जाते हैं और रोगी पौधा छोटा रह जाता है।

प्रबन्धन:

- रोगी पौधों को एकत्र करके नष्ट कर दें।
- सदैव स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों को बुवाई के लिए प्रयोग करें।
- बुवाई से पहले बीज को उपचारित करें।
- ट्राइकोडर्मा 4 किग्रा पाउडर को 25 क्विंटल गोबर की खाद में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुवाई से पहले डालें।

- गर्मी के दिनों में खेत की तीन-चार जुताई करें।
- खड़ी फसल में कवकनाशी कार्बेन्डाजिम 50 डब्ल्यू. पी. की 1.0 मिली० अथवा एजाक्सीस्ट्रोबिन 18.2 प्रतिशत + डाइफेनकोनाजोल 11.4 प्रतिशत की 1.5 मिली० मात्रा प्रति ली० की दर से छिड़काव करें।

कीट प्रबन्धन:

माहूँ कीट:— इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ पत्तियों तनी एवं फलियों का रस चूसकर कमजोर कर देते हैं, माहूँ मधुसूत्राव छोड़ते हैं जिस पर काली फफूँ उग आती हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है। इसकी रोकथाम के लिए डाईमथोएट 30 प्रतिशत ई० सी० की 2.0 मिली० अथवा ईमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस. एल. की 0.5 मिली० मात्रा प्रति ली० की दर से छिड़काव करें।

फली बेधक कीट:— इस कीट की सूँडीयां फलियों में छेद बनाकर अन्दर घुस जाती हैं। तथा अन्दर अन्दर ही दानों को खाती रहती हैं। तीव्र प्रकोप होने की दशा

में फलियां खोखली हो जाती हैं तथा उत्पादन में गिरावट आ जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए बैसिलस थूरिनजिएन्सिस (बी० टी०) 1.0 किग्रा का 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। रासायनिक दवाओं में इन्डाक्साकार्ब 14.5 एस०सी० 1.0 मिली० अथवा क्वीनालफॉस 2.0 मिली० अथवा कार्बेरिल 2.0 ग्राम प्रति ली० की दर से छिड़काव करें।

कटाई, मड़ाई एवं भण्डारण:— जब 70-80 प्रतिशत फलियां पक जाएं, हंसिया या हारवेस्टर से कटाई आरम्भ कर दें। फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक उचित प्रबन्धन किया जाय तो 15-20 क्विन्टल उपज प्राप्त होती है। भण्डारण के समय दानों में नमी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। इसके बाद भण्डार गृह में अल्यूमीनियम फास्फाइड की 2 गोलियां प्रति मीट्रिक टन के हिसाब रखें जिससे भण्डार कीटों का प्रकोप न हो सके।

अमेठी हरित फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

हॉउस न.120, वार्ड न. 11, चाणक्य पुरी, अमेठी, उत्तर प्रदेश

वेबसाइट: <http://haritfarmerproducer.com>

Email: amethiharitfarmer.producer@gamil.com

Mb. 7007647631(whatsapp), 8795314073

एफ. पी.ओ के कार्य

- मिलेट उत्पादन एवं प्रोसेसिंग
- माइक्रो इरीगेशन आल वर्क
- धान गेंहू बीज उत्पादन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डा. अवधेश कुमार मिश्र

पूर्व निजी सचिव भारत रत्न माननीय नाना जी देशमुख

प्रबन्ध निदेशक

सतीश कुमार मिश्र

बदलती प्रकृति का हल श्रीराम संग विज्ञान का बल



Better Science.
Better Harvest.



श्रीराम फार्म सोल्यूशन्स एक ऐसा नाम है जिसने पिछले 5 दशकों से लगातार बदलते कृषि परिवेश को आधुनिक और वैज्ञानिक समाधानों से सशक्त किया है।

बदलते समय के साथ खेती को आधुनिक बनाने और नई उभरती चुनौतियों से लड़ने के लिये श्रीराम के नए युग की टेक्नोलॉजी से लैस सर्वश्रेष्ठा उत्पादों ने एक अहम भूमिका निभायी है। और यही कारण है कि भारतीय किसानों के लिए श्रीराम केवल एक कंपनी नहीं बल्कि विज्ञान, विश्वास और विश्वसनीयता का पर्याय है।

भारत भर में फैले हमारे अनुसंधान केंद्र, विश्वस्तरीय आर एंड डी लैब्स, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के अनुभव के साथ, और विश्वभर के प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थाओं के साथ हम लगातार उत्कृष्ट उत्पाद विकसित कर रहे हैं। इन सारे उत्पादों का विभिन्न क्षेत्रों और परिस्थितियों में श्रीराम के ट्रायलिंग प्रोग्राम द्वारा परिक्षण किया जाता है व इनके सफल परिणाम के बाद ही इन्हें किसान के खेतों तक पहुंचाया जाता है।

आज श्रीराम के उत्पाद ना केवल उत्पादकता बढ़ाने में किसानों की मदद करते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण व सुधार में भी अपना योगदान देते हैं।



उत्तम बीज



विशिष्ट
फसल उर्वरक




फसल
सुरक्षा समाधान

आधुनिक वैज्ञानिक कृषि समाधानों
के लिए हमारा QR कोड स्कैन करें:



जिला उद्यान अधिकारी, जौनपुर

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	इकाई लागत	अनुमत्य सहायकता/अनुदान	संरक्षित खेती	
1	एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना				
A	तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन हेतु			A पाली हाउस-नेचुरली वेन्टीलेटेड (अधिकतम 4000 वर्ग मी) ₹0844/वर्गमी 50% अधिकतम ₹016.88 लाख	
B	पैक हाउस (6x9मीटर)	₹0 4 लाख	50% अधिकतम ₹ 2 लाख	B शेडनेट हाउस (अधिकतम 4000 वर्गमी) ₹0710/वर्गमी 50% अधिकतम ₹0 14.20 लाख	
C	लघु प्रसंस्करण इकाई	₹0 2 लाख	50% अधिकतम ₹ 1 लाख	C संरक्षित स्ट्रक्चर में सब्जी फलों की खेती (अधिकतम 4000 वर्गमी) ₹0140/वर्गमी से 700/वर्गमी 50% अधिकतम ₹0 2.80 लाख से ₹0 1400 लाख तक	
D	प्याज भण्डारण गृह (26 मी0टन0)	₹0 1.75 लाख	50% अधिकतम ₹ 87500	बागवानी में मशीनीकरण हेतु सुविधायें	
E	कोल्ड रूम (30 टन क्षमता)	₹0 15 लाख	35% अधिकतम ₹ 5.25 लाख ऋण आधारित	A मशीनीकरण-ट्रैक्टर 20 एचपी0 से कम ₹0 3 लाख 35% अधिकतम ₹0 1 लाख	
F	रेफ्रिगेरेशन बैन (9 टन क्षमता)	₹0 26 लाख	35% अधिकतम ₹ 9.10 लाख ऋण आधारित	B मशीनीकरण-पावर ट्रिलर 8 एचपी0 से अधिक ₹0 1.50 लाख 50% अधिकतम ₹0 75 हजार	
G	राइपरिंग चैम्बर (300 टन तक)	₹0 1 लाख/टन	35% अधिकतम ₹ 105 लाख ऋण आधारित	C मशीनीकरण-पावर ट्रिलर 8 एचपी0 से कम ₹0 1 लाख 50% अधिकतम ₹0 50 हजार	
H	इटीग्रेटेड पैक हाउस	₹0 50 लाख	35% अधिकतम ₹ 17.50 लाख ऋण आधारित	D ट्रैक्टर माउण्टेड/पावर आपरेटेड स्प्रेयर 35 एचपी0 से अधिक ₹0 1.26 लाख 40% अधिकतम ₹0 50 हजार	
I	कोल्ड स्टोरेज टाइप-1 (अधिकतम 5000 टन)	₹0 8000/टन	35% अधिकतम ₹ 140 लाख ऋण आधारित	E प्लास्टिक मल्व लेइंग मशीन ₹0 0.75 लाख 40% अधिकतम ₹0 28 हजार	
J	कोल्ड स्टोरेज टाइप-2 (अधिकतम 5000 टन)	₹0 10000/टन	35% अधिकतम ₹ 175 लाख ऋण आधारित	मशीन उत्पादन	
K	एड-आन टेक्नालॉजी-सोलर पावर	₹0 35 लाख	35% अधिकतम ₹ 12.25 लाख ऋण आधारित	A मशरूम उत्पादन हेतु कम्पोस्ट उत्पादन इकाई ₹0 20 लाख 40% अधिकतम ₹ 8 लाख ऋण आधारित	
	बागवानी विकास (क्षेत्र विस्तार) हेतु सुविधायें			B मशरूम उत्पादन हेतु स्पान उत्पादन इकाई ₹0 15 लाख 40% अधिकतम ₹ 6 लाख ऋण आधारित	
A	फल क्षेत्र विस्तार (केला, पपीता, आम, अनारुद, लीची, नींबू, स्ट्राबेरी, ड्रैगन फ्रूट आदि)	₹0 0.255 से ₹ 1.25 लाख तक	लागत का 40 से 50% अधिकतम ₹ 12750 से ₹ 50000 तक	C मशरूम उत्पादन हेतु अवस्थापना उत्पादन इकाई ₹0 20 लाख 40% अधिकतम ₹ 8 लाख ऋण आधारित	
B	संकर शाकभाजी की खेती	₹ 0.50 लाख	40% अधिकतम ₹ 20000	2 पर ड्राप मोर काप-माइक्रोड्रीगेशन योजना	
C	मशाला फलों की खेती	₹ 0.30 लाख	40% अधिकतम ₹ 12000	A ड्रिप/मिमी/माइक्रो सिंक्रलर सिंचाई ₹0 0.28 लाख से ₹ 1.46 लाख तक 80 से 90%	
D	फूलों की खेती (गेंदा, रौडियोलस, गुलाब, रंजनीगंधा)	₹ 0.40 लाख से ₹01.50 लाख तक	लागत का 25 से 40% अधिकतम ₹0 10000 से 37500 तक	B पोर्टेबल सिंक्रलर/रिंगन सिंक्रलर सिंचाई ₹0 0.25 लाख से ₹ 0.43 लाख तक 65 से 75%	
E	पुराने बागों का जीर्णोद्धार/कैनोपी मैननेजमेंट	₹0 40 हजार/हे0	50% अधिकतम ₹0 20000	3 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजन	
				A नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा पूर्व स्थिति इकाइयों का उन्नयन इकाई लागत का 35% अधिकतम 10 लाख	



कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनायें एवं अनुमान्य सुविधायें:-

जनपद का नाम:- जौनपुर

प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से अनेक योजनाओं का संचालन कर विभिन्न प्रकार का सहयोग अनुदान के रूप में किसानों को दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुये किसान पावदर्शी पोर्टल (www.agriculture.up.gov.in) पर पंजीकृत कृषकों को उनकी मांग के अनुसार क्रय किये जाने के फलस्वरूप पोर्टल पर बिल/रसीद को अपलोड करने के उपरान्त अनुदान की धनराशि कृषक के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित की जा रही है। योजनाओं का विवरण निम्नवत है।

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुदान
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)	1-कस्तूर प्रदर्शन-₹0 9000/हे0 2-कस्तूर पत्रिका-₹0 15000/हे0 3-कृषि यंत्रों पर SC/ST/महिला कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत
2	सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना (SMLE)	1-कस्तूर प्रदर्शन ₹0 400/प्रदर्शन/एकड़ 2-प्रत्येक फार्म स्कूल प्रदर्शन हेतु ₹0 7500.00 3-कुल प्रतिभाग हेतु ₹0 250.00 से ₹0 1250.00/कृषक/विजस 4-कृषक प्रमाण हेतु ₹0 300.00 से ₹0 1000.00/कृषक/विजस
3	सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM)	1-महिला कृषक SC/ST कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत 2-प्लान मशीनरी बैंक (अधिकतम ₹0 10 लाख) का 80 प्रतिशत अधिकतम 80 लाख तक 3-कस्तूर हाउसिंग सेक्टर को अनुदान हेतु रीट्टेड क्लेम रजिस्ट्रार मैनेजमेंट यंत्रों पर लागत का 80 प्रतिशत एवं कृषि यंत्रों पर 40 प्रतिशत तक अनुदान विजसों किसान ट्रैक्टर भी जे जा सकता है।
4	मैशानल मिशन आन आधुनिकीकरण एण्ड आधुनिकीकरण	1- मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹0 2000/हे0 का अनुदान प्रत्येक/हे0/हे0 किसानों पर ₹0 50.00 प्रति हेक्टर (पीपीपी) यंत्रों पर ₹0 35 प्रति हेक्टर
5	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएमएस) किसान योजना	1- 14 हज़ी किसान को सिंचे ई-वॉटरिंग/सीड ड्रिप सिंचन, आयरन सीडिंग कानन अधिकतम है
6	विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा क्रीट/रोम निर्माण योजना	1-सीड कोषण हेतु अधिकतम ₹0 150/हे0 2-बायोरेक्टर/बायो गैस हेतु अधिकतम ₹0 500/हे0 का अनुदान 3-कृषि रक्षा रक्तवर्षों पर अधिकतम ₹0 500 प्रति हे0 को अनुदान की सुविधा
7	परिष्कृत बीनदाल आयातक कृषि समृद्धि योजना	1-सीड बंजर भूमि में सुचारु तथा फल-प्रतिफल अनुदान 2-कस्तूर उत्पादन, बसगायी, कृषि यंत्रिका हेतु अधिकतम 50 प्रतिशत का अनुदान
8	खेत तालाब की योजना	1-लघु तालाब (22x20x3 मीटर) को तालाबों पर ₹0 52500.00 का अनुदान 2-मध्यम आकार (35x30x3 मीटर) के तालाबों पर ₹0 114200.00 का अनुदान
9	पीएमएस कृषक योजना	1- विभिन्न आकार के सोलर पम्प 60 प्रतिशत अनुदान पर बैंक
10	सी उपान योजना	1- नि:शुल्क मिलेट्स बीज क्लियर
11	प्रतिष्ठित कृषि उद्योगों का विकास योजना	1-कृषि उत्पादकों को रोजगार को सिंचे इन स्टार्ट अप योजना

कृषि विभाग - जौनपुर

राजमा की वैज्ञानिक खेती

राम लखन सिंह* एवं पी. के. मिश्रा**

राजमा एक दलहनी फसल है। इसकी खेती मैदानी क्षेत्रों में रबी मौसम में की जाती है। इसकी जड़ों में राइजोबियम की ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। राजमा फसल के दाने की सब्जी बनाई जाती है। इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है।

भूमि: इसकी खेती के लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट या हल्की दोमट भूमि उपयुक्त है। भूमि में जीवांश कार्बन की पर्याप्त मात्रा होने पर पैदावार अच्छी मिलती है।

भूमि की तैयारी: पहली जुताई मिट्टी पलट हल से तथा 2-3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने पर खेत तैयार हो जाता है। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाने से मिट्टी भुरभुरी तथा खेत समतल हो जाता है। इसके साथ-2 नमी भी सुरक्षित रहती है। बुवाई के समय भूमि में पर्याप्त नमी होना अति आवश्यक है।

संस्तुत प्रजातियाँ

बीज शोधन: उपयुक्त फफूँदीनाशक पाउडर जैसे कार्बेन्डाजिम या थीरम 2 ग्राम/प्रति किग्रा० बीज की दर से बीज शोधन करने से अंकुरण के समय लगने वाले रोगों का प्रकोप नहीं होता है।

बीज की मात्रा: बीज दर 120 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अंतरण दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30-40 सेमी० तथा पौधा से पौधा 10 सेमी०। बीज 8-10 सेमी० गहराई में बोना चाहिए ताकि बीज को पर्याप्त नमी मिल सके।

बुवाई: अक्टूबर का तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह बुवाई के लिए उपयुक्त है। पूर्वी क्षेत्र में नवम्बर के प्रथम सप्ताह में भी बुवाई की जाती है। विलंब से बुवाई करने पर उत्पादन कम प्राप्त होता है।

उर्वरक: मृदा नमूना परीक्षण की संस्कृति के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। मृदा परीक्षण न करवाने की स्थिति में 120 किग्रा० नत्रजन, 60 किग्रा० फास्फोरस एवं 30 किग्रा० पोटैश प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में जरूरत होती है। नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटैश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी या बुवाई के समय प्रयोग करना चाहिए। नत्रजन की शेष आधी मात्रा टाप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। 20 किग्रा० गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी करते समय या खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। गंधक का प्रयोग करने से फसल की पैदावार अच्छी मिलती है। जिप्सम उपलब्ध होने पर इसकी दो कुंतल मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी करते समय खेत में मिला देने से गंधक की आपूर्ति हो जाती है। जिप्सम का प्रयोग करने से खेत की मिट्टी मुलायम होती है तथा भूमि का ऊसरीलापन कम हो जाता है। डीएपी के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करने से फास्फोरस तत्व के साथ गंधक भी फसल को मिल जाता है।

यूरिया के 2.0 प्रतिशत घोल का पर्णिय छिड़काव फसल बुवाई के 30 दिन तथा 50 दिन पर करने से उपज में वृद्धि होती है। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग के स्थान पर नैनो यूरिया की 4.0 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से फसल की उपज में वृद्धि होती है।

सिंचाई: राजमा में 2 या 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई बुवाई के चार सप्ताह बाद अवश्य करना चाहिए। बाद की सिंचाइयां आवश्यकतानुसार एक माह के अन्तराल पर करें। हल्की सिंचाई करना चाहिए ताकि खेत में जल भराव की स्थिति न हो।

*वि.व.वि./सह प्राध्यापक शस्य विज्ञान, **वि.व.वि./सह प्राध्यापक कृषि वानिकी, कृषि विज्ञान केन्द्र, मनकापुर गोण्डा-।।

कम सं	प्रजाति	दाना का रंग	उत्पादकता (कु0/हे0)	पकने की अवधि (दिन)	उपयुक्त क्षेत्र
1	पी०डी०आर-14 (उदय)	लाल चित्तीदार	30-35	125-130	प्रदेश का मध्य एवं पूर्वी क्षेत्र।
2	मालवीय-137	लाल	25-30	110-115	मध्य एवं पूर्वी क्षेत्र।
3	वी०एल०-63	भूरा चित्तीदार	25-30	115-120	रबी मे मैदानी क्षेत्र
4	अम्बर (आई०आई०पी०आर-96-4)	लाल चित्तीदार	20-25	120-125	पूर्वी उ०प्र०।
5	अरुण	लाल	15-18	120-125	सम्पूर्ण उ०प्र० वायरस अवरोधी।
6	उत्कर्ष (आई०आई०पी०आर-98-5)	गहरा चित्तीदार	20-25	130-135	पूर्वी उ०प्र०।

निराई-गुड़ाई: पहली सिंचाई के बाद निराई एवं गुड़ाई करना चाहिए। गुड़ाई के समय थोड़ी मिट्टी पौधे पर चढ़ा देनी चाहिए ताकि फली लगने पर पौधे को सहारा मिल सके। फसल बुवाई के तुरन्त बाद व जमाव से पहले पेन्डीमेथलीन 30 ईसी की 3.30 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से खरपतवारों का जमाव नहीं होता है।

रोग नियंत्रण: पत्तियों पर मौजेक रोग का लक्षण दिखाई देने पर डाइमथोएट 30 ई.सी. की 1.0 लीटर मात्रा अथवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. की 250

मिली० मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण हो जाता है। जिससे इस रोग का फैलाव नहीं हो पाता है। रोगी पौधे दिखाई देने पर मिट्टी में डाल दें अथवा जलकर नष्ट कर दें, ताकि रोग का फैलाव न हो सके।

फसल कटाई एवं भण्डारण: फलियां पक जाने पर फसल की कटाई कर लेना चाहिए। अधिक सुखाने पर फलियां चटकने लगती हैं। मड़ाई करके दाना निकाल कर अलग कर लेते हैं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जनपद-चन्दौली

विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण-

1. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-** यह योजना ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से "प्रथम आवक-प्रथम पावक" के सिद्धान्त पर संचालित है। इस योजनान्तर्गत जनपद में औद्योगिक एवं कृषिगत फसलों की ड्रिप/सिंप्रंकलर पद्धति से सिंचाई के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य ड्रिप/सिंप्रंकलर सिंचाई पद्धति से 70 प्रतिशत पानी की बचत कराते हुए कम समय एवं कम लागत में डेढ़ गुना अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों (2.00 हे० से कम जोत) को 90 प्रतिशत अनुदान एवं सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।

1. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (30 नान एन०एच०एम० जनपद)-** यह योजना ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से "प्रथम आवक-प्रथम पावक" के सिद्धान्त पर संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को विभिन्न औद्योगिक कार्यक्रमों में अनुदान के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है जैसे- फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (आम, अमरुद, किन्नो, नीबू वर्गीय एवं केला), हाईवैल्यू वेजीटेबल क्राप्स (शिमला मिर्च, टमाटर, बन्दगोभी, फूलगोभी, कद्दूवर्गीय सब्जियां एवं परवल इत्यादि), मशाला वर्गीय फसलों की खेती (मिर्च, प्याज एवं लहसुन) तथा फूलों की खेती (गेंदा, गुलाब इत्यादि)। योजनान्तर्गत कार्यक्रमों में 40-50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त पैक हाउस, प्याज भण्डार गृह, संरक्षित खेती (पालीहाउस/ग्रीनहाउस) तथा शीतगृहों इत्यादि परियोजना आधारित कार्यक्रमों की स्थापना पर लगभग 50 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य है।

2. **अनुसूचित जाति/जनजाति (राज्य सेक्टर) कृषकों हेतु औद्योगिक विकास योजना-** यह योजना जनपद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को कृषि के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए संचालित की जाती है। यह योजना "प्रथम आवक-प्रथम पावक" के सिद्धान्त पर ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से संचालित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत कद्दूवर्गीय सब्जी, शिमला मिर्च, मसाला मिर्च, धनिया, लहसुन गेंदा की खेती एवं आई०पी०एम० कार्यक्रम में 75 से 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

3. **नमामि गंगे योजना-** यह योजना गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन उद्यान रोपण जैसे-आम, अमरुद, आंवला, बेर, बेल शरीफा, नीबू, कटहल इत्यादि के नवीन बाग रोपण हेतु 1.00 हे० क्षेत्रफल पर धनराशि रु० 3000.00 प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य है। योजनान्तर्गत 1.00 हे० क्षेत्रफल में नर्सरी स्थापना का भी कार्यक्रम है, जिस पर 7.50 लाख का अनुदान अनुमन्य है। यह योजना भी ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर "प्रथम आवक प्रथम पावक" अनुसार संचालित है।

4. **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना-** इस योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उच्चीकरण हेतु कार्यक्रम संचालित है। योजनान्तर्गत प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उच्चीकरण के परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम धनराशि रु० 10.00 लाख का अनुदान बैंक लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से देय है।

5. **मिनी सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस-** विभाग के प्रक्षेत्र राजकीय संतति उद्यान, माधोपुर, विकास खण्ड-धानापुर, जनपद-चन्दौली में मिनी सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस का निर्माण प्रारम्भ है। इसके निर्माणोपरान्त जनपद के कृषकों को रोग-मुक्त एवं उन्नत किस्म के हाई वैल्यू सब्जियों की पौधे उचित मूल्य पर प्रत्येक मौसम उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त इन्डो-इजरायल तकनीक पर आधारित वृहद सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस का निर्माण भी सम्बन्धित प्रक्षेत्र पर होना प्रस्तावित है।

(अधिक जानकारी हेतु निम्नलिखित मोबाइल नम्बरों -9670189918, 7905227791 सम्पर्क कर सकते हैं अथवा इच्छुक कृषक विभागीय वेबसाइट पर www.dbt.uphorticulture.in अपना पंजीकरण कराकर योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं)

जिला उद्यान अधिकारी, चन्दौली।



वेबसाइट:- www.ctedindia.org, ई-मेल : sanjaisted@yahoo.com
ctedinfo@gmail.com
 फोन : 05361-270320 मो: 9415046619

एक परिचय

सीटेड के संस्थापक निदेशक इंजी. संजय सिंह हैं जो पेशे से इंजीनियर एवं ग्रामीण विकास प्रबंधन में परास्नातक हैं। इंजी0संजय सिंह पिछले दो दशक से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौशल एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इनकी कौशल्य एवं उद्यमिता क्षमता को देखते हुए इन्दिरा गांधी ओपेन विश्वविद्यालय ने इनको राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम समिति का सदस्य तथा ग्रामीण एवं उद्यमिता विकास में परास्नातक डिप्लोमा के कोर्स में राष्ट्रीय स्तर पर पांच सफल उद्यमियों में एक के रूप में पूरा जीवन-परिवय स्थायी रूप से छपा है।



सेन्टर आफ टेक्नोलाजी एण्ड इण्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट(सीटेड) औद्योगिक क्षेत्र, जगदीशपुर, अमेठी

सेन्टर आफ टेक्नोलाजी एण्ड इण्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट(सीटेड) 1997 में स्थापित एक स्वायत्तशासी संस्थान हैं जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 1860 मे पंजीकृत एक आई0एस00 9001:2008 प्रमाणित संस्थान हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्था को उ0प्र0 के लिए राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति का सदस्य के रूप में चयनित किया हैं। संस्था राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम, ग्रामीण विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला कल्याण एवं बाल विकास, उद्योग मंत्रालय, कौशल्य एवं उद्यमिता विकास, कृषि, कपड़ा मंत्रालय इत्यादि के साथ सूची बद्ध होकर पूरे देश में इनकी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं। इसके साथ संस्था, NABARD, Dept. of Panchayati Raj, DST-Govt. of India, DBT-Govt of India, UNDIO, ILO, KVIC, EDII, Deptt. Of Rural Development, UPSACS, SUDA-NULM, SFAC, NCD, UPMKN, UPSDM, MoRD, UPSDM, BSDM, MPSRLM, MANAGE, OSFDC, NPCIL, RGNIYD-MoS&YA, SBM-DoPR, HAL-MoD, BSDM, NSKFDC, NBCFDC, NIOS, OSDA, MoMA, MoSJ&E, NID-MoMSME इत्यादि के साथ सूचीबद्ध होकर भी कार्य कर रही। संस्था ने अभी तक करीब 55,000 बेरोजगार युवाओं में कौशल एवं लगभग 22,000 को उद्यमिता विकास में प्रशिक्षित किया हैं। कुछ विवरण निम्नवत हैं:-

1. कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :- संस्था ने अभी तक 10 राज्यों में विभिन्न योजनान्तर्गत 59 कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया हैं, जिसमें नियमित रूप से आवासीय/गैरआवासीय निःशुल्क प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया हैं और लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया हैं।
2. फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन(एफपीओ) :- नाबार्ड, एसएफएसी, एनसीडीसी एवं आई.टी.सी. के साथ मिलकर 119 फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफपीओ) का संचालन पूरे देश में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 60,500 लघु एवं सीमान्त किसान लाभान्वित हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के फसल जैसे, सब्जियों का उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, काला चावल, धान गेहूँ, आँवला, मिलेट्स आदि का कार्य किया जा रहा है।
3. लेदर गुड्स एण्ड एसोसिएटेड फैशन एसेसरीज क्लस्टर :- स्फूर्ति योजनान्तर्गत संस्था द्वारा चर्म कारीगरों हेतु कामन फेसिलिटी सेन्टर की स्थापना जगदीशपुर मुख्यालय में की गयी हैं जिसमें जनपद के 800 कारीगरों को प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
4. आँवला अमृत फूट प्रोसेसिंग क्लस्टर प्रतापगढ़:- स्फूर्ति योजनान्तर्गत संस्था द्वारा आँवला उत्पादन एवं उत्पाद निर्माण हेतु कामन फेसिलिटी सेन्टर की स्थापना प्रतापगढ़ में की गयी हैं, इसके माध्यम से 700 आवला किसानों को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा हैं ये किसान रोजगार के साथ-साथ अपने घरों से भी आँवला प्रसंस्करण का कार्य कर रहे हैं।
5. टेक्निकल एजेन्सी (स्फूर्ति योजना) :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्फूर्ति योजनान्तर्गत क्लस्टर को बढ़ावा देने हेतु एवं तकनीकी परामर्श हेतु सीटेड को भारत सरकार ने टेक्निकल एजेन्सी बनाया गया हैं और सीटेड के द्वारा देश की 9 संस्थाओं को विभिन्न क्लस्टर को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। ये संस्थाएं एम्ब्रायडरी वर्क, चिकेन वर्क, बुड वर्क, जूट हैण्डिक्राफ्ट, मूज हैण्डिक्राफ्ट,शहद निर्माण, बुडेन ट्वयाज आदि पर कार्य कर रही हैं।
6. कृषि मंत्रालय के सहयोग से एग्री विलनिक एवं एग्री बिजनेस प्रशिक्षण केन्द्र:- नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर एण्ड एक्सटेंशन मैनेजमेंट (मैनेज) हैदराबाद द्वारा सीटेड का चयन नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में किया गया हैं। इसमें युवाओं को 45 दिन का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता हैं। इस योजना में अभी तक 600 युवा प्रशिक्षित होकर कृषि/एग्री से संबंधित क्षेत्र में अपना स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं,
7. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :- उ.प्र. के विभिन्न जिलों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से युवाओं हेतु चार/छः साप्ताहिक निःशुल्क उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं, जिसमें लगभग 18,000 युवक एवं 12,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया हैं और लगभग 12,000 से अधिक लोग अपनी सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों की स्थापना कर स्वरोजगार का कार्य कर रही हैं।
8. वाटर कन्जर्वेशन एण्ड सेनीटेशन कार्यक्रम :- उ.प्र. के विभिन्न विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु एनसीएसटीसी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से 3 दिवसीय निःशुल्क वाटर कन्जर्वेशन एण्ड सेनीटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा हैं। जिसमें 56 विद्यालयों के 3000 विद्यार्थी एवं अध्यापक लाभान्वित हो रहे हैं।
9. साइन्स एवरनस, फेयर एण्ड एकजीविशन :- उ.प्र. के विभिन्न विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु एनसीएसटीसी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से 3 दिवसीय निःशुल्क साइन्स एवरनस, तथा फेयर एण्ड एकजीविशन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं। इस योजना में 32 विद्यालयों के 1600 विद्यार्थी एवं अध्यापक लाभान्वित हो रहे हैं
10. इन्नोवेशन-साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी इण्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट- इस परियोजना में खाद्य प्रसंस्करण, लेदर फुटवियर और मेटल हैण्डिक्राफ्ट में लगभग नई - नई तकनीकों के का आविष्कार किया गया है जिसमें युवाओं को उद्योगों से जोड़ा गया है।
11. जल जीवन मिशन योजना - भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित जल जीवन मिशन हर घर जल के अन्तर्गत संस्थान को जनपद अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली और जालौन के ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल आपूर्ति कराना है, जिसमें 1,20,000 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।
12. संपर्क करें :-सेन्टर आफ टेक्नोलाजी एण्ड इण्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट

रोड नं0-4, इन्डस्ट्रियल एरिया, जगदीशपुर अमेठी,

कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी-बस्ती।

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	इकाई	कुल अनुमन्य लागत रु० प्रति हे०	देय अनुदान का वर्षवार विवरण				
				लागत का प्रतिशत	कुल धनराशि रु०/ हे०	प्रथम वर्ष रु०/ हे०	द्वितीय वर्ष रु०/ हे०	तृतीय वर्ष रु०/ हे०
एकीकृत बागवानी विकास मिशन								
1	केला (टीशू कल्चर) पीछ रोपण (1.8x10.8 मी०)	हे०	102462	40%	40984	30738	10246	0
2	आम पीछ रोपण (5x5 मी०)	हे०	41000	40%	29960	9840	3280	3280
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार गेंदा की खेती	हे०	30000	40%	12000	12000	0	0
4	मसाला कार्यक्रम (लहसुन/प्याज/हल्दी)	हे०	30000	40%	12000	12000	0	0
5	मीन पालन प्रति युनिट (50 बाक्स का सेट)	सं०	176000	50%	88000	88000	0	0
6	नेचुरली वेन्टीलेटेड पाली हाउस का निर्माण (500 वर्ग मी० से 4000 वर्ग मी० तक)	वर्ग मी०	1060 रु० प्रति वर्ग मी०	50%	530 रु० प्रति वर्ग मी०	530 रु० प्रति वर्ग मी०		
7	मशीनीकरण लघुसीमान्त कृषक हेतु ट्रैक्टर 20 एच०पी० तक पावर टिलर 8 बी०एच०पी० से अधिक पावर टिलर 8 बी०एच०पी० से कम	सं०	300000	35%	100000	100000		परियोजना आधारित कार्यक्रम
			150000	50%	75000	75000		
			100000	50%	50000	50000		
8	लो कास्ट प्रिजर्वेशन युनिट	सं०	200000	50%	100000	100000		
पर झूप मोर काप-माइक्रोइरीगेशन योजना								
1	ड्रिप/मिनी/माइक्रो रिप्रिकलर सिंचाई	हे०	रु० 0.28 लाख से रु० 1.46 लाख	80%-90%	रु० 22619 से रु० 131963 तक			
2	पोर्टेबुल रिप्रिकलर/रेनगन रिप्रिकलर सिंचाई	हे०	रु० 0.25 लाख से रु० 0.43 लाख	65%-75%	रु० 16137 से रु० 32885 तक			
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना								
1	नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा पूर्व स्थापित इकाइयों का उन्नयन	-	-	-	इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख			

(धर्मेन्द्र चन्द्र)
जिला उद्यान अधिकारी
बस्ती

(जयदेव सी०एस०)
मुख्य विकास अधिकारी
बस्ती

(अन्दा वामसी)
जिलाधिकारी
बस्ती

जिला उद्यान अधिकारी, सिद्धार्थनगर

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक रा०औ०मि० 770/वार्षिक कार्य योजना/2023-24/दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना सिद्धार्थनगर हेतु प्राप्त वार्षिक लक्ष्य

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	इकाई	मौलिक लक्ष्य		योग	देय अनुदान प्रति हे०
			जनरल	अनुसूचित		
1	नवीन उद्यान रोपण टिशूकल्चर केला पपीता	हे.	72	18	90	30738
		हे.	4	1	5	22500
		हे.	4	1	5	8400
2	फल क्षेत्र विस्तार नार्मल स्पेसिंग आम (10X10) लौची (10X10)	हे.	3	1	4	7650
		हे.	4	1	5	8400
		हे.	2	1	3	9840
3	फल क्षेत्र विस्तार हाई डेन्सिटी आम (5X5) जैक फूट	हे.	2	1	3	9840
		हे.	6	2	8	18000
		हे.	40	10	50	10247
4	गतवर्षी में रोपित उद्यानों का अनुरक्षण द्वितीय वर्ष अनुरक्षण टिशूकल्चर केला पपीता	हे.	5	2	7	6000
		हे.	4	2	6	2500
		हे.	5	2	7	3834
5	आम (10X10) अमरुद (6X6) लौची (10X10) आम (5X5)	हे.	2	2	4	2800
		हे.	8	1	9	9840
		हे.	5	2	7	6000
6	संकर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (ससु एवं सीमान्त कृषक)	हे.	100	25	125	20000
		हे.	5	5	10	16000
		हे.	40	10	50	12000
7	मसाला क्षेत्र विस्तार (प्याज) रबी सीजन पुराने बागों का जीर्णोद्धार/केनापी मैनेजमेंट	हे.	3	1	4	20000
		हे.	3	4	7	88000
		सं.	3	4	7	88000
8	पोलीनेशन सपोर्टेड थू बी-कीपिंग (मीन पालन (50 बाक्स) समस्त उपकरण सहित)	सं.	3	4	7	88000
		सं.	3	1	4	100000
		सं.	3	1	4	50000
9	बागवानी में मशीनीकरण कार्यक्रम ट्रैक्टर 20 एच०पी० तक पावर टिलर 8 बी०एच०पी० से कम पावर टिलर 8 बी०एच०पी० एवं उससे अधिक	सं.	6	1	7	75000
		सं.	2	1	3	200000
		सं.	2	1	3	200000

जिला उद्यान अधिकारी
सिद्धार्थनगर
5/8/23

पौष्टिकता एवं अधिक आय का स्रोत- ब्रोकली की खेती

एस.के. वर्मा*, सियाराम** एवं श्वेता वर्मा***

ब्रोकली की खेती ठीक गोभी वर्गीय सब्जियों की तरह होती है। इसके बीज व पौधे देखने में लगभग फूल गोभी की तरह होते हैं। ब्रोकली का खाने वाला भाग छोटी-छोटी बहुत सारी हरे फूल कलिकाओं का गुच्छा होता है, जो फूल खिलने से पहले पौधों से काट लिया जाता है और यह खाने के काम आता है। फूल गोभी में जहां एक पौधे से एक फूल मिलता है वहां ब्रोकली के पौधे से एक मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी, पौधे से कुछ शाखाएँ निकलती हैं तथा इन शाखाओं से बाद में ब्रोकली से एक गुच्छे बेचने अथवा खाने के लिये प्राप्त हो जाते हैं। ब्रोकली फूल गोभी की तरह ही होती है लेकिन इसका रंग हरा होता है इस लिए इसे हरी गोभी भी कहते हैं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में इन सब्जियों की खेती बड़ी सुगमता पूर्वक की जा सकती है जबकि हिमांचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में इनके बीज भी बनाए जा सकते हैं। आगे आने वाले समय में इस सब्जी का उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही बढ़ने की काफी सम्भावनाएँ हैं। जहाँ हम जानी पहचानी कई प्रकार की तरह की सब्जियाँ अपने देश में उगा रहे हैं वहाँ अभी भी कुछ सब्जियाँ हैं जो आर्थिक व पौष्टिकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह की सब्जियों में ब्रोकली का नाम बहुत महत्वपूर्ण है।

ब्रोकली की बाजार मांग:-

पाँच सितारा होटल तथा पर्यटक स्थलों पर इस सब्जी की मांग बहुत है तथा जो किसान इसकी खेती करके इसको बाजार में बेचते हैं उनको इसकी खेती से बहुत अधिक लाभ मिलता है क्योंकि इसके भाव कई बार 50 से 60 रुपये प्रति कि.ग्रा. तक या इससे भी अधिक मूल्य पर बिकता है। साधारण, मध्यम या छोटे बाजारों

में अभी तक ब्रोकली की मांग सीमित है।

ब्रोकली से स्वास्थ्य लाभ:-

यह कई पोषक तत्वों से भरपूर है। यह कई बीमारियों से बचाने के साथ ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के भी खतरे को कम करती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत और वजन कम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए ब्रोकली अच्छा विकल्प है। ऐसा माना जाता है कि ब्रोकली भूमध्यसागरीय उपज है। ब्रोकली लैटिन शब्द 'ब्रैकियम' से बना है, जिसका मतलब है शाखा। इसमें शक्तिशाली फाइटोकेमिकल (प्लांट-केमिकल) पाये जाते हैं, जो कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं।

ब्रोकली खाने के कई न्यूट्रिशनल फायदे होते हैं। ब्रोकली को पका कर या फिर कच्चा भी खाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे उबाल कर खाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इस हरी सब्जी में लोहा, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, क्रोमियम, विटामिन ए और सी पाया जाता है, जो सब्जी को पौष्टिक बनाता है। इसके अलावा इसमें फाइटोकेमिकल्स और एंटी-ऑक्सीडेंट भी होता है, जो बीमारी और बॉडी इंफेक्शन से लड़ने में सहायक होता है।

ब्रोकली विटामिन सी से भरी हुई है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य को बनाये रखने के लिए एक महान पोषक तत्व मानी जाती है। ब्रोकली क्रोमियम का बहुत अच्छी स्रोत है, जो मधुमेह पर नियंत्रण और शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को नियंत्रित करती है। ब्रोकली में बीटा-कैरोटीन होता है जो आँखों में मोतियाबिंद और मस्कुलर डीजेनरेशन होने से रोकती है। यह माना जाता है कि ब्रोकली में यौगिक सल्फोरापेन होता है जो यूवी रेडियेशन के कारण होने

*वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, **वरिष्ठ वैज्ञानिक (शास्य), कृषि विज्ञान केन्द्र, बलरामपुर, ***शोध छात्रा, सब्जी विज्ञान, आ0न0दे0 कृषि एवं प्रौ.वि.वि., कुमारगंज, अयोध्या।

वाले प्रभाव से त्वचा को नुकसान पहुँचाने और सूजन को कम करने में सहायक होती है। ब्रोकली में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ब्रोकली शरीर को एनीमिया और एल्जाइमर से बचाती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आयरन और फोलेट पाया जाता है। ब्रोकली को नियमित खाने से गर्भवती महिलाओं को मदद मिलती है। इसमें फाइटोकेमिकल्स होने के कारण, यह एंटी कैंसर न्यूट्रिशनल सब्जी है। ब्रोकली में कैरोटीनॉयड ल्यूटिन होता है जो हृदय की धमनियों को मोटा होने से रोकता है, जिससे हार्ट अटैक और अन्य हार्ट सम्बंधी बीमारियों का रिस्क टलता है। ब्रोकली खाने से न केवल पोषक मिलता है, बल्कि इसमें लो कैलोरी होने की वजह से वजन भी कम होता है।

जलवायु: ब्रोकली के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है यदि दिन अपेक्षाकृत छोटे होते हों तो फूल की बढ़ोत्तरी अधिक होती है फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल छितरेदार, पत्तेदार और पीले हो जाते हैं।

मिट्टी: इस फसल की खेती कई प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है लेकिन सफल खेती के लिये बलुई दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त है। जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद हो इसकी खेती के लिए अच्छी होती है हल्की रचना वाली भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर इसकी खेती की जा सकती है।

प्रजातियाँ: ब्रोकली की अधिकतर प्रजातियाँ विदेशी हैं। इसकी किस्में मुख्तया तीन प्रकार की होती हैं श्वेत, हरी व बैंगनी। इनमें हरे रंग की गंठी हुई शीर्ष वाली किस्में अधिक पसंद की जाती हैं, इनमें नाइन स्टार, पेरिनियल, इटैलियन ग्रीन स्प्राउटिंग या केलेब्रस, बाथम 29 और ग्रीन हैड प्रमुख किस्में हैं। संकर किस्मों

में—पाईरेट पेक में, प्रिमिय क्रॉप, क्लीपर, क्रुसेर, स्टिक व ग्रीन सर्फ मुख्य है।

लगाने का समय: उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ब्रोकली उगाने का उपयुक्त समय ठण्ड का मौसम होता है इसके बीज के अंकुरण तथा पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए तापमान 20–25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसकी नर्सरी तैयार करने का समय अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अगस्त, सितम्बर और अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में मार्च—अप्रैल में तैयार की जाती है।

बीज दर: गोभी की भांति ब्रोकली के बीज बहुत छोटे होते हैं। एक हेक्टर की पौध तैयार करने के लिए लगभग 375 से 400 ग्राम बीज पर्याप्त होता है।

नर्सरी तैयार करना: ब्रोकली में भी गोभी की तरह पहले नर्सरी तैयार करते हैं और बाद में रोपण किया जाता है। क्यारी की लम्बाई 3 मी०, चौड़ाई 1 मी० तथा जमीन की सतह से 20–25 से.मी. ऊँची क्यारी में बीज की बुवाई की जाती है क्यारी की अच्छी प्रकार से तैयारी करके एवं सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर बीज को पंक्तियों में 4–5 से.मी. की दूरी पर 2.5 से.मी. की गहराई पर बुवाई करते हैं। बुवाई के बाद क्यारी को घास—फूस की महीन पर्त से ढक देते हैं तथा समय—समय पर सिंचाई करते रहते हैं जैसे ही पौधा निकलना शुरू होता है ऊपर से घास—फूस को हटा दिया जाता है। नर्सरी में पौधों को कीटों से बचाव के लिए नीम का काढ़ा या गोमूत्र का प्रयोग करें।

खाद और उर्वरक: प्रति हेक्टर क्षेत्र की रोपाई के लिए 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 45 से 50 कि.ग्रा. फॉस्फोरस एवं 40 कि.ग्रा. पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। खेत की अंतिम तैयारी के समय गोबर की खाद, फॉस्फोरस एवं पोटाश रोपाई से पहले मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। नाइट्रोजन 2 या 3 बराबर भागों में बांट कर रोपाई के क्रमशः 25, 45 तथा 60 दिन बाद करते हैं।

रोपाई: नर्सरी में जब पौधे 4-5 सप्ताह के हो जायें तो पौधों को तैयार खेत में पंक्ति से पंक्ति में 45 से 60 से. मी. की दूरी रखकर तथा पौधे से पौधे के बीच 45 से. मी. की दूरी पर रोपाई करे। रोपाई करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए तथा रोपाई के तुरन्त बाद हल्की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए।

निराई-गुड़ाई व सिंचाई: मिट्टी, मौसम तथा पौधों की बढ़वार को ध्यान में रखकर, इस फसल में लगभग 10-15 दिन के अन्तर पर हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है।

खरपतवार: ब्रोकली की जड़ एवं पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए क्यारी में से खरपतवार को बराबर निकालते रहना चाहिए, गुड़ाई करने से पौधों की बढ़वार तेज होती है गुड़ाई के उपरांत पौधे के पास मिट्टी चढ़ा देने से पौधे पानी देने पर गिरते नहीं हैं।

रोग: काला सड़न, तना सड़न, मृदु रोमिल रोग यह प्रमुख बीमारियाँ हैं।

रोकथाम: इसकी रोकथाम के लिए 2 किलो नीम की पत्ती, 100 ग्राम तम्बाकू की पत्ती, 1 किलो धतूरे की पत्ती को 2 ली. पानी के साथ उबालें जब पानी 1 ली. बचे तो ठण्डा करके छान के 5 ली० देशी गाय के मट्ठे में मिला ले उसे 200 ली० पानी के साथ घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए।

कटाई व उपज: इसकी फसल लगभग 65-70 दिन बाद तैयार हो जाती है तैयार फसल को तेज चाकू या दरांती से कटाई कर लें। ध्यान रखें कि कटाई के साथ गुच्छा खूब गुंथा हुआ हो तथा उसमें कोई कली खिलने न पायें। ब्रोकली को अगर तैयार होने के बाद देर से कटाई की जायेगी वह ढीली होकर बिखर जायेगी तथा उसकी कली खिलकर पीला रंग दिखाने लगेगी ऐसी अवस्था में कटाई किये गये गुच्छे बाजार में बहुत कम दाम पर बिक सकेंगे। मुख्य गुच्छा काटने के बाद, ब्रोकली के छोटे गुच्छे बिक्री के लिए प्राप्त होंगे। ब्रोकली की अच्छी फसल से लगभग 12 से 15 टन पैदावार प्रति हेक्टेयर मिल जाती है।

एम० एल० विकास एग्रो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय औरैया निधान (गिलौला जनपद श्रावस्ती)

किसानो कि सेवा में तत्पर

कम्पनी 16 जनवरी 2013 को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सस्था है जो उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में स्थित है कम्पनी के साथ 1507 कृषक शेयर धारक है जिसमे कम्पनी के पास कुल पूंजी 1500000 लाख रुपये है कम्पनी आदिवासी समुदाय महिला कृषक एवं अन्य किसानो के साथ मिलकर कृषको कि आय बढ़ाने नयी तकनीकी का प्रशिक्षण देना एवं कृषि के साथ नयी तकनीकी के अनुसार कृषि को बढ़ावा देना।

कम्पनी के मुख्य कार्य-

- फार्म मशीनरी बैंक के साथ कृषको को जोड़ कर भूमि सुधार कार्य फसल अवशेष प्रबन्धन एवं लाईन विधि से खेती कराना।
- कृषको को उन्नत शील बीज एवं खाद एवं दवा उपलब्ध कराने के उददेश्य से कृषक सेवा केन्द्र स्थापित किया गया।
- बीज उत्पादन कार्यक्रम में किसानो के साथ बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा सहायतित बीज विधायन सयंत्र की स्थापना वर्ष-2020.21 मे कि गयी है जिसमे कृषको द्वारा उत्पादित बीज को ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग करके किसानो तक पहुंचाया जाता है।
- कम्पनी द्वारा स्थापित गोट बैंक के माध्यम से महिला कृषको अजीविका सम्वर्धन हेतु कार्य किया जा रहा है।
- कम्पनी वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना वर्ष- 2017.18 में किया गया था जिसका उददेश्य वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन एवं कृषको को प्रशिक्षण देना।
- कम्पनी विगत वर्षो से मशरूम उत्पादन एवं कृषको को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- कम्पनी द्वारा स्थापित फल दार पौधो नर्सरी एवं सब्जी की नर्सरी एवं कृषको तक पहुंचाया जाता है।
- कम्पनी किसानो द्वारा उत्पादित फसल को उचित मूल्य पर क्रय विक्रय का कार्य किया जा रहा है।

चेयरमैन
विजय कुमार राव



बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, इकाई - रौजागाँव, जनपद-अयोध्या (सल्फर रहित उच्च कोटि के चीनी निर्माता)



8000 टी०सी०डी० क्षमता का अत्याधुनिक रिफाइनरी शुगर प्लांट

25.75 मेगावाट सह विद्युत इकाई (को-जनरेशन प्लांट)

बलरामपुर समूह की इकाई रौजागाँव गन्ना मूल्य भुगतान को उच्च-प्राथमिकता, गन्ना किसानों की आय में वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयत्नशील, पर्यावरण एवं भूगर्भ जल संरक्षण के लिए सजग, शासन की प्रगतिशील नीतियों तथा गन्ना विकास की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध!



(हरदयाल सिंह)
विभागाध्यक्ष (गन्ना)



कृषकों के संचालितकरण हेतु पथ

गन्ना प्रजाति को० 0238 लाल सड़न रोग से ग्रसित हो गयी है अतः इसके स्थान पर को० 0118 एवं को.लख. 14201 प्रजाति के गन्ने की बुवाई करें।



(सुधीर कुमार)
इकाई प्रमुख

Black Rice



लौना काला लमक-किरत



विश्वनाथ 108



लाल बादशाह



AN ISO 9001 : 2015
CERTIFIED ORGANIZATION

CIN NO: U01409UP2019PTC121081

KBT एग्री रिसर्च प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड,

जनपद - मऊ Email ID: kbtgrimau@gmail.com

Mob- 9415275587, 9919528778

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना " पर ड्रॉप मोर क्रॉप" (माइक्रोइरीगेशन)

उद्यान विभाग के अन्तर्गत संचालित "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" (माइक्रोइरीगेशन) योजना में कृषकों का पंजीकरण आनलाइन रजिस्ट्रेशन upmip.in पर "पहले आओ-पहले पाओ" अनुदान का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से लागू है। वर्ष 2023-24 में जनपद अम्बेडकरनगर को योजनान्तर्गत प्राप्त भौतिक/वित्तीय लक्ष्य का विवरण निम्नानुसार है।

कार्यक्रम	औद्यानिक फसले		कृषि फसलें		योग	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
ड्रिप	64.00	61.97	520.00	517.05	584.00	579.02
मिनी सिप्रकलर	115.00	110.85	0.00	0.00	115.00	110.85
माइक्रो सिप्रकलर	80.00	54.49	0.00	0.00	80.00	54.49
पोर्टेबल सिप्रकलर	80	24.55	60	18.42	140.00	42.97
कुल अनुदान योग-	639.00	303.36	780.00	567.50	1419.00	870.86

शासनादेश के अनुरूप इच्छुक कृषक को पंजीकरण के सात दिवस के अन्दर आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं खेतीनी, 10 रु के स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं फोटो जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा बाद में पंजीकृत कृषक जिसका आवेदन पहले जमा होगा वह लक्ष्य के सापेक्ष कार्यक्रम में पात्र हो जायेगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी ईदगाह मार्ग डा0 अम्बेडकर पार्क में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।

जिला उद्यान अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय जिला कृषि अधिकारी जौनपुर

संतुलित उर्वरक के प्रयोग से लाभ :-

- संतुलित उर्वरक के प्रयोग से किसान मृदा के स्वास्थ्य सुधार के साथ धन की बचत व बेहतर उत्पादन पा सकते है।
- संतुलित उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश का अनुपात 4:2:1 होता है।
- पूर्ण और संतुलित उर्वरक जो सभी प्रमुख फसलों के लिए आदर्श है।
- फसलों को अधिक ऊर्जा देता हैं जिससे बेहतर गुणवत्ता की अधिक पैदावार होती है।
- अनाज दलहन, तिलहन विभिन्न फसलों के लिए जो बुवाई के साथ और खड़ी फसल में उपयोग के लिए आदर्श बनते हैं।
- मृदा में मौजूद लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है।
- संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में विषाक्ता नहीं होती।
- पौधों की अच्छी ग्रोथ उसे स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के लिए संतुलित उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है।
- संतुलित उर्वरक से पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उत्पादन को बढ़ाते है।
- संतुलित उर्वरक के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य टिकाऊ बना रहता है।

असंतुलित उर्वरक के प्रयोग से हानि :-

- मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है जिससे जमीन बंजर होने का खतरा होने लगता है।
- मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्मजीवों की संख्या घटने लगती है।
- असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार में कमी।
- असंतुलित उर्वरक पर्यावरण एवं मनुष्य के लिए हानिकारक होते है।
- असंतुलित उर्वरक के प्रयोग से जल प्रदूषण, फसलों का रसायनिक जलवायु प्रदूषण में वृद्धि।
- असंतुलित उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी का अम्लीयकरण और खनिज तत्व की कमी हो जाती है।

उन्नत मशीनों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन

नीरज कुमार सिंह, शैलेन्द्र सिंह एवं बी. पी. शाही

फसल अवशेषों को आग लगाने के कारक: गेहूँ और धान उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं और इनकी कटाई ज्यादातर कंबाईन हारवेस्टर के साथ की जाती है। गेहूँ और धान की पैदावार के साथ-साथ दोनों फसलों से हर साल क्रमशः तकरीबन 43.18 एवं 27.7 मिलियन टन पराली/भूसा पैदा होती है। गेहूँ के अवशेष ज्यादातर (80–90 प्रतिशत) थ्रेशर व स्ट्रॉ रीपर की मदद से भूसा बना लिया जाता है परन्तु धान के पराली के रख-रखाव की समस्या आज भी वैसे ही बनी हुई है तथा किसान पराली को आग लगा देता है जिससे वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है।

पराली को जलाने के नुकसान: धान की फसल की कंबाईन हारवेस्टर से कटाई के बाद समय के अभाव के कारण, गेहूँ की फसल की बुआई से पहले, किसान पराली को आग लगा देते हैं, जिससे खेतों को तो नुकसान होता ही है साथ ही मनुष्यों व पशु-पक्षियों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। आग लगाने से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट होते हैं तथा उसकी उपजाऊ शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा हमारे जीवन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक मिट्टी से धान द्वारा ली गई 25 प्रतिशत नाइट्रोजन व फासफोरस, 50 प्रतिशत गंधक व 75 प्रतिशत पोटेश फसल अवशेषों में ही रह जाती है। देखा गया है कि 10 क्विंटल अवशेषों को जलाने से 400 किलो जैविक कार्बन के अलावा 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फासफोरस, 25 किलो पोटेशियम व 1.2 किलो गंधक का नुकसान होता है। ऐसे तत्व यदि नष्ट हो जाते हैं तो जमीन की उपजाऊ शक्ति को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि यदि हम पराली को जमीन में ही रहने देते हैं तो जमीन की उत्पादकता तो बढ़ती ही है साथ ही मिट्टी की सेहत पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।

पराली की खेत में ही प्रबंधन करने के लिए विभिन्न

प्रकार की मशीनों को खेतों में उपयोग करने की सिफारिश की है। इन मशीनों को खरीदने के लिए भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी किसानों को अनुदान (सब्सिडी) दिया जा रहा है।

1. पराली का मशीनों द्वारा प्रबंधन कैसे कर

धान-गेहूँ के फसली चक्र में यदि धान के पराली को खेतों में ही रहने दिया जाए, तो गेहूँ की फसल में बढ़ोत्तरी होती है, जमीन की सेहत अच्छी होती है व खाद की खपत भी कम होती है। विभिन्न मशीनें जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, सुपर एस.एम.एस, चोपर, मल्चर, उल्टा हल इत्यादि जैसे मशीनों से पराली को खेतों में ही उपयोग करने का समाधान निकाला है। खेतों में पराली के रख-रखाव के लिए निम्नलिखित ढंगों को अपनाना चाहिए।

2. सुपर सीडर से गेहूँ की बुआई

धान की कटाई के बाद पराली को बिना खेतों से निकाले, गेहूँ की बुआई सुपर सीडर मशीन द्वारा की जा सकती है। इस मशीन द्वारा खेत की जुताई मशीन में लगे रोटोवेटर ब्लेड्स की मदद से की जाती है, जिससे पराली खेत में ही मिल जाती है और एक सामान खेत तैयार भी हो जाता है। साथ ही मशीन में लगे डिस्क टाइप बुवाई ड्रिल की मदद से गेहूँ के बीज सही तरीके से बो दिए जाते हैं। पराली के जमीन में ही गलने से जमीन के पौष्टिक तत्वों में बढ़ोत्तरी होती है। सुपर सीडर मशीन 45–50 हार्स पावर वाले ट्रैक्टर से चलती है और एक दिन में तकरीबन 6–8 एकड़ क्षेत्र में बुवाई कर देती है। किसान भाइयों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि, खेत में पराली को बिखरने के लिए कंबाईन हारवेस्टर के पीछे सुपर एस एम एस (स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम) लगाने की सलाह दी जाती है। यह कंबाईन पीछे गिरती पराली को काट कर खेत में एक सामान रूप से बिखेर देती है, जिससे सुपर सीडर के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है।

3. हैप्पी सीडर के साथ बिना जोते गेहूँ की बुआई
 धान की कटाई के बाद पराली को बिना खेतों से निकाले, गेहूँ की बुआई हैप्पी सीडर मशीन द्वारा की जा सकती है। इस मशीन से धान की पराली को बिना जलाए ही गेहूँ की बुआई हो जाती है। इस मशीन में फलेल किस्म के ब्लेड लगे होते हैं जो कि ड्रिल के बुआई करने वाले फाले के सामने आने वाले फसलों के अवशेषों को काटता है और पीछे को धकेल देता है, जिस से मशीन के फालों में अवशेष नहीं फंसते हैं और बीज सही तरीके से बो दिया जाता है। हैप्पी सीडर द्वारा की गई गेहूँ की बुआई का यह भी फायदा है कि इससे फसल में खरपतवार भी 50-70 प्रतिशत कम उगता है, बुवाई से पहले खेत में नमी रखने के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे पानी की बचत होती है, क्योंकि धान की फसल कटने के बाद खेत की नमी में ही गेहूँ की बुवाई हो जाती है। पराली के जमीन में ही गलने से जमीन के पौष्टिक तत्वों में बढ़ोत्तरी होती है। हैप्पी सीडर मशीन 45-50 हार्स पावर वाले ट्रैक्टर से चलती है और एक दिन में तकरीबन 5-7 एकड़ क्षेत्र में बुवाई कर देती है। हैप्पी सीडर से गेहूँ की बुवाई से पहले कंबाइन से गिरी हुई पराली को खेत में एकसार बिखेरना पड़ता है ताकि यह मशीन के फालों में न फसें या धान के फसल अवशेष में कटर रीपर (स्टबल शेवर) या स्ट्रा कटर-कम-स्प्रेडर चलाना पड़ता है जिससे पराली खेत में एकसार फैल जाती है। हैप्पी सीडर में हर दो फालों के बीच दबाव बनाने के लिए पहिए लगाए गए हैं। यह पहिए दोनों फालों के बीच फेंके गए कुतरे पराली को दबाते हैं जिससे पराली जमीन में दब जाती है व मलच या पलाव का काम करता है। इससे फालों वाली जगह खाली रह जाती है व गेहूँ की बुआई एक समान होती है।

4. जीरो-टिल-कम-फ़र्टि-ड्रिल

जीरो ड्रिल से धन के खेत में गेहूँ की बुवाई कि जा सकती है, परन्तु ध्यान में रखें कि खेत में नमी अच्छी हो साथ ही साथ धान की पराली को स्ट्रॉ कटर या मलचर द्वारा एक सामान रूप में खेत में फैली होनी

चाहिए। यह मिट्टी से छेड़ छाड़ किए बिना पिछली फसल की कटाई के बाद सीधे बीज डालने में मदद करता है। इस मशीन के फाले अंग्रेजी के उल्टे "टी" के समान होता है जिसके द्वारा भूमि में केवल एक पतली सी नाली बन जाती है। इन पतली नालियों में 5 - 7 सेमी की गहराई पर खाद तथा बीज स्वयं ही मशीन द्वारा पड़ता रहता है। इस मशीन द्वारा धान, गेहूँ, मसूर, मटर, मूंग इत्यादि फसलों की बुआई की जा सकती है। यह मशीन 35 - 40 अश्वशक्ति (एच पी) के ट्रैक्टर द्वारा आसानी से खींचा जा सकता है। 9 फाले वाले मशीन द्वारा एक घंटे में करीब एक एकड़ की बुआई हो जाती है, यानि की मशीन की बुआई क्षमता लगभग 0.4 - 0.6 हेक्टेयर प्रति घंटा होती है। मशीन को चलाने में ट्रैक्टर द्वारा एक घंटे में लगभग 4 - 6 लीटर डीजल प्रति हेक्टेयर की खपत होती है।

5. चोपर/मलचर से पराली को कुतरा करके खेत में मिलाना

अगर धान की पराली को खेतों में ही मिलाना है तो धान की पराली को टुकड़े-टुकड़े करके बिखेरना होता है, जिसके लिए चोपर/मलचर का उपयोग किया जा सकता है। इस मशीन में 40-50 हार्स पावर के ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। यह मशीन एक दिन में 6-8 एकड़ पराली को टुकड़ा टुकड़ा कर सकती है। इसके बाद काटी गई पराली को कई तरीकों से खेत में ही मिलाया जा सकता है।

6. पूसा डिकम्पोजर के साथ खेत में मिलाना

पूसा डिकम्पोजर एक लिग्नोसेल्युलोलिटिक कवक संघ का एक कम्पोस्ट कल्चर है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सूक्ष्मजीव विज्ञान संभाग द्वारा विकसित किया गया है। इससे फसल अवशेषों का तीव्र गति से जैव विघटन अर्थात् रूपांतरण एवं परिपक्व खाद बनाया जा सकता है। पूसा डिकम्पोजर की मदद से कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया तेज होती है और उच्च गुणवत्ता वाली कम्पोस्ट से मृदा में पोषक तत्वों का सुधार होता है। इस के प्रयोग से यह देखा गया है कि पराली का विघटन 10 - 15 दिनों में हो जाता है तथा इसके प्रयोग के 4 - 5

दिन बाद अगली बुवाई कि जा सकती है। पूसा डिकम्पोज़र को प्रयोग करने के लिए तैयार पूसा डिकम्पोज़र के घोल को 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से अवशेष पर छिड़काव करना होता है। तत्पश्चात् खेत की जुताई एम बी हल/हैरो/रोटावेटर की मदद से खेत में मिला देना होता है। ध्यान दे अगर खेत में नमी कम है, तो खेत में हल्का पानी लगाए।

7. यूरिया द्वारा पराली का डिकम्पोज़िशन

अक्सर किसानो भाइयो को पूसा डिकम्पोज़र के उनुप्लब्धता पराली को खेत में प्रबंधन की समस्या का सामना करना होता है। इसके लिए किसान भाई आपने खेत में 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से डाल कर खेत की जुताई एम बी हल/हैरो/रोटावेटर की मदद से खेत में मिला देना होता है। इस विधि से पराली को गलने में 20 से 25 दिन का समय लगता है।

8. गेहूँ की सतही बिजाई तकनीक

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित गेहूँ की

सतही बिजाई तकनीक, गेहूँ की बुवाई का एक नवीनतम तरीका है जिसमें, गेहूँ की बुवाई तकरीबन 700-800 रूपये प्रति एकड़ के खर्च में हो जाती है। इस तकनीक में गेहूँ बुवाई 3 तरीको से की जा सकती है, पहले धान के कंबाइन द्वारा हार्वेस्टेड खेत में अनुभवी मजदूर द्वारा खेत में खाद व गेहूँ के बीज को एक रूप से ब्रॉडकास्ट करने के बाद कटर या स्क्रब मास्टर द्वारा धान की परली का मल्व करना होता है। दूसरी विधि में सरफेस सीडर मशीन द्वारा एक ही बार में बुवाई व मल्व कर सकते हैं।

तीसरी विधि में सरफेस सीडर माउंटेड कंबाइन द्वारा कटाई व गेहूँ की बुवाई एक साथ करने के बाद कटर या स्क्रब मास्टर द्वारा धान की परली का मल्व करना होता है। इन तीनों विधियों द्वारा गेहूँ की सतही बुवाई की जा सकती है। बुवाई के बाद खेत में हल्का पानी लगाना होता है जिससे गेहूँ का अंकुरण व खाद सीधे बीज को मिल सके व इस विधि का इस्तेमाल सुपर'डै के साथ वाली कंबाइन के कटाई की गई खेतों में ही होना चाहिए।

कृषक मेला एवं कृषि प्रदर्शनी में आने वाले कृषक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है

श्री श्याम ऑटो सर्विस


विकास छापडिया

राजू छापडिया

प्रो ओम छापडिया

वितरक—कृषि रसायन, बीज उर्वरक एवं
अन्य कृषि उपयोगी सामग्री

इटवा बाजार सिद्धार्थ नगर



Deals In :

Feed Flavours

Rumen Buffer

Rumen Yeast & Enzymes

Toxin Binder

Minerals Vitamin Premix

Rumen Protected Ingredients

Chelated Mineral



MANUFACTURER AND SUPPLIER OF COMPLETE RANGE OF CATTLE FEED SUPPLEMENTS & ADDITIVES

BEST FEED PREMIX COMBINATION FOR DAIRY ANIMALS



Burlivets Nutritional Technologies Pvt. Ltd.
(An Animal Nutrition, ISO 9001 : 2015 & HACCP Certified Co.)

follow us :



A.O. & Works :
Mahime Wala Road, Bughipura, Moga - 142001

burlivets.india@gmail.com

www.burlivets.com

92161-04162, 99882-17181



के.एम.शुगर मिल्स लि., मोतीनगर, अयोध्या

रिफायनरी, सफेद दानेदार चीनी के निर्माता एवं
पार्टिकल बोर्ड, विद्युत, एथनॉल, सेनेटाइजर का उत्पादनकर्ता

समस्त पाठकों एवं गन्ना उत्पादकों को के.एम. परिवार की ओर से "पूर्वांचल खेती (किसान मेला विशांक)" के पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं।

कृषकों की आय दुगनी करने हेतु आवश्यक सुझाव

- गन्ने की बुवाई कम से कम 3 फीट पर एकल पंक्ति विधि से ही करें।
- शरदकालीन बुवाई 30 अक्टूबर तक ही करें। नवम्बर एवं दिसम्बर में गन्ने की बुवाई न करें क्योंकि इससे गन्ने का जमाव प्रभावित होता है।
- अतिरिक्त आय प्राप्त करने हेतु गन्ने के साथ सहफसली खेती करें।
- गन्ना प्रजातियों सीओ 15023, कोलख 14201 तथा सीओ 0118 के गन्ने की ही बुवाई करें एवं बीज हेतु चीनी मिल/विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।
- अपनी आय बढ़ाने हेतु पेड़ी फसल में भी, पौधा गन्ना की कटाई के एक सप्ताह के अन्दर खेत की सिंचाई कर यूरिया का प्रयोग अवश्य करें। गन्ने की पत्तियों को कदापि न जलाएं। ट्रेस मल्चर, अथवा आर.एम.डी. से पेड़ी प्रबन्धन कर अधिक से अधिक लाभ कमाएं।
- गन्ना खेती में वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर लागत कम करते हुए अधिक आय अर्जित करें।
- भविष्य के लिए अपना गन्ना अपने सट्टा पर ही आपूर्ति करें, जिससे आपका बेसिक कोटा अच्छा हो सके एवं उत्पादन के अनुसार परिचियां प्राप्त हो सकें।

कृषकों भाईयों से अनुरोध

- चीनी मिल में स्वच्छ, ताजा गन्ना ही आपूर्ति कर सहयोग करें।
- अपने सट्टे की सही जांच कर लें जिससे गन्ना आपूर्ति में असुविधा न हो।
- भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु जैविक उर्वरकों, हरी खाद एवं डिकम्पोज प्रेसमड का प्रयोग करें
- बीज उपचार पर विशेष ध्यान दें मिल द्वारा बीज उपचार हेतु दी जाने वाली दवाईयों पर 50 प्रतिशत अनुदान का फायदा उठाएँ।
- रेड-राट तथा अन्य रोग से बचाव एवं भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु ट्राकडकोडर्मा का प्रयोग करें।
- रोग मुक्त तथा अधिक पैदावार के लिए अपनी गन्ना बीज की नर्सरी अवश्य लगायें।
- मिलगेट पर असुविधा से बचने के लिए शिफ्ट सिस्टम में अपने निर्धारित समय में ही गन्ना आपूर्ति करें।

क्षेत्र के कृषकों के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव तत्पर।

सुनील सिंह
महाप्रबन्धक (गन्ना)

एस.सी.अग्रवाल
अधिसाधी निदेशक



श्री योगेश आनंदिलाल जी
माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश

कृषि विभाग जय जवान

जय किसान

जय विज्ञान

उत्तर प्रदेश

फसल अवशेष प्रबंधन उपाय अपनाएं

खेत और पर्यावरण को नुकसान होने से बचाएं



श्री सूर्य प्रताप शाही जी
माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश

फसल अवशेष को जलाने से नुकसान

किसान भाईयों से अपील

- ❖ फसल अवशेष को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है।
- ❖ खेत में मौजूद केंचुए मर जाते हैं।
- ❖ जमीन में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है।
- ❖ फसलों की पैदावार में कमी हो जाती है।

खेत की पराली को ना जलाएं और स्वयं के उपयोग में न लाने पर निकटस्थ के निराश्रित गौशाला में पराली का दान करें और इसके बदले गौशाला से खाद लें।

वेस्ट डी कम्पोजर जनपद के सभी राजकीय बीज भण्डारों पर नि:शुल्क उपलब्ध है।

इन्हे जलाए नहीं खाद बनाएं

फसल अवशेष को ऐसे काम में लें

तरीका

- ❖ फसल अवशेष को जुताई करके इन-सीट प्रबंधन से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर
- ❖ जुताई कर के मिट्टी में मिलाये एवं चुरिया डालकर सिचाई करें।
- ❖ फसल अवशेष से नापेड कम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट भी बना सकते हैं।

फायदा

- ❖ खेत की जलधारण क्षमता बढ़ता है।
- ❖ खेत में जीवाणु की मात्रा बढ़ने से लाभदायक जीव केंचुआ आदि पनपते हैं।
- ❖ खेत उपजाऊ बनता है।
- ❖ फसलों की उपज बढ़ती है।

खेत में फसल अवशेष जलाना एक दण्डनीय अनराश है। दण्ड के प्रावधान निम्नवत है।

1. 02 एकड़ कम क्षेत्र के लिए ₹0 2500.00
2. 02 एकड़ से 05 एकड़ के लिए ₹0 5000.00
3. 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए ₹0 15000.00

अपराध की पुनरावृत्ति करने पर कारावास एवं अर्धदण्ड से दण्डित किया जाएगा।



धरती को दो यह वरदान, पर्यावरण का न हो नुकसान। वेस्ट डी कम्पोजर का पराली पर ठिड़काव करें

श्रवण कुमार

उप कृषि निदेशक, बाराबंकी

एकता सिंह

आई.ए.एस.

मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी

सत्येन्द्र कुमार

आई.ए.एस.

जिलाधिकारी, बाराबंकी



सत्यमेव जयते

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली

कृषि विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद, बाराबंकी

प्रसार निदेशालय

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारांज, अयोध्या

भा.कृ.अनु.प.-कृ.प्रौ. अनु. सं. रावतपुर, कानपुर

फसल अवशेष प्रबंधन उपाय अपनाएं

पर्यावरण को प्रदूषण से बचायें।

भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ायें। धरती से सोना उगलायें।।

- 1 फसल अवशेष को मिट्टी में मिलायें (in situ Decomposition)
कृषि यंत्रों द्वारा फसल अवशेष को मिट्टी में मिलायें, अवशेषों धरती माता का आहार बनायें।
सुपर एस.एम.एस. या स्ट्रॉ चोपर से फसल अवशेषों को बारीक टुकड़ों में काटकर भूमि पर फैलायें। तत्पश्चात हैप्पी सीडर द्वारा गेहूँ की सीधी बुवाई करें।
फसल अवशेषों को Mulcher द्वारा मिट्टी में मिलायें। उल्टा हल (Reversible Plough) द्वारा फसल अवशेष को मिट्टी में दबायें।
स्ट्रॉ चोपर, हे-रैक, स्ट्रॉ बेलर का प्रयोग करके फसल अवशेष की गांठे बनायें और आमदनी बढ़ायें।
जीरो ड्रिल, रोटावेटर, रीपर-वाइन्डर व स्थानीय उपयोगी सस्ते यन्त्रों को भी फसल अवशेष प्रबंधन हेतु अपनायें।



पराली को मत जलाओ, वातावरण को बचाओ।

डॉ. शैलेश कुमार सिंह, मुख्य अन्वेषक

डॉ. अश्वनी कुमार सिंह, सह-मुख्य अन्वेषक

मूल्यवर्धन/प्रसंस्करण : आय का साधन

एस0 के0 तोमर, मनोज कुमार एवं रितेश गंगवार

हरित क्रान्ति ने देश को खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, जिसमें प्रमुख योगदान रहा नई प्रजातियों, उर्वरकों व सिंचाई का मगर अब इसका प्रभाव कम हो रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण है लागत के कारकों में लगातार वृद्धि तथा कृषि लागत पर कम लाभ। सरकार का ज्यादा जोर कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर है, जिसकी संभावना वर्तमान स्थिति में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है। यदि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो उनके मूल्यवर्धन/प्रसंस्करण तकनीकों तथा उनके लिए बाजार की व्यवस्था पर जोर देना होगा। हम सभी शायद इस बात पर सहमत होंगे कि खाद्यान्न पैदा करने वाले से तीन से चार गुना लाभ बाजार में बैठे लोग ले जाते हैं। अतः किसानों को प्रशिक्षित कर इस लाभ में भागीदार बनाया जा सकता है। किसानों को अच्छे लाभ के लिए मूल्यवर्धन तथा प्रसंस्करण तकनीकों का किस प्रकार प्रयोग करना है, उसके कुछ बिन्दु निम्न प्रकार हैं –

कटाई के पहले :

पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक उत्पादन वाली प्रजातियों के बीच की काफी मांग रहती है। अतः किसान भाई जो भी पैदा करे, तो उनका उद्देश्य उत्पादन के साथ अपने उत्पादन को बीज के रूप में विक्रय करना भी होना चाहिए। इसके लिए अलग से कोई लागत लगाने की भी जरूरत नहीं है, जैसे यदि कोई किसान भाई गेहूं पैदा करता है तो उसको चाहिए कि वह ऐसी प्रजाति का चुनाव करें, जिसकी उत्पादन क्षमता अधिक हो तथा क्षेत्र में वह बीज उपलब्ध न हो तो दूसरे किसान उसकी उत्पादकता को देखकर अपने-आप उस किसान से बीज के लिए गेहूं खरीदें। किसान को चाहिए कि वह अपनी फसल में शुद्धता बनाये रखे तथा उस उन्नत प्रजाति का अभिजनक बीज लेकर ही बुवाई करें। इसका एक सफल उदाहरण है— सिधारी गांव के संजय सिंह का, जिसको लेखक ने गेहूं की

उन्नत प्रजाति एच0डी0 2967 का अभिजनक बीज दिया। उसने उस प्रजाति का 220 कुन्तल बीज पैदा किया, जिसकी प्रति एकड़ पैदावार 25 कुन्तल थी। दूसरे किसानों ने उनका सारा गेहूं बीज के रूप में 25 रू0 प्रति किग्रा0 की दर से खरीद लिया, जबकि उस समय बाजार भाव 10 रू0 प्रति किग्रा0 था। इस प्रकार किसान से किसान घर बीज का प्रसार हुआ और उत्पादन बढ़ा और उसी लागत में अधिक लाभ मिला। एक दूसरा उदाहरण खिरिया गांव के बी0एस0 श्रीवास्तव का है, जिसने वर्ष 2009 में काला नमक 3131 सुगन्धित धान की नई प्रजाति की खेती की और 2010 में उसका काला नमक 3131 धान बीज के रूप में किसानों ने 60 रू0 प्रति किग्रा0 की दर से खरीद लिया, जिसमें उसको सामान्य धान के मुकाबले अधिक लाभ भी मिला और इस प्रजाति का उत्पादन अच्छा होने के कारण प्रति एकड़ उत्पादन 14 कुन्तल रहा। लेखक को एक और उदाहरण 2007 में रुद्रपुर, उत्तराखण्ड में देखने को मिला, जिसमें लेखक ने किसानों के खेत पर जाकर देखा कि वहां किसानों ने गन्ने के साथ मेन्था की खेती की हुई थी—गन्ने की पेड़ी में भी तथा बावक गन्ने में भी। वहां के किसानों ने बताया कि उन्हें पता चला कि जैविक विधि से उत्पादित मेन्था तेल तथा शक्कर की काफी मांग है। अतः उन्होंने इण्टरनेट के माध्यम से लोगों से सम्पर्क किया तो उन्हें जर्मनी की एक फर्म ने जैविक विधि से मेन्था आयल सप्लाई करने को कहा। मगर शर्त थी कि कम से कम 5 कुन्तल आयल देना होगा। भारतीय बाजार में जब मेन्था आयल का रेट 450 रू0 प्रति किग्रा0 उस समय उनका एग्रीमेण्ट जर्मनी की एक फर्म के साथ 1250 रू प्रति किग्रा0 की दर पर हुआ था। उन किसानों ने एक सोसायटी बनाई और उसका जैविक विधि से खेती करने का पंजीकरण कराया तथा फर्म को मेन्था आयल व शक्कर की आपूर्ति की। गन्ने के साथ उनकी मेन्था लेने की तकनीक भी काफी

के0वी0के0, गोरखपुर के0वी0के0, चन्दौली, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

सस्ती थी। वे लोग पैड़ी गन्ने की सारी पत्ती खेत से बाहर निकाल कर जुताई कर 2 कुंडों के बीच मेन्था की एक लाइन ऐसी प्रजाति की बुवाई करते हैं, जिसकी बार-बार कटाई के बजाय एक बार में ही ज्यादा पत्तियां मिले। बुवाई के बाद वह पत्ती खेत में फैलाकर पानी चला देते हैं, जिससे मेन्था का जमाव अच्छा होता है तथा लगभग दो महीने तक गन्ने और मेन्था को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। गन्ने की पत्तियां निकालने और फैलाने का ठेका 700 रु0 प्रति एकड़ था। प्रति एकड़ 40 किग्रा0 आयल प्राप्त हो जाता है, जिसमें कुल लाभ 50000.00 रु0 प्रति एकड़ होती है और खर्च मात्र 3000.00 रु0 होता है। जैविक विधि से उत्पादन मूल्यवर्धन का अच्छा स्रोत है।

धान को यदि अधिक मात्रा में नत्रजन के साथ उगाया जाता है, तो उसमें चावल निकालने में टूट ज्यादा होती है। इसी प्रकार यदि धन को उपयुक्त नमी 21 प्रतिशत-24 प्रतिशत के बीच पकने पर नहीं कटाई की गयी और उसको धूप में ज्यादा सुखाया गया तो भी चावल में रिकवरी कम होती है। प्रजाति का चयन अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। साथ ही बाजार की दूरी तथा तुड़ाई का समय भी अच्छे मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रजाति पर निर्भर करता है। जैसे टमाटर यदि देशी प्रजाति है तो जल्दी खराब होती है मगर संकर टमाटर देर तक टिकता है।

सिंचाई का सब्जियों की गुणवत्ता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। खुदाई से 15 दिन पूर्व प्याज में तथा 10 दिन पूर्व लहसुन में सिंचाई रोकने से उसकी भण्डारण क्षमता में वृद्धि होती है। मौलिक हाइड्राजाइड नामक हारमोन के प्रयोग से भी भण्डारण क्षमता में वृद्धि होती है। खरबूजे में खुदाई से पूर्व सिंचाई रोकने से मिठास बढ़ती है। अनियमित सिंचाई से टमाटर, पत्तागोभी, तरबूज एवं खरबूज में फटाव की स्थिति पाई गयी है। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग विशेष तौर पर सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग सब्जियों की गुणवत्ता में वृद्धि लाती है।

कटाई उपरान्त प्रबन्धन :

कटाई उपरान्त हानि व बचाव के तरीके :

कटाई उपरान्त खाद्यान्नों में 10-12 प्रतिशत, फलों

एवं सब्जियों में 20-40 प्रतिशत व दूध, मीट, मछली में 10-20 प्रतिशत नुकसान प्रतिवर्ष होता है। नई तकनीक अपनाकर इस नुकसान को आधा किया जा सकता है। इसके लिए समय से कटाई, अच्छे प्रकार के कटाई व मड़ाई उपकरणों का प्रयोग, मौसम खराब होने की दशा में बचाव, सुरक्षित भण्डारण, कीटों के आक्रमण से फसल तथा भण्डारण दोनों को बचाना, ठंडा करना तथा कोल्ड चेन का इस्तेमाल करना फलों, सब्जियों व अन्य जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए आवश्यक है।

सुखाना :

परम्परागत विधि धूप में उत्पाद को सुखाना और नमी रहित करना एक आसान व प्रभावी तरीका रहा है, लेकिन खाद्यान्नों के सुखाने में रंग हल्का पड़ना तथा तिलहन में अधिक नमी के कारण खराब होना, तेल प्रतिशत कम होना प्रमुख है। कुछ खाद्यान्नों में माइकोटॉक्सिन का होना उसकी गुणवत्ता को खराब करता है। इसलिए सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल फार्म से लेकर बाजार स्तर तक होना चाहिए। फलों व सब्जियों को नमी रहित करने की इकाई प्रमुख रूप से अंगुर, मिर्च, मटर, भिण्डी, आलू चिप्स, पके आम, स्लाइस, अमावट, बड़ी, अमचूर व अनारदाना में प्रयोग होता है।

भण्डारण:

वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण के कुछ समय बाद 25-50 प्रतिशत ज्यादा मूल्य दिला सकता है। इसके लिए आई0ए0आर0आई0 ने सस्ते तथा कम उर्जा खपत वाले जीरो उर्जा ठण्डे चैम्बर का निर्माण कर सब्जियों व फलों को सामान्य फार्म में स्टोर करने के मुकाबले 2-4 गुना अधिक समय तक भण्डारण करने की विधि ईजाद की है, जो पूर्णतः खेतों/फार्म पर जहां शुष्क व गर्म मौसम हो, काफी किफायती सिद्ध हुई है।

कटाई उपरान्त मूल्य वर्धन:

छिलका उतारना व दाना निकालना

खेतों पर ही छिलका उतारना, दाना निकालना व भूसे से दाना अलग करके मूल्यवर्धन के साथ-साथ ट्रांसपोटे का खर्च कम व स्टोरेज खर्च भी बचाया जा सकता है तथा बाजार में बेचने के लिए अधिक अच्छी तरह से तैयार किया जा सकता है, जिसको उपभोक्ता

अधिक पसन्द करता है। ऐसी तकनीकों को गांवों तथा घरों तक पहुंचाना जरूरी है।

सफाई व ग्रेडिंग:

बड़े आकार के दाने, फल व अच्छे आकार की सब्जियों के दाम अच्छे मिलते हैं। अच्छे दाम के लिए उत्पाद साफ-सुथरा एक आकार का, टूटा-फूटा न हो तो उसके विक्रय में कोई परेशानी नहीं होती। इस प्रकार अपने उत्पादों की ग्रेडिंग कर अच्छा दाम प्राप्त किया जा सकता है, जिसको किसान घर पर अपने फर्म पर आसानी से कर सकता है और अपने समय का उपयोग फलों की सफाई, ग्रेडिंग तथा पैकिंग में लगाकर अतिरिक्त आय कर सकता है।

बिस्किट उद्योग:

प्रसंस्करण में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो उत्पाद प्रयोग किया जा रहा है, वह उसके लायक है कि नहीं। जैसे भारत में उगायी जाने वाली गेहूं की पी0बी0 डब्ल्यू 343 व डब्ल्यू0 एच0 542 व अन्य प्रजाति रोटी बनाने के लिए तो अच्छी है, मगर बेड बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। वहीं प्रजाति सी0पी0ए0 3004 व एच0आई0 977 ब्रेड बनाने के लिए भारतीय प्रजातियों में सबसे उत्तम है। प्रजाति एच0डी0 2285 नान बनाने के लिए उपयुक्त है। भारत में बनायी जाने वाली ब्रेड बिस्किट यूरोपियन के मुकाबले गुणवत्ता में कहीं नहीं टिकती। अतः मुक्त व्यापार सन्धि होने के नाते इस उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जबकि यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि छोटे उद्योगों को नई मशीनें, अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद व तकनीक को प्रचलित किया जाये ताकि ये उद्योग कम कीमत पर अपना उत्पाद बेच सकें।

अनाज :

केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल ;मध्य प्रदेश ने एक छोटी पत्थर की चक्की बनायी है, जिसकी क्षमता 10-15 किग्रा0 प्रति घण्टा है, जो आधा हार्स पावर बिजली से चलती है। यह कई आकारों में बदली जा सकती है। इससे आटा, दाल, बेसन तथा मसालों ;मिर्च, धनिया, हल्दी का पाउडर बनाया जा सकता है। सी0एफ0टी0आर0आई0 ग्रेन मिल की

क्षमता 100 किग्रा0 प्रति घण्टा है, जिससे आटा, मैदा, सूजी तथा दलिया आदि बनाया जाता है। अधपका चावल तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर सस्ती और व्यवसायिक विधि तैयार की गयी है। इन मशीनों का सुधरा हुआ रूप जो लघु तथा घरेलू उद्योगों के लिए तैयार है, वह व्यवसायिक तौर पर उपलब्ध है। गांव की महिलाएं इन मूल्यवर्धन तकनीकों को अपनाकर समय का उपयोग करते हुए लाभ कमा सकती हैं।

दाल मिल:

भारत में परम्परागत दाल जो थोड़े प्राथमिक उपचार के बाद हल्के पत्थर की चक्की से बनाई जाती थी, उनकी आज बाजार में मांग कम है, लेकिन नयी दाल बनाने की छोटी, सरल व घरेलू मशीन ;दाल मिल विकसित की है, जिसको चलाना आसान है।

तिलहन :

तिलहन के प्रोसेसिंग में छिलके उतारना एक प्रमुख कार्य है। इस कार्य के लिए ऐसी कई साधारण मशीनें विकसित हैं, जो विभिन्न तिलहनों के लिए बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें महिलाएं सरलता से चला सकती हैं। जैसे - मूंगफली, सूरजमुखी तथा सोयाबीन आदि के छिलके उतारने की मशीन, तेल निकालने की छोटी हल्की यांत्रिक घानी, जो व्यवसायिक रूप से बाजार में उपलब्ध है।

टमाटर का बीज अलग करने की मशीन :

तमिलनाडु कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने टमाटर से बीज अलग करने की मशीन बनायी है, जो प्रति घण्टा 60 किग्रा0 टमाटर से बीज अलग करती है तथा आधा हार्स पावर मोटर से चलती है। कीमत लगभग 15000.00 रु0 है। कुल पूंजी इस उद्योग के लिए रु0 30000.00 लगती है।

मिर्च का बीज अलग करने की मशीन :

डा0 पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला ने मिर्च से बीज अलग करने की मशीन तैयार की है, जो सूखा मिर्च 4 टन प्रति 8 घण्टे में बीज अलग करती है तथा एक हार्सपावर मोटर से चलती है। इस मशीन को चलाने के लिए एक श्रमिक की आवश्यकता होती है। कुल पूंजी 50000-60000 रु0 की आवश्यकता होती है।

फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण व संरक्षण:

विभिन्न प्रकार के फल तथा सब्जियां पूरे साल मिलती

रहें, इसके लिए अधिकतर फल तथा सब्जियों से रस व गूदा आदि निकालकर जैम, जेली, शरबत, धूरी, चटनी, स्कवैश, अचार आदि बनाये जाते हैं, जिन्हें महिलाएं घरेलू स्तर पर तैयार कर लेती हैं। इस हेतु छटनी के बाद जो छोटे और खराब फल बचते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करके आसानी से काफी अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इसके साथ ही फलों को उसी दशा में अधिक समय तक सुरक्षित रखने की तकनीक व्यवसायिक स्तर पर विकसित की गयी है। जैसे – वैक्सिंग, एल0डी0पी0ई0 छिद्र वाले थैलों में पैक करना, ठण्डे वातावरण वाले भण्डार गृह आदि में रखना आदि।

आजकल कटाई के बाद की प्रक्रियाओं को व्यवसायिक/संगठित बाजार के लिए शहर तथा उपभोक्ता स्तर पर लिया गया है। यदि इसे प्रोडक्शन कैमिसेन्ट अर्थात् जहां पैदा होता है, वहीं स्तर पर कर लिया जाये तो गांव की महिलाओं को छंटाई, सफाई, धुलाई वैक्सिंग तथा प्राथमिक प्रसंस्करण, केले की प्यूरी बनाना, काजू का जूस तथा दाने निकालना,

खजूर का प्रसंस्करण तथा डिब्बाबन्दी, खाने को जमाना, सब्जियों को जमाना, कम से कम संसाधित सब्जियां, फूटवार, फलों की पुट्टी बनाना, फलों के रस, जूस, कन्सन्ट्रेट, फूलों का पुष्प आसव बनाना, फूट स्नैक्स तैयार करना, लहसुन पाउडर बनाना, प्याज के सूखे टुकड़े तैयार करना, नीबू के अचार बनाना, टमाटर प्यूरी, पेस्ट, सॉस तथा चटनी बनाना, टूटी-फूटी, मशरूम की प्रोसेसिंग व कैण्डी बनाना, अन्ननास की प्रोसेसिंग तथा पैकिंग, नीबू, मौसमी का रस निकालना, केला, टेपीआला, कटहल के चिप्स बनाना, आम के रस का कन्सन्ट्रेट तथा कैण्डी आदि।

गुड़ तथा चीनी बनाना :







लगभग 45 प्रतिशत गन्ना गुड़ बनाने के काम आता है और देश में 42 प्रतिशत चीनी बनाने के काम आता है। नई तकनीक से मटकी का गुड़, बूरा, चाकलेट तथा टाफी आदि बनाते हैं। गन्ने के रस का सिरका आज काफी प्रचलन में है। आज के परिवेश में चीनी के बजाय गुड़ की मांग बढ़ रही है, बशर्ते वह गुणवत्तापूर्वक जैविक हो।



Office Stationery & General Order Suppliers

OM LAXMI ENTERPRISES


Darshan Nagar, Industrial Area 2, Ayodhya (UP)


Call us at +91-8960809778
































WILLOWOOD®
Harvesting Dreams


प्रशिक्षित किसान

समृद्ध किसान

CAFIC

CHAMBER OF AGRICULTURE & FPO INDIA COUNCIL
A Not for Profit Company License u/s 8 of Company Act 2013
CIN : U85300UP2020NPL128474

चैंबर ऑफ एग्रीकल्चर व एफपीओ इंडिया काउंसिल की स्थापना किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लक्ष्य के साथ की गई थी, जिसमें किसानों की आय को दोगुना करना शामिल है। चैंबर ऑफ एग्रीकल्चर व एफपीओ इंडिया काउंसिल अपने एफपीओ के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देती है, संसाधनों और बाजारों तक पहुंच को बढ़ाती है, उत्पादकता में सुधार करती है, और उत्पाद के लिए न्यायसंगत मूल्य सुनिश्चित करती है, इसके माध्यम से किसानों को सशक्त बनाती है।



परियद की सदस्यता हेतु संपर्क करें
सी.एस. अमित पांडेय
सचिव
+91- 8188886868

योजना एवं परियोजना के लिए संपर्क करें
डॉ. राम कुमार राय
अध्यक्ष
+91- 7007150477

CHAMBER OF AGRICULTURE & FPO INDIA COUNCIL
UTTAR PRADESH

WWW.CAFIC.ORG



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली

कृषि विज्ञान केन्द्र, चन्दौली

प्रसार निदेशालय

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

भा.कृ.अनु.प.-कृ.प्रौ. अनु. सं. रावतपुर, कानपुर

फसल अवशेष प्रबन्धन उपाय अपनाएं

पर्यावरण को प्रदूषण से बचायें।

भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ायें। धरती से सोना उगलायें।।



फसल अवशेष प्रबंधन से लाभ

- फसल अवशेष प्रबंधन से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद मिलती है।
- मिट्टी का तापमान नियंत्रित करें।
- नमी संरक्षण बढ़ाएँ।
- अपरदन के कारण मिट्टी के कटाव को कम करें।
- खरपतवार नियंत्रण करें।
- बेहतर मिट्टी की संरचना बेहतर करें।
- बेहतर मिट्टी के गुणों में वृद्धि।
- बेहतर जड़ वृद्धि।
- उच्च कार्बनिक पदार्थ सामग्री।
- पोषक तत्व पुनर्चक्रण और बेहतर उपलब्धता।
- उच्च माइक्रोबियल गतिविधियाँ।
- मौसम चक्र परिवर्तन में कमी।

डॉ. एस.पी. सिंह, परियोजना अन्वेषक

फसल अवशेष ना जलायें, पर्यावरण को बचायें

डॉ. रीतेश सिंह गंगवार, सह-अन्वेषक

कृषकों को यह संदेश, मत जलायें फसल अवशेष

• धान का पुआल व गेहूँ की ढूँठ जलाना एक दण्डनीय अपराध है, इस पर जुर्माना किया जा सकता है'

☞ पुआल जलाने से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है।

☞ आग लगाने के कारण वातावरण में धुंध फैल जाती है जिससे आम जन-जीवन प्रभावित होता है।

☞ पुआल में आग लगाने के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

☞ पुआल में आग लगाने के कारण खेत के मित्र जीव (वेक्टीरिया, केचुआ आदि) नष्ट हो जाते हैं।

मशीनों से करें फसल अवशेष प्रबंधन

मशीनों के प्रयोग से समय से बुआई हो जाती है तथा पुआल/ढूँठ में आग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा करें पुआल का प्रबंधन

हैप्पी सीडर



धान के खेत में बिना बुआई गेहूँ की बुआई
मूल्य-1.38-1.80 लाख

रिवर्सिबल एम बी प्लाउ



फसल अवशेष को मिट्टी के अन्दर पलटाना है, जिससे मिट्टी उर्वर होती है।
मूल्य-1.02-1.50 लाख

मल्वर



पुआल को काटकर मिट्टी में डबाकर
बुआई आसान करता है।
मूल्य-1.60-2.25 लाख

कटर कम स्प्रेडर



धान की पुआल को काट कर खेत में फैला
देता है। जिससे बुआई आसान हो जाती है।
मूल्य-0.48-0.70 लाख



कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटवा-आजमगढ़

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या
भा. कृ. अनु. प. - अदारी, जौन-3, कानपुर



भारतीय कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की उपयोगिता

संदीप कुमार पाण्डेय, प्रमोद कुमार मिश्र एवं डी. के. सिंह

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आशय कंप्यूटर, रोबोट या अन्य अत्याधुनिक मशीन द्वारा मनुष्यों के समान बुद्धिमत्ता या कार्य किए जाने के प्रदर्शन से है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी कंप्यूटर, रोबोट या मशीन द्वारा मानव मस्तिष्क के समान नकल करने की क्षमता है, जिसमें उदाहरणों और अनुभवों से सीखना, वस्तुओं को पहचानना, विभिन्न प्रकार की भाषा को समझना और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया देना, स्वयं निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं के संयोजन से मनुष्यों के समान ही कार्य कर पाने की क्षमता इत्यादि शामिल है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा, परिवहन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियाँ:

- हमारे देश भारत में पिछले दो दशकों के दौरान कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, हालाँकि पर्याप्त संसाधनों, वैज्ञानिक परामर्श आदि की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में फसलों की विविधता का अभाव रहा है।
- जनसंख्या में हुई व्यापक वृद्धि के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में कृषि जोत का आकार छोटा हुआ है, जिससे कृषि में किसी बड़े निवेश की संभावनाएँ भी कम हुई हैं।
- कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये हानिकारक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग और कृषि संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से मृदा उर्वरता में गिरावट देखी गई है।

कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

1. कृषि डेटा का विश्लेषण

कृषि के विभिन्न घटकों में प्रतिदिन सैकड़ों और हज़ारों प्रकार के डेटा (जैसे—मृदा, उर्वरकों की प्रभाविकता, मौसम, कीटों या रोग से संबंधित डेटा आदि) उपलब्ध होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से किसान प्रतिदिन वास्तविक समय में कई तरह के डेटा (जैसे— मौसम की स्थिति, तापमान, आद्रता, पानी के उपयोग या अपने खेत से एकत्रित मिट्टी की स्थिति

आदि) विश्लेषण और समस्याओं की पहचान कर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। विश्व के विभिन्न हिस्सों में कृषि सटीकता में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने के लिये किसानों द्वारा मौसम के पूर्वानुमान का मॉडल तैयार करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग व्यापक तौर पर किया जा रहा है।

2. कृषि में सटीकता

कृषि में अधिक सटीकता लाने हेतु पौधों में बीमारियों, कीटों और पोषण की कमी आदि का पता लगाने के लिये कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एआई सेंसर खरपतवारों की पहचान कर सकते हैं और फिर उनकी पहचान के आधार पर उपयुक्त खरपतवारनाशक का चुनाव कर उस क्षेत्र में सटीक मात्रा में खरपतवारनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया कृषि में विषाक्त पदार्थों के अनावश्यक प्रयोग को सीमित करने में सहायता करती है, गौरतलब है कि फसलों में अत्यधिक कीटनाशक या खरपतवार नाशक के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य के साथ प्रकृति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3. श्रमिक चुनौती का समाधान

कृषि आय में गिरावट के कारण इस क्षेत्र को श्रमिकों द्वारा बहुत ही कम प्राथमिकता दी जाती है, वस्तुतः कृषि क्षेत्र में कार्यबल की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। श्रमिकों की इस कमी को दूर करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय कृषि में एक उपयुक्त समाधान हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मानव मजदूरों की तुलना में अधिक मात्रा में और तेज़ गति से फसलों की कटाई कर सकते हैं, ये अधिक सटीक रूप से खरपतवारों को पहचान कर उन्हें हटाने में सक्षम हैं तथा इनके प्रयोग के माध्यम से कृषि लागत में भारी कमी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, किसानों द्वारा कृषि से जुड़े परामर्श के लिये चैटबॉट की भी सहायता ली जा रही है। कृषि के लिये विशेषज्ञों की सहायता से बनाए गए ये विशेष चैटबॉट विभिन्न प्रकार के सवालों के जवाब देने में मदद करते हैं और विशिष्ट कृषि समस्याओं पर सलाह और सिफारिशें प्रदान करते हैं।

4. मौसम पूर्वानुमान

मौसम बदलाव, खेत की फसल का आकलन, पैदावार, बाजार की मांग और आपूर्ति जैसे फसल के कारोबार पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का अनुमान लगाने में एआई के इस्तेमाल से किसान लाभान्वित हो सकते हैं। मौसम एक बहुत ही गतिशील प्रक्रिया है, जिसका खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसल की उच्चतम पैदावार मौसम पर निर्भर करती है, इसलिए उचित वर्षा, गर्मी का दुष्प्रभाव, प्रतिदिन धूप की अवधि, आर्द्रता, प्राकृतिक आपदा के पूर्वानुमान जानना आवश्यक है। मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान और रिपोर्टिंग में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्षा, तापमान, हवा की गति, आर्द्रता, गर्मी आदि जैसे मौसम मापदंडों के आकड़े (डेटा) एकत्रित करने के लिए विभिन्न सेंसर का इस्तेमाल कर लंबी अवधि में डेटा संग्रहित करना संभव हो सकता है। दैनिक डेटा का भंडारण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग स्वचालित रूप से एआई तकनीक द्वारा किया जाता है, जबकि एआई पुराने डेटा रुझान से मौसम की पूर्वानुमान कर सकता है। पूर्वानुमानों का उपयोग तदनुसार समय पर कर उचित कार्रवाई से फसल उत्पादन के नुकसान को कम किया जा सकता है।

5. खेत में संसाधनों की पूर्ति

पोषक तत्वों और रासायनिक अनुप्रयोगों को उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। कृषि कार्यों में एआई आधारित स्वचालन का उपयोग करके कृषि में सटीक संचालन में उच्चतम स्तर को लाने में मदद मिलती है। एआई आधारित मशीनरी और रोबोटिक्स का उपयोग आवश्यक कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। ये मानव और सामान्य मशीनरी की तुलना में तेज तथा अधिक कुशलता का प्रदर्शन करते हैं।

6. खेत की तैयारी

प्रत्येक फसल के अंत में अगली फसल की बुआई और रोपण के लिए खेत की तैयारी आवश्यक है। भारत जैसे अधिकांश विकासशील देशों में ट्रैक्टर या पॉवर टिलर का प्रयोग करके खेत को तैयार किया जाता है। कुछ स्थानों पर बैलचालित हल का उपयोग किया जाता है। खेत की तैयारी में सबसे ज्यादा लागत आती है। इसलिए एआई तकनीक का उपयोग करके लागत में कटौती करने की एक बड़ी गुंजाइश है। इसमें मृदा के प्रकार, मृदा के घनत्व और संचालन की आवश्यक गहराई का विश्लेषण करने की क्षमता है। स्वचालित

गहराई और ड्रॉफ्ट नियंत्रण तंत्रों को अपनाकर एआई तकनीक द्वारा जुताई और संचालन की गहराई को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा, वर्तमान समय में कई वाहनों में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स एप्लीकेशन को देखा गया है। यह ट्रैक्टर या कृषि वाहनों में आसानी से अपनाया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके द्वारा स्वचालित प्रत्यारोपण उपकरणों का उपयोग जैसे—धान, सब्जियों फसल के बीज के लिए किया जा सकता है।

7. फसलों को लेकर भविष्यवाणी

जलवायु की स्थिति में बदलाव और बढ़ते प्रदूषण के साथ किसानों के लिए बीज बोने का सही समय निर्धारित करना मुश्किल होता रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसान मौसम की भविष्यवाणी का उपयोग करके सही स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे उन्हें अलग-अलग फसलों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है, जैसे कि बीज कब बोना है और कब नहीं। विभिन्न एआई और मशीन लर्निंग टूल्स के जरिए कीटों के हमलों आदि को लेकर भी एलर्ट प्राप्त किया जा सकता है। एआई की सहायता से किसान वास्तविक समय में कई तरह के डाटा, जैसे—मौसम की स्थिति, पानी के उपयोग, मिट्टी की स्थिति, तापमान आदि का विश्लेषण करके समस्याओं की पहचान कर सकते हैं। इससे समय पर सही निर्णय लेने में आसानी होगी। फसल एग्रीटेक कंपनी किसानों का लाभ बढ़ाने के साथ सटीक अनुमान लगाने में मदद करती है। कंपनी ने कृषि डाटा की निगरानी के लिए एप विकसित किया है। इसके अलावा, इसने फसल सेंस नामक आइओटी डिवाइस बनाया है, जो खेत की निगरानी और डाटा एकत्र करता है। एआई के माध्यम से कंपनी खेत के हिसाब से खास फसल उगाने की सलाह देती है।

8. मिट्टी की गुणवत्ता

एआई, मशीन लर्निंग, इन-ग्राउंड सेंसर, इंफ्रारेड इमेजरी और रियल-टाइम वीडियो एनालिटिक्स पैदावार में सुधार कर सकते हैं। फसलों की गुणवत्ता में मिट्टी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। हालांकि उर्वरकों के अतिशय प्रयोग और वनों की कटाई में वृद्धि के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। ऐसे में मिट्टी की उर्वरता का निर्धारण करना कठिन है। एक जर्मन-आधारित टेक स्टार्टअप पीइएटी ने

प्लांटिक्स नामक एआइ आधारित एप्लीकेशन विकसित किया है, जो कीटों, बीमारियों सहित मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है, जिससे किसानों को उसके हिसाब से उर्वरक का उपयोग करके फसल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

9. फसल की मानिट्रिंग

स्काईस्क्रैल टेक्नोलाजीज फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए ड्रोन आधारित एरियल इमेजिंग समाधान लेकर आया है। इस तकनीक में ड्रोन खेतों से डाटा कैचर करता है और फिर डाटा को यूएसबी ड्राइव के माध्यम से ड्रोन से कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। कंपनी कैचर की गई इमेज का विश्लेषण करने के लिए अल्गोरिदम का उपयोग करती है और विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करती है। यह किसानों को कीटों और जीवाणुओं की पहचान करने में मदद करता है। भारत में भी उद्योगों ने एआइ संचालित फसल उपज भविष्यवाणी माडल विकसित करने के लिए सरकार के साथ हाथ मिलाया है। यह प्रणाली फसल उत्पादकता बढ़ाने, कीट या बीमारी के प्रकोप की चेतावनी देने के लिए एआइ आधारित तकनीक का इस्तेमाल करती है। किसानों को सटीक जानकारी देने के लिए कंपनियां इसरो द्वारा उपलब्ध कराए गए रिमोट सेंसिंग डाटा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के डाटा, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम की भविष्यवाणी, मिट्टी की नमी और तापमान का विश्लेषण आदि का उपयोग करती है।

10. खेतों की निगरानी

आपने गांवों में देखा होगा कि पशु-पक्षियों से फसल को बचाने के लिए किसान खेतों में मचान बनाकर निगरानी करते हैं, लेकिन अब फसलों को बचाने के लिए एआइ और एमएल जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इससे रियल-टाइम वीडियो फीड मानिट्रिंग प्रणाली के जरिए तुरंत एलर्ट हासिल किया जा सकता है।

11. मृदा पोषक तत्व विश्लेषण और प्रबंधन

मृदा में पोषक तत्वों का अनुप्रयोग लागत प्रभावी और श्रम साध्य है। इष्टतम मात्रा को देने के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। मृदा में पोषक तत्वों की खेत में आवश्यकता भिन्न हो सकती है। इसके लिए पोषक तत्वों का समान दर पर वितरण उचित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप निवेश की उच्च लागत और पर्यावरण पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ता है। रसायनों के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग के लिए, खरपतवारों और कीटों या रोगों से संक्रमित लक्ष्य स्थान की पहचान के लिए, एक मानचित्र प्रणाली की आवश्यकता होती है।

12. मृदा में नमी की माप

मृदा की नमी की मात्रा समय के साथ और वाष्पीकरण के साथ बदल जाती है। इसलिए पानी के प्रति संवेदनशील फसलों के लिए मृदा नमी की निरंतर निगरानी महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली में स्वचालन संभव है। एआई इलेक्ट्रिक पंप के साथ एकीकृत, नमी सेंसर से क्षेत्र के पानी की मात्रा का विश्लेषण होता है, और वास्तविक समय के डेटा के आधार पर, एआई पंप को नियंत्रित करने के लिए, स्वचालन प्रणाली में पंप को इस प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है। इससे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।

13. उर्वरकों का उचित प्रबंधन

रसायनों के समान वितरण के कारण, निक्षेप, अधिक मात्रा में या कम मात्रा में होता है। जब एक बड़े क्षेत्र को छोटी इकाई में विभाजित करके, उपलब्ध पोषक तत्वों के स्तर पर पोषक तत्व की उपलब्धता का नक्शा बनाकर प्रसंस्करण या कंप्यूटिंग इकाई में दिया जाता है, तब एआई तकनीक के साथ पोषक तत्व नक्शा आधारित रासायनिक और उर्वरक वितरण अधिक प्रभावी है। इसी तरह इमेज प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करके कीट या रोग के संक्रमण का स्तर एवं स्थान का पता लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थान को अक्षांश और देशांतर स्थिति के अनुसार चिन्हित और पहचाना जाता है। इन आंकड़ों का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली द्वारा रोबोट या स्वचालित एप्लीकेटर द्वारा सटीक प्रबंधन को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद, क्षेत्र में रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग स्वचालन प्रणाली और रोबोटिक्स एप्लीकेशन द्वारा खेत या ग्रीनहाउस में इष्टतम दर से किया जाता है।

14. रोग विश्लेषण

रोगों और कीटों के प्रकोप के कारण फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है। ए. आई फसल रोग और कीट उपस्थिति का पता लगाने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो प्रबंधन के लिए प्रमुख कारक हैं। इसलिए सेंसर आधारित वास्तविक समय डेटा संग्रह और इसका कुशलतापूर्वक विश्लेषण एआई द्वारा निरंतर करते हुए

निगरानी संभव है। छवि प्रसंस्करण एक उन्नत तकनीक है, जिसका उपयोग फसल में रोग और कीट का पता लगाने के लिए किया जाता है, ताकि कीटनाशक के अनुकूलतम प्रयोग के साथ संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त मॉडल के साथ आंकड़ा सेट के विश्लेषण और प्रशिक्षण के लिए गणितीय दृष्टिकोण और तार्किक तरीकों का उपयोग किया जाता है।



15. निराई गुड़ाई का कार्य

ए.आई. आधारित तकनीक खरपतवार का पता लगाने और यांत्रिक या रसायन स्वचालन प्रणाली द्वारा निराई के लिये बहुत उपयोगी है क्षेत्र के हरे रंग का विश्लेषण किया जाता है और तदनुसार, खरपतवारनाशी का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा फसल की रूपरेखा/रूपात्मक विशेषता का पता लगाने वाली तकनीक द्वारा खरपतवारों की पहचान करने और मुख्यफसल को खरपतवारों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। फसलों और खरपतवारनाशी के मापदंडों का विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न विशिष्ट विशेषताओं और

परिकल्पना के अनुसार क्लस्टर में विभाजित किया जाता है। इससे खरपतवार और फसल की विशेषता को विकसित किया जाता है। इसका उपयोग खरपतवार संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

16. फसल परिपक्वता स्तर का विश्लेषण और कटाई

कटाई के लिए फसल की परिपक्वता का सही स्तर महत्वपूर्ण है। नमी की अधिक मात्रा के कारण फसल की अपरिपक्व कटाई से नुकसान होता है, जिससे किसान को हानि होती है। इसलिए उपयुक्त कटाई का समय बहुत महत्वपूर्ण है और यह विभिन्न आदानों जैसे कि भौतिक गुणों रंग, गंध, घनत्व, नमी आदि जैसे विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करके किया जाता है। ए. आई में फसल मापदंडों की परिपक्वता संबंधित मानक हस्ताक्षर से तुलना करने की क्षमता होती है। छवि प्रसंस्करण और ई-नाक सेंसर फसल की परिपक्वता का आकलन करने में प्रभावी पाए जाते हैं। इनके उपयोग से फसल के नुकसान को बचाया जा सकता है तथा किसान के लाभ को बढ़ाया जा सकता है।

डॉ. रेड्डीज़ फाउंडेशन





एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना सन् 1996 में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों को अपने जीवन को सुधारने एवं जटिल सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नवीन समाधान विकसित करने और इसके विस्तार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हम भारत के 20 राज्यों में बच्चों, युवाओं (विकलांग व्यक्तियों सहित) महिलाओं और किसानों के साथ काम करते हैं। डॉ. रेड्डीज़ फाउंडेशन के द्वारा संचालित (AEC)Regenerative Climate Smart Agriculture) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद आजमगढ़, गोंड, गोरखपुर एवं बहराइच आदि जिलों में (कोर्टवा एग्री साइंस, कृषि विज्ञान केंद्र, ब्लॉक एवं जिला कृषि विभाग, एफ. पी. ओ एवं अन्य सहकारी समितियों के सहयोग से) किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से खेती में बढ़ती लागत, मजदूरों की कमी, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी व निरंतर जल स्तर में कमी एवं जलवायु परिवर्तन को देखते हुए विभिन्न जनपदों में धान की मशीनीकृत सीधी बुवाई को विगत 3 वर्षों में बढ़ावा दिया गया जिसके अंतर्गत संस्था के निरंतर प्रयासों से लगभग 8000 किसानों ने लगभग 10000 एकड़ में धान की मशीनीकृत सीधी बुवाई को अपनाया, इसके साथ ही हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गेहूँ की शून्य जुताई विधि को भी बढ़ावा दिया गया इससे कई किसान लाभान्वित हुए साथ ही साथ विगत 3 वर्षों में धान की मशीनीकृत सीधी बुवाई एवं गेहूँ के शून्य जुताई विधि संबंधित बातों को लेकर लगभग 15000 से अधिक किसानों को जागरूक किया गया संस्था द्वारा अब तक क्रियान्वित जिलों में 67 किसानों को मल्टी क्रॉप प्लांटिंग मशीन सप्लाय डेक्ट उपलब्ध कराया गया।

गेहूँ की शून्य जुताई विधि को बढ़ावा दिया गया

67 किसानों को मल्टी क्रॉप प्लांटिंग मशीन सप्लाय दिया गया

मशीनीकृत सीधी बुवाई विगत 3 वर्षों में बढ़ावा दिया गया

67 किसानों को मल्टी क्रॉप प्लांटिंग मशीन सप्लाय दिया गया



श्री योगी आदित्यनाथ जी
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

कृषि विभाग जय जवान

जय किसान

जय विज्ञान

उत्तर प्रदेश

फसल अवशेष प्रबंधन उपाय अपनाएं

खेत और पर्यावरण को नुकसान होने से बचाएं

फसल अवशेष को जलाने से नुकसान

किसान भाईयों से आपील

- ❖ फसल अवशेष को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है।
 - ❖ खेत में मौजूद केंचुए मर जाते हैं।
 - ❖ जमीन में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाता है।
 - ❖ फसलों की पैदावार में कमी हो जाती है।
- खेत की पसाली को ना जलाएं और स्वयं के उपयोग में न लाने पर निकटस्थ के निराश्रित गौशाला में पसाली का दान करें और इसके बदले गौशाला से खाद लें।

वेस्ट डी कम्पोजर
जनपद के सभी राजकीय
वीज भण्डारों पर
नि:शुल्क उपलब्ध है।

इन्हें जलाए नहीं खाद बनाएं

फसल अवशेष को ऐसे काम में लें

- ❖ **तरीका**
फसल अवशेष को जुलाई करके इन-सीटू प्रबंधन से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर जुलाई कर के मिट्टी में मिलाये एवं यूरिया डालकर सिंचाई करें।
- ❖ फसल अवशेष से नापेंड कम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट भी बना सकते हैं।

फायदा

- ❖ खेत की जलधारण क्षमता बढ़ता है।
- ❖ खेत में जीवाणु की मात्रा बढ़ने से लाभदायक जीव केंचुआ आदि प्रपतते हैं।
- ❖ खेत उपजाऊ बनता है।
- ❖ फसलों की उपज बढ़ती है।

खेत में फसल अवशेष जलाना एक दुरुस्तीय अन्याय है। इसके प्राथमिक निवारण हैं।

1. 02 एकड़ कमक्षेत्र के लिए रु0 2500.00
2. 02 एकड़ से 05 एकड़ के लिए रु0 5000.00
3. 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रु0 15000.00

भाषाए की पुनरावृत्ति करने पर कारावास एवं भण्डारों से वीजित किया जाएगा।



धरती को दो यह वरदान, पर्यावरण का न हो नुकसान।

वेस्ट डी कम्पोजर का पसाली पर छिड़काव करें

सत्येन्द्र सिंह चौहान

उप कृषि निदेशक

मऊ

प्रधानत नागर (आई.ए.एस.)

मुख्य विकास अधिकारी

मऊ

अरुण कुमार (आई.ए.एस.)

जिलाधिकारी

मऊ



कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार, गोरखपुर

(आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमरगंज, अयोध्या, उ. प्र.)



निका (जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार) परियोजना

यह परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- केंद्रीय वाराणसी कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रीडा), हैदराबाद की एक नेटवर्क परियोजना है।

उद्देश्य

- प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के लिए फसलों, पशुधन और मत्स्य पालन को कवर करने वाली भारतीय कृषि के लचीलेपन को बढ़ाना।
- किसानों के खेतों पर साइट-विशिष्ट प्रौद्योगिकी पैकेज प्रदर्शित करना।
- जलवायु-लचीले कृषि अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग में वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण को बढ़ाना।

निका परियोजना कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार, गोरखपुर द्वारा वर्ष 2011 में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिए संचालित है। केंद्र पर इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों हेतु एवं जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकी को बढ़ावा देना। जिसके अंतर्गत जनपद के बाढ़ग्रस्त गांव जंगहा, माहोपार, तिघरा एवं मल्लीपुर का चयन कर निम्न मांहुल्स पर कार्य कराए जा रहे हैं। :-

मांहुल्स-1:- फसल उत्पादन इंटरवेंशन:

- › धान की सबमर्जिन टोलरेंट प्रजाति स्वर्णा सब-1, एवं सांभा सब-1 के प्रदर्शन।
- › बाढ़ के उपरांत कम अवधि की फसलों सांगा प्याज, लोबिया, मूली,पालक आदि पर प्रदर्शन।
- › फसलों का विविधीकरण कर अन्य फसलों पर प्रदर्शन।

मांहुल्स-2:- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन इंटरवेंशन:

- › सुपर सीडर से गेहूं की बुवाई कर फसल अवशेष प्रबंधन।
- › जीरो टिल से गेहूं की बुवाई कर समय एवं लागत की बचत।
- › हरी खाद का समावेश कर मृदा उर्वरकता वृद्धि।

मांहुल्स-3:- पशुधन प्रबंधन इंटरवेंशन:

- › वर्षभर हरा चारा हेतु बहुवर्षीय हरा चारा (नेपियर) का उत्पादन।
- › परजीवी नाशक एवं खनिज मिश्रण का प्रयोग कर पशु के दूध के उत्पादन में वृद्धि।
- › टीकाकरण द्वारा पशुओं को बीमारियों से बचाव।

मांहुल्स-4:- क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन:

मांहुल्स-5:- अन्य प्रसार गतिविधियों: प्रश्न दिवस, ध्रमण, जागरूकता गोष्ठी, किसान मेला, पशु शिवरों आदि का आयोजन।



डॉ. एस.के. तोमर, मुख्य अन्वेषक

डॉ. एस.पी. सिंह, मुख्य सह-अन्वेषक



कृषकों को किराये पर उपलब्ध मशीनें इन - सीटू फसल अवशेष प्रबन्धन परियोजना



क्र.सं.	मशीन का नाम	मशीन का किराया (रु. प्रति घंटा)	मशीन का मरम्मत (रु. प्रति घंटा)
1.	हैप्पी सीडर	1300	200
2.	आर. एम.बी. प्लाऊ दो बॉटम	1200	200
3.	आर. एम. बी. प्लाऊ तीन बॉटम	1500	300
4.	शख मास्टर	400	100
5.	स्ट्रॉ चापर / मल्चर 7 फीट	1200	200
6.	स्ट्रॉ चापर / 8 फीट	1500	250
7.	रोटरी श्लैसर	400	100
8.	जिरो-टिल-फर्टी-कम सीडर	600	150
9.	रोटावेटर	1000	200
10.	सुपर - सीडर	1600	500

धान की पराली को न जालायें।
वातावरण को प्रदूषण से बचायें।।



कृषि विज्ञान केंद्र, नानपारा, बहराइच - II

प्रसार विदेशालय

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमरगंज-अयोध्या
आठ कृषि अन्वेषक, कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, (अटाई) जौन-3, कानपुर



टमाटर के प्रमुख कीट, रोग एवं उनका नियंत्रण

हिमांशु शेखर सिंह, वी.पी. सिंह एवं अश्वनी कुमार सिंह

टमाटर की खेती हमारे देश में लगभग पूरे साल की जाती है। उद्यानिकी फसलों में आलू व प्याज के बाद टमाटर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सब्जी है। टमाटर में कार्बोहाइड्रेट, लौह, कैल्शियम तथा अन्य खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। टमाटर में विटामिन ए एवं सी प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। टमाटर में लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है जिससे इसके फलों का रंग लाल होता है। यह वर्णक एक महत्वपूर्ण एन्टी आक्सीडेंट है जो कि कैंसर का रोग प्रतिरोधी कारक है। टमाटर को सब्जी एवं सलाद के अलावा परिरक्षण करके चटनी, अचार, सॉस, केचप आदि बनाने में किया जाता है। चूँकि टमाटर की खेती साल भर की जाती है अतः इसमें अनेक प्रकार के कीटों एवं रोगों का आक्रमण होता है जिससे फसल को भारी क्षति होती है। अतः फसल संरक्षण अति आवश्यक है। टमाटर के प्रमुख कीट, रोग एवं उनके प्रबन्धन की जानकारी निम्नवत है।

प्रमुख कीट एवं उनका नियंत्रण—

1. फल बेघक इल्ली— इल्ली टमाटर के कच्चे फलों में छेद करके अन्दर घुस जाती है तथा अन्दर ही अन्दर फल के गूदे को खाती है। इल्ली के शरीर का आधा हिस्सा (अगला) छेद के अन्दर रहता है तथा आधा हिस्सा (पिछला) बाहर रहता है। जिस फल में सुराक हो जाता है वह फल पूर्ण रूप से सड़ जाता है। इस कीट के प्रकोप से 50–60 प्रतिशत तक क्षति हो जाती है।

नियंत्रण— गेंदा की फसल को जाल फसल के रूप में लगाने से इस कीट का प्रभावी नियंत्रण होता है। अतः रोपाई करते समय 14 लाइन टमाटर लगाने के बाद एक लाइन गेंदा की रोपाई करनी चाहिए। गेंदा की नर्सरी टमाटर की नर्सरी से 15 दिन पहले डाल देनी चाहिए। फेरोमोन ट्रैप 12 प्रति हेक्टेयर की दर से गेंदे में फूल आते समय लगाना चाहिए।

खड़ी फसल में कीट का प्रकोप दिखाई देने पर आवश्यकतानुसार किसी भी कीटनाशक जैसे— इमामेक्टिन बेन्जोएट 5 प्रतिशत (एस.जी.) 250 ग्राम या इन्डोक्साकार्ब 14.5 प्रतिशत (एस.सी.) 375 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से 375 लीटर पानी के साथ छिड़काव करके भी इसको नियंत्रित किया जा सकता है।

2. लीफ माइनर— कभी—कभी यह कीट बहुत नुकसान पहुँचाता है। इस कीट के आक्रमण से पौधों की पुरानी पत्तियों पर सफेद धारियाँ बन जाती हैं जिससे पौधों की पत्तियाँ क्लोरोफिल रहित हो जाती है अतः पौधा भोजन नहीं बना पाता है इस कारण उपज में गिरावट आ जाती है।

नियंत्रण— इस कीट के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत (एस.एल.) 250 मिली या थायमिथोक्जाम 25 प्रतिशत (डब्ल्यू.जी.) 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।

3. सफेद मक्खी— टमाटर की फसल का यह प्रमुख कीट है। यह सफेद रंग का एवं आकार में बहुत छोटा होता है। इस कीट का पूरा शरीर सफेद मोम से ढका रहता है। इस कीट के प्रौढ़ एवं शिशु दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियाँ सामान्य से कुछ मोटी, मुड़ी हुई एवं हल्के हरे रंग की हो जाती है। इसके बाद पौधों में फूल व फल नहीं लगते हैं। यह कीट टमाटर में लीफ कर्ल वायरस रोग का वाहक भी है।

नियंत्रण— इस कीट की रोकथाम के लिए बीज को बोने से पहले इमिडाक्लोप्रिड 48 प्रतिशत (एफ.एस.) 5 मिली/किग्रा 0 बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। खड़ी फसल में कीट के लक्षण दिखाई देने पर आवश्यकतानुसार कीटनाशक जैसे— इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत (एस.एल.) 250 मिली या एसीटामिप्रिड 20 प्रतिशत (एस.पी.) 375 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 10–12 दिन के अन्तराल पर 2–3 छिड़काव करना

चाहिए । एक ही दवा का दोबारा छिड़काव नही करना चाहिए ।

4. थ्रिप्स— इस कीट के प्रौढ़ चमकीले रंग के तथा अत्यंत छोटे होते हैं । जिन्हे हम अपनी नंगी आखों से नही देख पाते हैं । ये झुण्ड में नमी पत्तियों पर चिपके रहते हैं एवं उनका रस चूस लेते हैं जिससे पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं एवं पत्तियाँ अन्दर की तरफ मुड़ जाती हैं तथा कुछ समय बाद पूरा पौधा मुरझा कर सूख जाता है । यह कीट टमाटर में स्पॉटेड विल्ट वायरस रोग का वाहक भी है ।

नियंत्रण— इमिडाक्लोप्रिड 48 प्रतिशत (एफ.एस.) 5 मिली/किग्रा 0 बीज की दर से बीजोपचार करके बुवाई करना चाहिए । खड़ी फसल में आवश्यकतानुसार कीटनाशक जैसे— इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत (एस.एल.) 250 मिली या थायमिथोकजाम 25 प्रतिशत (डब्ल्यू.जी.) 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें ।

प्रमुख रोग एवं उनका नियंत्रण —

1. डैम्पिंग आफ (पद गलन)— यह रोपणी से लगने वाला एक प्रमुख रोग है यह भूमिजनित रोग है । यह रोग टमाटर के अलावा मिर्च, गोभी, बैंगन आदि फसलों में भी लगता है । यह रोग पिथियम, फाइटोफथोरा एवं राइजोक्टोनिया नाम फफूंदों के मिले—जुले संक्रमण से होता है । सर्वाधिक संक्रमण पिथियम नामक फफूंद से होता है । इस रोग के लक्षण पौधों पर दो रूप में दिखाई देते हैं एक बीज अंकुरित होकर भूमि की सतह से निकलने के पूर्व ही मर जाता है तथा दूसरा अंकुरण के बाद पौधे का वह भाग जो जमीन की सतह से लगा होता है वहाँ से पौधा लुढ़क कर नष्ट हो जाता है ।

नियंत्रण— इस रोग की रोकथाम के लिए नर्सरी का स्थान हर वर्ष बदल देना चाहिए तथा नर्सरी स्थल को या तो सौर ऊर्जा से या फार्मेलिन 225 मिली/टंकी की दर से उपचारित करना चाहिए ।

बीज को कार्बेन्डाजिम+मैन्कोजेब 75 प्रतिशत (डब्ल्यू.एस.) दवा से 2 ग्राम या ट्राईकोडर्मा विरडी 5 ग्राम/किग्रा बीज की दर से उपचारित करें । यदि

नर्सरी में रोग का लक्षण दिखाई दे तो नमी यथा संभव कम करें तथा साइमोक्सानिल+मैन्कोजेब 72 प्रतिशत (डब्ल्यू.पी.) 1.25 किग्रा या मेटालैक्सिल—एम.+मैन्कोजेब 68 प्रतिशत (डब्ल्यू.पी.) 1 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें ।

2. अगोती अंगमारी— टमाटर की फसल का यह प्रमुख रोग है । यह रोग आल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद से होता है । इस रोग के लक्षण निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं । इस रोग में पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के मेढक की आंख जैसे गोलाकार धब्बे बनते हैं । इन धब्बों के चारों ओर पीलापन होता है । नम वातावरण में ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को झुलसा देते हैं ।

नियंत्रण— इस रोग के नियंत्रण हेतु टेबुकोनाजोल+ट्राईफ्लोक्सिस्ट्राबिन 75 प्रतिशत (डब्ल्यू.जी.) 375 ग्राम अथवा हेक्साकोनाजोल+कैप्टान 75 प्रतिशत (डब्ल्यू.पी.) 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 10—15 दिन के अन्तराल पर 2 छिड़काव करें ।

3. बक आई राट— यह रोग सामान्यतः कच्चे एवं हरे फल पर दिखाई देता है । यह रोग फाइटोफथोरा पैरासिटिका नामक फफूंद से होता है । जो फल जमीन पर नमी के सीधे संपर्क में रहते हैं उन फलों पर इस रोग का आक्रमण होता है । प्रभावित फलों पर हल्के भूरे या काले रंग के गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं कुछ समय बाद रोगग्रस्त फल जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं ।

नियंत्रण— इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों को लकड़ी एवं तार की मदद से सीधा खड़ा करें एवं जमीन की सतह से 20—25 सेमी. ऊपर तक की पत्तियों को तोड़ देना चाहिए ।

खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर साइमोक्सानिल+मैन्कोजेब 72 प्रतिशत (डब्ल्यू.पी.) 1.25 किग्रा या मेटालैक्सिल—एम.+मैन्कोजेब 68 प्रतिशत (डब्ल्यू.पी.) 1 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए ।

4. पछेती अंगमारी— टमाटर के अलावा यह रोग आलू की फसल पर भी लगता है । तापमान 10–20 डिग्री से. हो, बादल छाये हों, हल्की एवं रुक-रुक कर बारिस हो रही हो तो यह रोग बहुत तेजी से फैलता है । रोग का आक्रमण निचली पत्तियों से शुरू होता है । रोग के प्रारम्भिक अवस्था में पत्तियों पर गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे बनते हैं । इन धब्बों के ठीक नीचे पत्तियों की निचली सतह पर फफूँद की सफेद बढ़वार दिखाई देती है । रोग का अधिक प्रकोप होने पर ये धब्बे पर्णवृन्त एवं तनों पर फैल जाते हैं एवं नम मौसम में पूरा पौधा मुरझा कर सूख जाता है ।

नियंत्रण— इस रोग के नियंत्रण हेतु साइमोक्सानिल+मैन्कोजेब 72 प्रतिशत (डब्ल्यू.पी.) 1.25 किग्रा या मेटालैक्सिल-एम.+मैन्कोजेब 68 प्रतिशत (डब्ल्यू.पी.) 1 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 10–15 दिन के अन्तराल पर 2 छिड़काव करें ।

5. जीवाणु जनित उकठा रोग— यह एक भूमि जनित रोग है जो टमाटर उगाने वाले सभी क्षेत्र में

पाया जाता है । यह रोग राक्सटोनिया सोलेनेसियेरम नामक जीवाणु से होता है । एक ही खेत में लगातार टमाटर, बैंगन, आलू आदि उगाने से इस रोग का प्रकोप ज्यादा होता है । जब फसल पूर्ण विकसित होकर उत्पादन देने की स्थिति में होती है तभी पौधे नीचे की तरफ झुककर अचानक मुरझा जाते हैं और अंत में पूरा पौध नष्ट हो जाता है ।

नियंत्रण— धान्य एवं तिलहनी फसलों के साथ उचित फसल चक्र अपनायें । रोपणी से पूर्व पौधों की जड़ों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम / 10 ली. पानी के घोल में 10–15 मिनट तक डुबोकर एवं आधे घण्टे तक छाये में सुखाकर मुख्य खेत में रोपाई करें ।

खेत में रोग के लक्षण दिखाई देते ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तथा पुनः 8–10 दिन बाद कापर आक्सीक्लोराइड 50 प्रतिशत (डब्ल्यू.पी.) 1.25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए ।

GSTIN No. 09CEIPM5166D2ZB

Mob- 9936533491, 7275533491

Seed Lic. 536/53524 | Pesticide Lic. BLP, 120

एग्री जंक्शन (वन स्टाप शॉप)

समस्त प्रकार के खाद, बीज एवं कीटनाशक के थोक व फुटकर विक्रेता



अभिमन्यु मौर्य

क— खाद एवं उर्वरक

1. इफको द्वारा निर्मित सभी खाद एवं उर्वरक
2. यारा कम्पनी द्वारा निर्मित सभी खाद एवं उर्वरक

ख— बीज

1. पाइनियर सीड
2. क्रिस्टल प्रो एग्री
3. यू.पी. एल. एडवान्टा

4. श्री सीड्स

5. नामधारी
6. डेल्टा सीड
7. श्री राम बायोसीड

ग— पौध सुरक्षा रसायन

1. क्रिस्टल
2. ट्रापिकल
3. बायर
4. एफ.एम.सीनोट—

हमारे यहां सभी प्रकार के बीज, कीटनाशी, फफूँदनाशी इत्यादि की आपूर्ति बिल के आधार पर की जाती है ।

पता— अनिल मौर्या बीज भण्डार बढ़नी रोड, पचपेड़वा—बलरामपुर

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जनपद-गोरखपुर उत्तर प्रदेश

उद्यान विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में कृकों का पंजीकरण “ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन” dbt.uphorticulture.in पर पहले आओं पहले पाओं अनुदान का भुगतान पी0एफ0एन0एस0 सिस्टम से डी0बी0टी से कृकों के आधार सीडेल खाते में डी0बी0टी / काइन्ड डी0बी0टी से लागू है। योजनावार विवरण निम्नवत् है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आव यक प्रपत्र व्यक्तिगत खातौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्रथम पृठ की छायाप्रति जिसमें आईएफएससी कोड व खाता संख्या स्पट हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन पत्र, पथ पत्र, दो फोटोग्राफ व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में प्रयुक्त प्रपत्रों खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में उपलब्ध करा दें।

एकीकृत बागवानी विकास गिन :- योजना के तहत नवीन उद्यान रोपण में केला, पीता, आम, अमरूद, लाइम एण्ड लेमन्स, बेल फ्रूट, जैक फ्रूट, अंजीर संकर ाकभाजी कार्यक्रमों में कृकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट बेस कार्यक्रम के तहत:- पॉली हाउस ेडनेट हाउस मा रूम प्रोडक्शन यूनिट कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट स्पान मेकिंग यूनिट प्याज भण्डार गृह पैक हाउस कोल्ड स्टोरेज कोडरूम (स्टेकिंग) प्री कूलिंग यूनिट रीफ्रिजरेटिव इकाई प्राइमरी मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट आदि पर जिस इकाई पर दित्ता-निर्दों में जो लागू है अनुदान देय है। कार्यक्रम में व्यय कृक को स्वयं करना होगा तथा ासन द्वारा निर्धारित कमेटी के सत्यापनोपरान्त अनुदान लाभार्थी के बैंक खाते या लोन खाते में ऑनलाइन हस्तान्तरित किया जायेगा।

प्रधानमंत्री कृी सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रोइरीगोन :-

योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई मिनी स्पिंकलर माइक्रो स्पिंकलर रेनगन स्पिंकलर कृक अपनी इच्छानुसार उ0प्र0 सरकार द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड कम्पनी/फार्म से अपना संयंत्र स्थापित करा सकता है। जियोटैंग सत्यापनोपरान्त की संतुष्टि प्रमाण पत्र उपरान्त अनुदान का भुगतान डीबीटी से कृक के आधार बैंक खाते में पीएफएमएस सिस्टम से किया जाता है।

प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई):-

योजना के तहत जनपद में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उच्चीकरण यथा बेकरी उद्योग दाल मिल राइस दुग्ध उत्पादन फल उत्पादन हर्बल उद्योग मा रूम उत्पाद रेडी टू कुक मैगी नूडल्स पास्ता ढोकला दलिया आदि सोयाबीन आधारित उत्पाद मसाला उत्पाद सब्जी आधारित उत्पाद पलोर मिल हनी प्रोसेसिंग अचार मुख्बा सिरका उद्योग मिठाई उद्योग नमकीन उद्योग आदि खाद्य सम्बन्धित उद्योग हेतु उद्यमियों के परियोजना लागत के 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति उद्यम योजना सहायता प्रदान की जाती है। उद्यमी अपने प्रोजेक्ट पीएमएफएमई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। योजना में कृकों/उद्यमियों की सहायता जनपदीय रिसोर्स पर्सन करेगा।



श्री अरुण कुमार तिवारी
(अधीक्षक राजकीय उद्यान, गोरखपुर)



राजेन्द्र कुमार यादव
(उप निदेशक उद्यान, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर)

अधीक्षक राजकीय उद्यान, गोरखपुर

कृषि विभाग, अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (श्री अन्न) 2023 संचालित किया गया है। जनपद में मिलेट्स (श्री अन्न) के 317 मिनीकिट यथा सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा एवं माडुआ (रागी) के निःशुल्क कृषकों को वितरित किया गया है। जिससे कि कृषक इसकी बुआई करके उत्पादन बढ़ाये। और मार्केटिंग के जरिये मिलेट्स के बने पकवान/भोजन आम जनमानस के थाली तक पहुंचाया जा सके, ताकि उन्हें संतुलित आहार को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

जनपद में मिलेट्स (श्री अन्न) योजनान्तर्गत लोगो को जागरूकता कार्यक्रम बीज मिनीकिट प्रदर्शन का फील्ड डे, दो दिवसीय जनपद स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला, जनपद स्तरीय प्रदर्शन (रोड शो), जनपद स्तरीय कृषक प्रशिक्षण, स्कूल कैरीकुलम के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु अध्यापकों का प्रशिक्षण, न्याय पंचायत/तहसील/जनपद स्तर पर प्रचार-प्रसार, बीज उत्पादन पर कृषक उत्पादनक संगठनों के सदस्यों का प्रशिक्षण, मिलेट्स रेसीपी विकास एवं उपभोगता जागरूकता कार्यक्र, राज्य/मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा देश/प्रदेश की उत्कृष्ट पद्धतियों के आनसाईट अध्ययन (एक्सपोजर विजिट) एवं कृषकों द्वारा देश/प्रदेश की उत्कृष्ट पद्धतियों के आनसाईट अध्ययन (एक्सपोजर विजिट) संचालित किया जा रहा है।



(डा० अश्विनी कुमार सिंह)
उप कृषि निदेशक
अम्बेडकरनगर

(अनुराज जैन)
मुख्य विकास अधिकारी
अम्बेडकरनगर

(अविनाश सिंह)
जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर



इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अर्न्तगत जागरूकता अभियान



फसल अवशेषों के जलाने से होने वाले नुकसान

- फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की उर्वरक सक्रियता का ह्रास होता है जिसके परिणामस्वरूप खेती की फसल उत्पादन घट जाता है।
- फसल अवशेषों को जलाने से एकमदायक सूक्ष्म जीव एवं कीट मृत हो जाते हैं जिससे मिट्टी की उपजाऊ सक्रियता कम हो जाती है।
- फसल अवशेष जलाने से अवशेषों में मौजूद आवरणक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है।
- जल जलाने से भूमि की ऊपरी तहल जल का कठोर हो जाती है जिससे मिट्टी में वायु संचार एवं जल ग्रहण क्षमता कम हो जाती है।

खेत में फसल अवशेष सड़ाने के लाभ

- फसल अवशेष खेत में सड़ाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है।
- फसल अवशेष खेत में सड़ाने से खेत उपजाऊ हो जाता है। जिससे फसल उत्पादन बढ़ जाता है।
- फसल अवशेष खेत में सड़ाने से खेत की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जिससे कम पानी की आवश्यकता होती है।
- पशुओं के लिए वर्ष भर चारे की उपलब्धता बनी रहती है।



फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्र



मलचर



स्ट्रॉ-चॉपर



रोटावेटर



मोल्डबोर्ड प्लाऊ



सुपर साइडर



जीरो-टिल ड्रिल

कृषि विज्ञान केन्द्र, सोहना - सिद्धार्थनगर

डॉ. ओम प्रकाश, परियोजना अन्वेषक -प्रसार निदेशालय:- डॉ. शेष नारायण सिंह, सह-अन्वेषक

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज- अयोध्या (30 प्र०)

भा.कृ.अनु.प.- कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन - III रायतपुर- कानपुर

श्रीअन्न (मिलेट्स) के मूल्यवर्धक प्रसंस्कृत उत्पाद

रेखा*, प्रदीप** एवं रामजीत***

बाजरा

बाजरा सहारा की केन्द्रीय पहाड़ियों की दक्षिणी सीमा से कुछ 4000 से 5000 साल पहले खाद्य फसल के रूप में अपनाया गया था। तब से यह अफ्रीका और एशिया के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैल गया है।

विकासित देशों में बाजरा शुष्क एवं उष्ण क्षेत्र में एक पारंपरिक रूप से एक महत्वपूर्ण अनाज, चारा एवं ईंधन की फसल है। शुष्क एवं उष्ण प्रदेश, न्यूनतम उपजाऊ मिट्टी में भी उपज देने वाला अनाज है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उपजने की क्षमता होने की वजह से यह उन क्षेत्रों में भी उपजता है जहाँ मक्का व गेहूँ टिक नहीं सकते हैं।

इस अनाज में ऐसे जैव-रसायन पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में सक्षम है। इसमें फोलिएट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, तथा विटामिन ई एवं बी काम्प्लेक्स भी पाया जाता है। अन्य मिलेट्स की अपेक्षा बाजरे में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इसमें कैल्शियम व अनसैचुरेटेड फैट भी प्रचुर मात्रा में है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।

बाजरा बिस्कट

सामग्री: बाजरा आटा-100 ग्राम, गेहूँ आटा-100 ग्राम, घी-80 ग्राम, चीनी (पीसी हुई)-50 ग्राम, नमक-3.5 ग्राम दूध-लगभग 40-100 मिली, मीठा सोडा-2 ग्राम, बेकिंग पाउडर-1 ग्राम।

बनाने की विधि: बाजरा, आटा एवं गेहूँ के आटे में नमक, मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर दो-तीन बार अच्छी तरह छान लेते हैं। घी एवं चीनी को हल्का होने एवं फुलावट आने तक फेंटें। इस फेंटे हुये मिश्रण में आटे का मिश्रण मिलाकर दूध के साथ नरम आटा गूथ लें। इसे आधा इंच मोटी तह के रूप में बेलकर मनचाहे आकार में काट लें। पहले से गरम किये हुये ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस पर 25-35

मिनट तक भूरा होने तक बेक कर लें।

बाजरा लड्डू

सामग्री: बाजरा आटा-200 ग्राम, आटा-200 ग्राम, गुड़-250 ग्राम, घी-150 ग्राम, काजू-10 ग्राम, बादाम-10 ग्राम, गोंद-30 ग्राम, नारियल बुरादा-30 ग्राम, इचायची पाउडर-2 ग्राम।

बनाने की विधि: कढ़ाई में घी गर्म करके गोंद को कुरकुरा होने तक सेंक लें और प्लेट में ठंडा होने रख दें। अब इसी कढ़ाई में घी के साथ बाजरा आटा भून लें, जब बाजरा आटा घी छोड़ दें, अच्छी खुशबू आने लगे तब गैस बन्द करके इसे एक प्लेट में निकाल लें। कढ़ाई में दो चम्मच घी डालकर गुड़ के छोटे-छोटे टुकड़ें करके धीमी आंच पर पिघला लें। इसमें बाजरा आटा, काजू बादाम के टुकड़ें, गोंद नारियल बुरादा एवं इचायची पाउडर मिलाकर लड्डू बांध लें।

बाजरा नमकीन

सामग्री: बाजरा दाना-100 ग्राम, नमक-100 ग्राम, चाट मसाला-5 ग्राम

बनाने की विधि: कढ़ाई में नमक को तेज आंच पर गर्म करें। इसके बाद इसमें बाजरा दाना डालकर चलायें। लगातार दो मिनट चलाकर छानकर इसे प्लेट में निकाल लें। फुले हुये बाजरा दाना को ठंडा करके चाट मसाला मिलाकर वायुरोधी डिब्बे में संरक्षित करें।

बाजरा उपमा

सामग्री: बाजरे का रवा-1 कप, काटा हुआ प्याज-1, हरी मिर्च कटी हुई-4 गाजर-1, आलू-1, टमाटर-2, करी पत्ता, छाँक के लिए राई, जीरा, उड़द दाल, चना दाल, हींग, नमक स्वादानुसार व तेल।

बनाने की विधि: बाजरे के रवे को सुनहरा होने तक भुन लें। कढ़ाई गरम होने पर तेल डालकर छाँक का सामान डालें, जब राइ तड़कने लगे, प्याज, हरी डालें। जब प्याज सुनहरा हो जाये तब कटी हुई सब्जियां डालकर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें अब

*विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषिप्रसार), **वस्तु विशेषज्ञ (फसल सुरक्षा), ***वैज्ञानिक/अध्यक्ष के0वी0के0 अम्बेडकर नगर

इसमें 2 कप पानी डालकर उबलने दें।

रागी (मंडुआ)

अंग्रेजी में इसे फिंगर मिलेट कहते हैं। यह शुष्क क्षेत्र में उपजने वाला, जो खासकर दक्षिण भारत में पाया जाता है। इस अनाज में प्रोटीज, कैल्शियम अधिक मात्र में होता है। इस धान्य में सभी आवश्यक एमिनी एसिड्स, विटामिन ए,बी, तथा फास्फोरस जो हमारे शरीर के विकास के लिए चाहिए, सन्तुलित मात्र में उपलब्ध है। इस अनाज में उपलब्ध अधिक रेशे की मात्रा उदर विकार, उच्च रक्तचाप तथा आँतो के कैंसर से हमारे शरीर की रक्षा करती है।

सामसन्धत: रागी दक्षिण भारत की रसोई में सदैव उपलब्ध होता है। यह चावल व गेहूँ से दस गुना अधिक कैल्शियम व लोह का स्रोत है, जिसकी वजह से यह बच्चों के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न बन गया है। इसमें स्थित अधिक प्रोटीन, कुपोषण से लड़ने के लिए शरीर को सक्षम बनता है तथा शर्करा के स्तर को एवं मधुमेह को नियंत्रित रखने की क्षमता की वजह से रागी एक आदर्श खाद्यन्न है।

रागी आलू पैन केक

सामग्री: रागी का आटा—100 ग्राम, आलू—8, लाल मिर्च पावडर, हरी मिर्च—4, अंडे— 4 काली मिर्च— 8 ग्राम, गरम मसाला—3 ग्राम प्याज—1, करी पत्ता, हरा धनिया, तेल व नमक आवश्यकतानुसार।

बनाने की विधि— आलू को कद्दूकस कर ले, ठण्डे पानी में डालकर 5 मिनट रखकर निचोड़ लें। इसमें अण्डे, रागी का आटा, प्याज हरी मिर्च, लाल मिर्च पावडर, नमक, गरम मसाला, हरा धनिया, काली मिर्च आदि डालकर मिला लें। पैन गरम करके तेल लगाएं व मिश्रण को टिक्की का आकर देकर पैन पर हल्का फ्राय करें। टमाटर के सॉस व चटनी के साथ परोसें।

रागी बालूशाही

सामग्री: रागी का आटा—25 ग्राम, मैदा—25 ग्राम, घी—2 चम्मच दही—50 ग्राम, बेकिंग पावडर—1 चम्मच, चीनी—100 ग्राम, इलाइची पावडर—1 ग्राम।

बनाने की विधि : रागी का आटा, मैदा, दही, नमक, बेकिंग पावडर, अच्छी तरह से मिलाकर मसलकर गूथ

लें। 30 मिनट ढककर रख दें। चीनी से दो तार की चाशनी बना लें। आटे के मिश्रण के छोटे-छोटे बॉल्स बनाकर तल लें व दस मिनट चाशनी में डुबोकर रखें, निकालकर परोसें।

रागी चकली

सामग्री : रागी का आटा—1 कप, चावल का आटा—1 कप, तिल —2 चम्मच, अजवाईन—1/2 चम्मच, हल्दह, मिर्ची, नमक स्वादनुसार, पानी व तेल।

बनाने की विधि : आटे में सभी सामग्री मिला लें, गरम पानी में गूथ लें, सांचे में भरकर गरम तेल में जल लें, तलने के पश्चात ब्लाटिंग पेपर पर रखे ताकि अधिक तेल निकल जाये।

कोदों

कोदों, भारत में लगभग 3000 साल पहले से ही उपलब्ध था। यह एक गुच्छेदार घास की तरह है जो 90 सेमी. तक लेबा होता है व वर्ष में एक बार होता है, दस अनाज में सबसे ज्यादा रेशा होता है इस अनाज के ऊपर भूसे की कड़ी सतह होती है जिसे निकालना बहुत मुश्किल होता है।

इस अनाज से मुख्य पौष्टिक रेशे वाले आहार की आवश्यकता पूरी होती है। इसमें अधिक रेशा (14.3 प्रतिशत), कम वसा (4.2 प्रतिशत) तथा सबसे अधिक रेशा (14.3 प्रतिशत) है। कोदों कदन्न आसानी से पचने वाला, इसमें लेसिथिन की मात्रा अधिक है, यह नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, यह विटामिन बी का भरपूर स्रोत है खासकर नियसिन,बी-6 तथा फोलिक एसिड, खनिज जैसे कि लोह, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम तथा जिंक भी अधिक मात्रा में होता है।

यह ग्लूटेन नामक प्रोटीन से मुक्त अनाज है तथा उन लोगों के लिये उत्तम खाद्य पदार्थ है जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी है, इसका नियमित सेवन उन महिलाओं के लिये उत्तम है जो रजोनिवृत्ति के बाद हृदय विकार, उच्च रक्तचाप तथा उच्च कोलेस्ट्रॉल से पीड़ीत हो।

कोदों करीपत्ता भात

सामग्री : कोदों—100 ग्राम, करीपत्ता—50 ग्राम, सूखी मिर्च—4 मूँगफली—20 ग्राम, मूँगफली परवडर —10 ग्राम, जीरा, राई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया व नमक

स्वाद अनुसार ।

बनाने की विधि : कोदों को 15 मिनट धोकर भिगा दे, उसके बाद पकायें अधिक पानी निकाल दे। दाने अलग-अलग हो तब टंडा होने के लिए रख दे। करीपत्ता को धो ले, हरी मिर्च व करीपत्ते का पेस्ट बनाले, कढ़ाई में तेल गरम करे, राई जीरा हींग का तड़का लगाये, मुंगफली तले, इसमें प्याज हरि मिर्च भूनने के लिए डाले, हल्दी डालें। अब करीपत्ते का पेस्ट डालें। जब यह अच्छी तरह भून जाये, इसमें पका हुआ कोदों डाल दें, नमक स्वाद अनुसार डाले, गरम गरम पेश करें।

कोदों मेथी भात

सामग्री : कोदों-1 कप, पानी-3 कप हरी मेथी की भाजी बारीक कटी हुई-2 कप, 1/2 प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च-3 टमाटर-2, अदरक लहसुन का पेस्ट-2 चम्मच, खडा मसाला 5 ग्राम।

बनाने की विधि:कोदोंको धोकर 15 मिनट भिगो दें, सब्जियाँ काट ले, प्रेशर कुकर में तेल गरम करें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। दालचीनी, लौंग-2, तेजपत्ता, इलायची-1, प्याज व हरी मिर्च डालें। जब प्याज हल्का भूनने के बाद नमक व मेथी की सब्जी डालकर भूने, 5 मिनट बाद 3 कप पानी डालें। पानी उबलने के बाद कोदों प्रेशर कुकर में डालकर, 1 सीटी के बाद बंद करें, मेथी भात तैयार है।

कोदों पुलाव

सामग्री :कोदों-1 कप, पानी 1 कप, कटी हुई गाजर बीन्स, आलू मटर-1 कप, 1 कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च-2, पुदीना-1 कप, घी-3 चम्मच, दालचीनी-1 टुकड़ा इलायची-1 लैंग-2 तेजपत्ता-1, सौंफ 1/4 चम्मच, नमक-स्वादानुसार ।

बनाने की विधि: कोदों को धोकर भिगो दें। प्रेशर कुकर में घी डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूने। अब पुदीना व कटी हुई सब्जियाँ डालें, 5 मिनट तक भूने नींबू रस व नमक डालकर 1 मिनट तक भूने। पानी डालकर उबलते ही, कोदों डाल दे। 1 मिनट हिलाये, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाये। 1 सीटी आते ही बंद कर दे। कोदों पुलाव तैयार है। हरे धनीये से

सजाए।

सांवा

अंग्रेजी में बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं। सांवा पौष्टिक धान्य प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जिसमें अधिक मात्रा में धुलनशील व अधुलनशील पाचक रेशा प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी कम होती है व धीमी पाचकत होती है जिसकी वजह से सांवा कम इस अनाज में मुख्य फ़ैटी एसिड, लिनोलिक, पाल्मीटिक व ओलिक एसिड, है। यह पौष्टिक धान्य (कदन्न) अधिक मात्रा में इमालेज की प्रतिगामिता इर्शाता है जिसकी वजह से अधिक मात्रा में स्टार्च (प्रतिरोधी स्टार्च) बनने की प्रक्रिया को गढ़ावा मिलता है। इसीलिए इस अनाज को ग्रहण करने की हृदय विकार एवं मधुमेह के रोगियों को सशक्त रूप से सलाह दी जाती है।

सांवा रक्तशर्करा एवं लिपिड स्तर को कम करने के लिए काफी प्रभावी है। आजकल मधुमेह के बढ़ते हुए परिदृश्य में सांवा कदन्न एक नामक राग से ग्रसित रोगी का सही आहार है।

सांवा डोरा केक

सामग्री :सांवा का आटा-100 बेकिंग सोडा-1 ग्राम, चीनी पाउडर-20 ग्राम, शहद-5 ग्राम दूध-150 मिली, कन्डेंस्ड मिल्क-30 ग्राम चॉकलेट सॉस-30 ग्राम, वनीला एसेंस-2 मिली।

बनाने की विधि:सांवा के आटे में ऊपर लिखि सभी सामग्री मिलकर दोसे के घोल जैसा बना लें। डोसा पैन गर्म करके मिलाकर दोसे के घोल को चम्मच से पैन पर डाले। छोटे छोटे दोसे दोसों के बीच चॉकलेट सिरप लगाए। चाकू से इसे पिज्जा की तरह काटें और परोसें।

सांवा रबड़ी ,

सामग्री : दूध-250 मिली, बादाम-5 ग्राम, पिस्ता-5 ग्राम, चीनी-20 ग्राम, सांवा आटा-10 ग्राम इलायची पावडर-1 ग्राम, फूड कलर-1 चुटकी।

बनाने की विधि:दूधको गरम करे। सांवा के आटे को एक कटोरी में लेकर थोड़े से पानी में घोल लें। इसे उबलते हुए दूध में डालकर अच्छी तरह चम्मच से

मिलाते जायें, अब इस गाढे दूध में बादाम, पिस्ता, इलायची पावडर व चीनी डालें। फ्रिज में ठंडा करके परासैं।

सांवा कटलेट

सामग्री : सांवा—100 ग्राम, आलू उबले हुए 50 ग्राम, हरी मटर—20 ग्राम, काली मिर्च, नमक चाट मसाला स्वादानुसार, ब्रेड का चूरा 4 चम्मच, कार्न फ्लोर—4 चम्मच, प्याज—2 हरी मिर्च—4 धनिया।

बनाने की विधि : सांवा व आलू को अलग उबाल लें। दोनों कोमिलाकर अच्छी तरह मसल लें। दोनों को मिलाकर अच्छी तरह मसल लें। गाजर घिस लें, मटर भून लें। बीन्स मटर व गाजर को दरदरा पीसकर सांवा के मिश्रण में मिला लें। प्याज, हरी मिर्च व हरी धनिया बारीक काटकर मिला लें। सभी पदार्थों को एक साथ मिलाकर मसल लें। चाट मसाला, नमक एवं काली मिर्च मिला लें। इस मिश्रण की टिकियां बनाकर फ्रिज में 15 मिनट रखें। कार्नफ्लोर का निकालें व ब्रेड क्रम्स

में लपेटे, पैन में हल्का तलें या पूरी तीह तले। टोमैटो सॉस के साथ परासैं।

सांवा के काले जामुन

सामग्री : सांवा का आटा—30 ग्राम, मैदा—20 ग्राम, खोवा—100 ग्राम, पनीर—80 ग्राम, चेना रवा—10 ग्राम, बेकिंग पावडर—2 ग्राम, कुकिंग सोडा—1 ग्राम, सूखे मेवे—10 ग्राम, चीनी—200 ग्राम, फूड कलर—गुलाबी घी—तलने के लिए।

बनाने की विधि : खोवा व पनीर को अच्छी तरह मसल ले, चने रवा मिलाकर फिर से समले। इस मिश्रण में सांवा का आटा व मैदा भी मिला लें। बेकिंग पावडर तथा कुकिंग सोडा भी मिला लें। सूखे मेवे बारीक काटकर इसमें 1 चम्मच खोवा व फूड कलर मिला कर रख लें। अंडे आकार के छोटे-छोटे गोले बनाकर बीच में आधा चम्मच सूखे मेवे का मिश्रण भर कर घी में तल लें। चीनी से दो तार की चाशनी बनाकर तले हुए काले जामुन इसमें डाल दें एवं परोसैं।

शिवा कृषि तकनीकी संस्थान

ग्राम-धरूपुर, पोस्ट-दुधौय, जिला-बस्ती (उ०प्र०)
मोबाइल संख्या - ९१६१४६४४८६

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ०प्र०) द्वारा दो दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला एवं उद्योग प्रदर्शनी के पावन अवसर पर मेरी स्वयं सेवी संस्था की तरफ से समस्त सम्मानित कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों को हार्दिक शुभ कामनाएं।

सचिव
विजय बहादुर सिंह

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्रमुख घटक

1-बीज मिनीकिट वितरण के लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण:-

	संकुल ज्वार		संकुल बाजरा		कोदो		सांवा		महुआ (रागी)	
	मिनीकिट की संख्या	बीज की मात्रा (3 कि.ग्रा. प्रति मिनीकिट)	मिनीकिट की संख्या	बीज की मात्रा (2 कि.ग्रा. प्रति मिनीकिट)	मिनीकिट की संख्या	बीज की मात्रा (3 कि.ग्रा. प्रति मिनीकिट)	मिनीकिट की संख्या	बीज की मात्रा (3 कि.ग्रा. प्रति मिनीकिट)	मिनीकिट की संख्या	बीज की मात्रा (3 कि.ग्रा. प्रति मिनीकिट)
लक्ष्य	50	1.50	118	2.36	100	3.00	140	4.20	40	1.2
पूर्ति	50	1.50	118	2.36	100	3.00	140	4.20	40	1.2

नोट:-1- मिलेट्स मिनीकिट बीज ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा एवं रागी का वितरण कृषको में लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत पूर्ति कर लिया गया है।

2- जनपद में मिलेट्स मिनीकिट बीज एवं दलहन मिनीकिट बीज कुल 1673 पैकेट प्राप्त हुए थे जो कृषको में वितरण करा दिया गया है।

2-अन्य प्रमुख घटकका विवरण निम्नवत:-

क्र० सं०	आयोजित होने वाले प्रमुख घटक	भौतिक लक्ष्य संख्या में	प्रतिभागियों की संख्या	वित्तीय (रु० लाख)	भौतिक पूर्ति संख्या में	प्रतिभागियों की संख्या
1	दो दिवसीय जनपद स्तरीय कार्यशाला	2	300	10.00	1	325
2	जनपद स्तरीय प्रदर्शन कार्यक्रम (रोड शो)	2	1000	10.00	1	615
3	जनपद स्तरीय कृषक प्रशिक्षण	1	200	5.00	1	217
4	बीज उत्पादन पर एफ0पी0ओ0 सदस्यों का प्रशिक्षण	1	50	2.50	-	-
5	बीज मिनीकिट प्रदर्शन का फील्ड डे	1	200	0.50	-	-
6	स्कूल कैरीकुलम से अध्यापकों का प्रशिक्षण	1	50	1.00	1	82
7	जनपदीय अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षमतावर्धन	1	20	5.00	-	-
8	कृषको का क्षमतावर्धन (एक्सपोजर)	1	80	5.00	-	-
9	न्याय पंचायत/तहसील/जनपद स्तर पर प्रचार प्रसार	2	-	10.00	-	-
10	मिलेट्स रोसोप एव्य उपभोक्ता जागरूकता	2	-	10.00	-	-

अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स-वर्ष 2023-24
INTERNATIONAL YEAR OF MILLETS 2023-24

मा. प्रधानमंत्री जी मा. मुख्यमंत्री उ.प्र. मा. कृषि राज्य मंत्री उ.प्र. मा. कृषि मंत्री उ.प्र.

ज्वार बाजरा कुटकी सांवा महुआ कोदो कगली वेना

मिलेट्स की बढ़ती लोकप्रियता के कारण

- बहु उपयोगी फसलें (खाद्य, पशु चारा, ईंधन, दवाईयां एवं अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्माण)।
- कम लागत में अधिक उत्पाद।
- शुष्क व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छी उपज।
- सूखा सहन करने की क्षमता।
- विपरीत परिस्थितियों में भी उत्पादन संभव।
- कम कृषि निवेशों के साथ अच्छा उत्पादन।
- कुपोषण से लड़ने में कारगर।
- प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर, और मिनरल से भरपूर।
- स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ।
- मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनीमिया, कैंसर, हड्डी रोगों आदि में विशेष लाभकारी।

ज्वार बाजरा कुटकी सांवा महुआ कोदो कगली वेना

मिलेट्स के उत्पाद (Millet Products)

चपाती रोटी बिस्किट खिचड़ी कुकीज मफिन्स पकौड़ी दोसा इडली भेलपुरी बर्गर अखरोट

विशेष - जानकारी हेतु कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क करें या विभाग की वेबसाइट agriculture.up.in पर देखें।

अनिल कुमार **जयदेव सी. एस.** **अब्दुल वाससी**
उप कृषि विभागाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी जिलाधिकारी
बस्ती बस्ती बस्ती

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र०
आत्मनिर्भर भारत अभियान

पीएम एफएमई— प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीकी एवं कारोबार सहायता देने के लिए अखिल भारतीय आधार पर 'पीएम एफएमई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को निम्नलिखित सहायता प्रदान करने का प्राविधान है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) योजना के तहत जनपद को 161 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/उच्चीकरण हेतु वर्ष 2023-24 में लक्ष्य का आवंटन प्राप्त हुआ है। इस योजना में उद्यमी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो एवं परिवार का केवल एक ही व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। परिवार से आशय स्वयं पति/पत्नी व बच्चे से है। अपने उद्यम का स्थापना / उन्नयन करने के इच्छुक व्यक्ति सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी पात्र परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति उद्यम योजना के विस्तृत दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.pmfmemofpi.gov.in पर देखें जा सकते हैं।

जिम्मा उद्योग अधिकारी,
आजमेरगढ़



कृषि विज्ञान केन्द्र, पिलखी, मऊ

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या-उ०प्र०

भा.कू.अनु.प.-कू. प्रौ. अनु.सं. रावतपुर, कानपुर

- केन्द्र की उपलब्धियां –
 - मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई।
 - मत्स्य उत्पादन इकाई।
 - कस्टम हायरिंग सेन्टर।
 - प्राकृतिक खेती प्रदर्शन।
 - धान की सीधी बुवाई प्रदर्शन।
 - अण्डा उत्पादन इकाई।
 - वर्मी कम्पोस्ट इकाई।



डा. वी. के. सिंह
प्रमुख अधिकारी





प्रभारी अधिकारी
कृषि विज्ञान केंद्र, पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर

जलकृषि की नवीनतम तकनीक: बायोफ्लॉक तकनीक द्वारा मछली पालन

ज्ञानदीप गुप्ता*, पी0 के0 मिश्रा**, ए0 एस0 वत्स***

विश्व जनसंख्या को 2050 ई. के बाद 9.6 अरब तक पहुँचने का अनुमान है, और जैविक प्रोटीन की मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है, इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करके गुणवत्ता प्रोटीन प्रदान करना एक चुनौती है। इस संदर्भ में, एक्वाकल्चर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह जीवन की आवश्यकता के रूप में प्रोटीन प्रदान करता है और रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी (बीएफटी) को नई नीली क्रांति के रूप में माना जाता है क्योंकि पोषण सामग्री को सतत रूप से पुनर्चक्रित और पुनः प्रयोग किया जा सकता है, जो न्यून या शून्य-पानी विनिमय से लाभकारी होता है। बीएफटी एक अचूक पर्यावरण-सौहार्दय एक्वाकल्चर तकनीक है, जिसमें इन-सीटू माइक्रोऑर्गनिज्म उत्पादन पर आधारित है। बायोफ्लॉक टैंक में लटके जीवित और मृत कणात्मक जैविक सामग्री, फाइटोप्लैंकटन, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के शिकारक होते हैं। यह टैंक के अंदर ही पैदा हुए माइक्रोबियल प्रक्रियाओं का उपयोग करता है ताकि संचालित जीव के लिए खाद्य सामग्री प्रदान करें, साथ ही यह एक पानी की उपचार उपाय के रूप में कार्य करता है। इसलिए, इस प्रणाली को सक्रिय सर्पेंशन पॉन्ड्स या हेटरोट्रोफिक पॉन्ड्स या ग्रीन सूप पॉन्ड्स भी कहा जाता है।

बायोफ्लॉक तकनीक कैसे काम करता है?

1. बायोफ्लॉक प्रणाली एक वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट है जो एक एक्वाकल्चर में एक दृष्टिकोण के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है।
2. बायोफ्लॉक तकनीक का सिद्धांत है कि एक कार्बोहाइड्रेट स्रोत जोड़कर उच्च सी-एन अनुपात बनाए रखना और उच्च गुणवत्ता वाले एकल कोशिका माइक्रोबायल प्रोटीन के उत्पादन के माध्यम से जल

गुणवत्ता को सुधारा जाता है।

3. इस तरह की स्थिति में, विविध हीटरोट्रोफिक माइक्रोबायल वृद्धि होती है, जो संचालित प्रजाति द्वारा खाद्य के रूप में उपयोग करने के लिए संचित नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को आपसी रूप से संशोधित करती है और जल गुणवत्ता के नियंत्रण के रूप में भी काम करती है।

4. यह प्रौद्योगिकी प्रणाली के अंदर फ्लॉक्युलेशन के सिद्धांत पर आधारित है।

बायोफ्लॉक का संरचना और पोषण मूल्य

बायोफ्लॉक एक विविध सर्पेंडेड कणों और बहुप्रकारी माइक्रोऑर्गनिज्मों का समूह है जो बाह्य कोशिकागुणक सबस्ट्रांत्स से जुड़ा होता है। इसमें जैविक घटकों जैसे कि बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, अवसरवादी और अवसर्गी आदि के माइक्रोऑर्गनिज्म होते हैं। यह एक प्रोटीन भरपूर जीवांकन होता है जो सूरज की रोशनी और जोरदार हवा प्रदान करने से एक संचालन प्रणाली में उपयुक्त खाद्य और मल को प्राकृतिक खाद्य में रूपांतरित करने के परिणामस्वरूप बनता है। प्रत्येक फ्लॉक एक ढीले मैट्रिक्स द्वारा जुड़े रहते हैं, जोकि बैक्टीरियाद्वारा उत्सार्जित मियूकस होता है, जो फाइलामेंटस माइक्रोऑर्गनिज्मों या इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण द्वारा बंधे होते हैं। बड़े फ्लॉक नंगे आंखों से दिख सकते हैं, लेकिन अधिकांश माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फ्लॉक का आकार 50 से 200 माइक्रॉन तक हो सकता है। बायोफ्लॉक में अच्छा पोषण मूल्य पाया जाता है। ड्राई वजन प्रोटीन 25% से 50% तक होता है, फैट 0.5% से 15% तक होती है। यह विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है, विशेष रूप से फॉस्फोरस। इसका प्रोबायोटिक्स के समान प्रभाव होता है। सूखी बायोफ्लॉक को फिशमील या सोयाबीन की जगह फीड में शामिल करने के लिए सुझाया गया है।

*विषय वस्तु विशेषज्ञ, मत्स्य, **विषय वस्तु विशेषज्ञ, वानकी, ***विषय वस्तु विशेषज्ञ, पादप सुरक्षा, के0वी0के0, मनकापुर, गोण्डा-।।

तकनीकी विशिष्टताएँ— 100 मी³ (7 टैंक)

क्र.स.	घटक	विवरण
1	7 टैंकों के लिए क्षेत्र	200 वर्गमीटर
2	बायोफ्लॉक टैंक का आकार	4 मीटर व्यास और 1.5 मीटर ऊंचाई(1.20 मीटर पानी की गहराई)
3	प्रत्येक टैंक की जल धारणा क्षमता	15,000 लीटर क्षमता
4	जल गुणवत्ता पैरामीटर	ऑक्सीजन—5मिलीग्राम/लीटर, तापमान—26—34° पीएच—7.5 से 8, टीडीएस—600पीपीएम, फ्लोक घनत्व—25—40 मिलीग्राम/लीटर, अमोनिया—0—5 पीपीएम, नाइट्राइट—0—3 पीपीएम, नाइट्रेट—150पीपीएम, क्षारीयता—120—280 पीपीएम
5	टैंक का निर्माण	तिरपाल, फाइबर, एचडीपीई से बने
6	स्टॉकिंग घनत्व	100 नग/मी ³ (1000 नग प्रति 15,000 लीटर टैंक -प्रजातियों के आधार पर)
7	पालने जानेवाली प्रजातियाँ	तिलापिया (ओरियोक्रोमिस निलोटिकस)
8	उत्तरजीविता (:)	80
9	चारा का प्रकार	फ्लोटिंग पेलेट
10	चारा की मात्रा (मात्रा)	2—3: प्रति औसत शारीरिक वजन
11	भोजन की आवृत्ति	प्रारंभिक चरण में 4 बार, बाद में प्रति दिन 2 बार
12	एफसीआर (एफसीआर)	1:1.2
13	पालन की अवधि (अवधि)	6 महीने
14	प्रजाति का आकारध्वजन (ग्राम)	500 ग्राम औसत वनज
15	प्रति वर्ष फसलों की संख्या	2
16	उत्पादन	4—2 टन प्रति फसल (600 किलोग्राम प्रति टैंक प्रति फसल)
17	फार्म गेट मूल्य (रुपये) (रुपये)	130/ किलो मछली (किलो मछली)
18	पूंजी लागत (लाख) (लाख)	6—00 लाख
19	इनपुट लागत (लाख)	प्रति एक कौप1—5 लाख (1—5 लाख प्रति एक कौप)
20	कुल परियोजना लागत (लाख) (लाख)	7—5 लाख

बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी के फायदे

1. पर्यावरण के अनुकूल पालन प्रणाली।
 2. यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है।
 3. भूमि और जल का न्यायपूर्ण उपयोग।
 4. सीमित या शून्य पानी विनिमय प्रणाली।
 5. उच्च उत्पादकता (यह मछली के पालन प्रणालियों में सर्वाइवल दर, विकास प्रदर्शन, खाद्य परिवर्तन में सुधार करता है)।
 6. उच्च जैव सुरक्षा।
 7. जल प्रदूषण को कम करता है और पैथोजेन्स के प्रसारण के खतरे को कम करता है।
 8. यह प्रोटीन भरपूर फीड और मानक फीड की लागत का कमी करता है।
 9. इससे कैचर फिशरीज पर दबाव कम होता है, अर्थात् मछली के फीड गठन के लिए सस्ती खाद्य मछली और कचरा मछली का उपयोग होता है।
- मुख्य जलकृषि प्रजातियाँ जो बायोफ्लॉक प्रणाली में पालन की जा सकती हैं**

बायोफ्लॉक प्रणाली का डिजाइन करते समय एक महत्वपूर्ण कारक वो प्रजातियाँ हैं जिन्हें पालन किया जाना है। बायोफ्लॉक प्रणाली उन प्रजातियों के साथ सबसे अच्छी तरह काम करती है जो फ्लॉक को सीधे खाने से कुछ पोषणिक लाभ प्राप्त कर सकती हैं। बायोफ्लॉक प्रणाली उन प्रजातियों के लिए सबसे उपयुक्त है जो पानी में उच्च कणों की संघटन को सह सकती हैं और आमतौर पर खराब जल गुणवत्ता का सहन कर सकती हैं। कुछ प्रजातियाँ जो बायोफ्लॉक प्रणाली के लिए उपयुक्त हैं, वे हैं एयर ब्रीथिंग मछलियाँ जैसे कि सिंघी, मागुर, पब्ड़ा, अनबासध्कोई, पैंगेशियस, नॉन-एयर ब्रीथिंग मछलियाँ जैसे कि कॉमन कार्प, टिलेपिया, मिल्कफिश, शैलफिश जैसे कि वनमाई और टाइगर श्रिम्प

इनोकुलम तैयार करने का तरीका

मैथड 1

15000 लीटर पानी में फ्लॉक विकास के लिए 150

लीटर इनोकुलम की आवश्यकता है,
 स्टेप 1. साफ टब लें और उसमें 150 लीटर पानी डालें
 और तीव्र वायु प्रवाह जारी रखें।
 प्राणिजगत प्रावर्तन जारी रखें।
 स्टेप 2. 3 किलोग्राम तालाब की मिट्टी मिलायें
 1.5 ग्राम अमोनियम सल्फेट / यूरिया मिलायें, 30 ग्राम
 कार्बन स्रोत (गुड़ / गेहूं का आटा / तापिओका आटा)
 मिलायें
 स्टेप 3. टब में पानी के साथ अच्छी तरह मिलाएं और
 प्राप्त आवश्यक वायु प्रवाह प्रदान करें।
 स्टेप 4. इनोकुलम 24-48 घंटों के बाद तैयार हो
 जाएगा और इसे मुख्य टैंक में स्थानांतरित किया जा
 सकता है।
 "फ्लॉक विकास के लिए हर दिन कार्बन स्रोत की
 आवश्यकता होती है। हर 1 किलो खाद्य के लिए
 (जिसमें 25% क्रूड प्रोटीन होती है), बनाए रखने के
 लिए प्रणाली में 600 ग्राम कार्बन स्रोत जोड़ने की
 आवश्यकता होती है।

एक बार जब फ्लॉक आयाम 15-20 मिलीलीटर तक
 पहुँचता है, तो अतिरिक्त कार्बन स्रोत की आवश्यकता
 नहीं होती है।

मेथड 2

स्टेप 1. साफ टब / कैन लें और उसमें 130 लीटर
 पानी डालें और तीव्र वायु प्रवाह जारी रखें।


स्टेप 2. 20 लीटर तालाब का पानी / आरएएस पानी
 (फिल्ट्रेशन से पहले), 30 ग्राम कार्बन स्रोत (गुड़ / गेहूं
 का आटा / तापिओका आटा) मिलायें, 10 ग्राम
 प्रोबायोटिक (बेसिलस स्पीस, अस्पेर्जिलस स्पीस आदि
 के साथ, कुल एकाधिकरण 10 गुणा 10⁹
 सीएफयू / ग्राम के साथ) मिलायें

मेथड 1 में उल्लिखित बाकी स्टेप्स का पालन करें
 नोट. अच्छी तरह से विकसित इनोकुलम पानी की
 सतह पर फोम के साथ धुंधला होता है (श्रिम्प के लिए
 इमहोफ कोन में फ्लॉक का आदर्श आयाम 10-15
 मिलीलीटर है और मछलियों के लिए 25-35
 मिलीलीटर है)

-:विज्ञप्ति:-

अधीक्षक, राजकीय उद्यान अयोध्या के अधीन संचालित योजनाओं का विवरण

क्र०	योजना/कार्यक्रम का विवरण	इकाई लागत ₹० में अनुमानतः	अनुदान :	भौतिक लक्ष्य हे०
1	एकीकृत बागवानी विकास मिशन			
अ	नॉन-पेरिनियल टिश्यूकल्चर वेला	102462	40 %	55.00
ब	नॉन-पेरिनियल पपीता	61655	50 %	7.00
स	पेरिनियल-आम एवं अमरुद (विरल)	25500/38340	40 %	7.00
द	पेरिनियल-आम एवं अमरुद नीबू (सघन)	41000/73330/79996	40 %	12.00
य	पुष्प क्षेत्र विस्तार-गैदा	4000	40 %	35.00
र	मसाला क्षेत्र विस्तार-प्याज	30000	40 %	50.00
ल	संकर शाकभाजी	50000	40 %	125.00
व	कमलम (इंगन फूट)	125000	40 %	2.00
म	स्ट्राबेरी	125000	40 %	2.00
न	अर्बला, बेल	60000	50 %	5.00
2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
1	ड्रिप	146510	80 से 90 %	561.00
2	पोर्टेबल सिंचकलर	27823	65 से 75 %	400.00
3	माइक्रो सिंचकलर	85398	80 से 90 %	30.00
4	मिनी सिंचकलर	119454	80 से 90 %	50.00
5	रेनगन	43846	65 से 75 %	140.00


 अधीक्षक,
 राजकीय उद्यान
 अयोध्या



श्री दिनेश प्रताप सिंह

मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
उद्यान, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
तथा कृषि निर्यात, उत्तर प्रदेश

कृषि निर्यात प्रोत्साहन



श्री योगी आदित्यनाथ

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019

क्रियान्वयन का संस्थारगत ढाँचा :-

- राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति, जिसके सदस्य सचिव, निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार हैं।
- मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय निर्यात निगरानी समिति, जिसके सदस्य सचिव, सहायक कृषि विपणन अधिकारी/सहायक विपणन अधिकारी हैं।
- जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई, जिसके सदस्य सचिव, ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक/जिला कृषि अधिकारी हैं।

कृषि निर्यात प्रोत्साहन

- ❖ कृषि निर्यात उन्मुख क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण एवं निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर विकास खण्ड की सीमान्तर्गत प्रथम 50 हे0 से 100 हे0 तक 05 वर्षों में रु0 10 लाख एवं प्रत्येक 50 हे0 अतिरिक्त क्षेत्र बढ़ने पर रु0 06 लाख अतिरिक्त प्रोत्साहन 30 प्रतिशत निर्यात पर प्रथम वर्ष 40 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष आगामी 04 वर्ष तक निर्यात होने पर प्रोत्साहन अनुदान का भुगतान। (आवेदन जनपद स्तर पर, आनलाइन भुगतान मण्डल स्तर पर)।
- ❖ क्लस्टर के निकट नई प्रसंस्करण इकाई, पैकहाउस, शीतगृह एवं राइपेनिंग चैम्बर आदि स्थापित करने एवं निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रु0 25 लाख या टर्न ओवर का 10 प्रतिशत जो भी कम हो निर्यात प्रारम्भ करने के एक वर्ष से न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्यात करने पर 05 वर्षों तक देय। (आवेदन जनपद स्तर पर, आनलाइन भुगतान निदेशालय स्तर पर)।
- ❖ कृषि उत्पाद/प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों/वस्तुओं के निर्यात हेतु वायु मार्ग अथवा जल मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रु0 10.00 (रु0 दस) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो (पोर्ट तक उत्पाद पहुंचाने का मार्ग व्यय सहित) एवं रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रु0 5.00 (रु0-पाँच) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो परिवहन अनुदान मद में प्रतिवर्ष अधिकतम अनुदान 10 लाख प्रति निर्यात/फर्म को देय होगा। उक्त परिवहन अनुदान मॉस व चीनी के निर्यात पर देय नहीं होगा। (आवेदन एवं आनलाइन भुगतान निदेशालय स्तर पर)।
- ❖ कृषि निर्यात/पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोत्साहन-
(क) कृषि निर्यात/पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उ0प्र0 के विश्वविद्यालयों/सरकारी संस्थानों में पंजीकृत/अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के छात्रों को वार्षिक फीस का 50 प्रतिशत (रु0 50 हजार की अधिकतम सीमा तक) तथा 15 महीने से अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु फीस के लिए रु0 1 लाख दिया जायेगा।
(ख) निर्यात उन्मुख उच्च शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाले राजकीय संस्थानों को 25 या अधिक छात्रों के पंजीकृत होने पर एक मुश्त रु0 50 लाख का अनुदान। (आवेदन जनपद स्तर पर, आनलाइन भुगतान मण्डल स्तर पर)।
- ❖ कृषि निर्यात (उत्पाद/उत्पादन) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस से छूट।
- ❖ अन्य प्रदेशों से मण्डी शुल्क व अन्य विहित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात लाये गये बासमती धान को उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण कर निर्मित चावल के निर्यात करने पर कुल निर्यातित बासमती चावल के समतुल्य प्रयुक्त बासमती धान पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
मंडलीय कार्यालय-सहायक कृषि विपणन अधिकारी
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश
नवीन मंडी स्थल, रायबरेली रोड, अयोध्या।
Email-aamofaizabad@gmail.com
Website-www.upkrishivipran.in

बकरी पालन में टीकाकरण का महत्व

नरेंद्र रघुवंशी, श्रीप्रकाश सिंह एवं नवीन कुमार सिंह

बकरी पालन करना न्यूनतम निवेश के साथ एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। बकरी पालन आवश्यकतानुसार छोटे या बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। भारत में बकरी को गरीबों की गाय माना जाता है। वर्तमान समय में देश के युवा इसे एक आकर्षक एवं लाभदायक व्यवसायके रूप में अपना रहे हैं। बकरी पालन भारत में मुख्य रूप से मांस एवं दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। बकरी का मांस उच्च गुणवत्तायुक्त होता है जिससे वर्ष भर बाजार में इसकी माँग बनी रहती है। अन्य कृषि उद्यमों कि अपेक्षा इसमें रोग एवं बीमारी के प्रति टीकाकरण करा लेने से जोखिम कि संभावना नगण्य हो जाती है। बकरियों में टीकाकरण नहीं करने से बकरिया रोगग्रसित होकर मर जाती है इससे पशुपालको को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि पशुपालक समय से बकरियों का टीकाकरण कराएँ तो वह आर्थिक नुकसान को कम करते हुए अधिक आय प्राप्त कर सकता है। केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार अगर पशुपालक अपनी बकरियों को समय से टीका लगवाएँ तो 95 फीसदी बीमारियों को रोका जा सकता है तथा इससे मांस एवं दुग्ध उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है। बकरी के दूध में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन – ए प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है। इनमें एलर्जी बढ़ाने वाले तत्व नहीं होते हैं। दिमाग की क्षमता को बढ़ाने में बकरी का दूध खूब सहायक होता है। बकरी के दूध का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बकरी का दूध कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने का भी काम करता है, जिससे आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद मिलती है। बकरी के दूध में मौजूद पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है, एक कप बकरी के दूध में ऊर्जा 170 कैलोर, प्रोटीन 9 ग्राम, फैट 10 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 11 ग्राम, शुगर 11 ग्राम और कोलेस्ट्रॉल 25 मिलीग्राम होता है।

बकरियों में लगने वाले प्रमुख रोग एवं उनके उपचार (टीकाकरण)

1. खुरपका—मुंहपका

खुरपका—मुंहपका एक विषाणु जनीत वायुपोषी बीमारी है। यह रोग बकरियों के साथ साथ उन समस्त पशुओं को हो सकता है जिनके खुरफटे हुए होते हैं। यह काफी तेजी से फैलाने वाला एक संक्रामक बीमारी है, जिससे प्रभावित होने वाले जानवरों में अत्यधिक तेज बुखार (104–106 डिग्री) के साथ मुख और खुरों पर छाले तथा घाव बन जाते हैं। इस रोग से ग्रसित होने के कारण कुछ जानवर स्थायी रूप से लंगड़े भी हो जाते हैं। यह रोग पशुओं को एक बहुत ही छोटे, आँख से न दिखाई देने वाले वायरस द्वारा होता है जिसे एथ्रो वायरस कहते हैं। पशुओं में इस वायरस के अनेक प्रकार एवं उप-प्रकार पाए जाते हैं।

उपचार:

(क) खुरपका मुंहपका के बचाव हेतु रक्षा एफ.एम.डी बकरियों में 1 मिली. डोज का इन्जेक्शन त्वचा में लगाते हैं। पहला इन्जेक्शन चार माह कि आयु में तथा बूस्टर डोज पहले डोज के दो से चार सप्ताह बाद पुनः लगते हैं।

(ख) बकरियों में खुरपका—मुंहपका रोग से मुख के अंदर बने छाले के लिए किसी अच्छे एंटीसेप्टिक लोशन अथवा पोटैशियम पर मैगनेट, फिटकरी अथवा बोरिक एसिड अथवा सुहागा आदि के घोलो से अच्छे प्रकार से धोना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक्रिफ्लेवीन लोशन भी उपयुक्त रहता है अथवा गुनगुने जलमें 2 प्रतिशत फिटकरी या बोरिक एसिड मिला कर धोना चाहिए। इस कार्य से रोगी पशु को अधिक आराम मिलता है।

(ग) रोगी पशु के खुर से गंदगी को साफ कर दिन में दो बार गुनगुने जल से अथवा तूतिया (कॉपर सल्फेट) और फिनायल अथवा लइजोल या बेटाडीन के घोल से धोना लाभदायक होता है। खुर के बीच में घावों पर एंटी सेप्टिक पाउडर—जिंक, बोरिक, लोरेक्सेन पाउडर, अल्टन पाउडर, लोरेक्सेन एंटीसेप्टिक क्रीम, प्रोटेजेंसी, पेनिसिलिन में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए तथा रोगी पशु के मुख पर पट्टी बांध देते

है ताकि वह मुख से खुर को चाट न सके । यदि पैरों में कीड़े पड गए हो तो फीनायल के साथ ताड़पीन के तेल में कपूर मिला कर लगाते हैं अथवा फीनायल कि गोली को कपूर के साथ पीसकर घाव पर लेप लगाकर पट्टी बांध देते हैं । यह क्रम कई दिन तक जारी रखते हैं जिससे पैर ठीक होने लगता है ।

2. बकरियों में पी.पी.आर.

पी.पी.आर.एक विषाणु जनित बीमारी है,इस रोग का प्रकोप बकरियों को किसी भी उम्र में हो सकता है । बकरियों में इस रोग का संक्रमण दूषित हवा, दूषित पानी एवं दूषित भोजन से होता है । इस रोग से पीड़ित बकरियों में बुखार, नाक एवं आँख से पानी का बहना, पतले दस्त, मुँह में छाले का पड़ना प्रमुख लक्षण है । यह रोग पीड़ित पशु से स्वस्थ पशु में तेजी से फैलता है इसलिए पीड़ित पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए ।

उपचार—पी.पी. आर. से बचाव हेतु बकरियों का टीकाकरण ही एक मात्र प्रभावी उपाय है । रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए । तीन से चार माह की आयु वाले पशुओं का टीकाकरण आवश्यक रूप से हो जाना चाहिए । प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार टीकाकरण से रोग के विरुद्ध है प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है । पी.पी.आर. टीका (रक्षापी.पी. आर.) का एक एम.एल.खुराक तीन महीने के बच्चे को उप चर्ममार्ग से देते हैं ।

3. बकरियों का चेचक

यह एक विषाणु जनित रोग है जो भेड़ों में अत्यधिक भयानक परंतु बकरियों में इसका प्रभाव कम होता है । यह रोग फिल्टरबल वायरस के कारण होता है । इस रोगदूषित वायु, जल,जानवरों, कीड़ों—मकोड़ों एवं मक्खियों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है । इस रोग से ग्रस्त पशु सुस्त होकर झुंड से अलग हो जाता है । भूख कम लगने के साथ साथ पशु की चाल भी धीमी हो जाती है और कपकपी के साथ पशु को तेज बुखार (107°F) हो जाता है । उदर के नीचे जांघ के भी तरत्वचा का तनाव बढ़ जाता है और लगभग चार दिन के बाद त्वचा पर लाल लाल चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, इनका उभार पहले फुंसीदार होता है तथा बाद में फफोलों के रूप में हो जाता है, जिसमें पस भर जाता है ।

उपचार:

(क) टीकाकरण के लिए सर्वप्रथम रोगी पशुओं को पोटेसियम पर मेगनेटलोशन 1:1000 से नहलाकर बोरिक मलहम लगाना चाहिए तत्पश्चात गोद एवं शीपपाक्स वैक्सीन का 0.20 मिली. डोज वक्ष क्षेत्र की त्वचा में दो माह के उपर वाली सभी बकरियों एवं भेड़ों में टीका लगाना चाहिए ।

(ख) इस रोग की कोई विशिष्ट / खास चिकित्सा नहीं होती है । इसके जीवाणुओं के उत्पाद को कम करने के लिए रोगी पशु को एंटीबायोटीक औषधियों का सेवन कराया जाता है ।

4. बकरियों का मस्तिक ज्वर

यह एक विषाणु जनित तांत्रिक पोषक संबंधित मस्तिक का रोग है । इस रोग से पीड़ित पशु कि तांत्रिक अधिक दुर्बल हो जाती है जिससे प्रेरक उत्तेजित हो जाता है । यह रोग फ़्लैवी नामक विषाणु से होता है । रोग ग्रस्त पशु सुस्त हो जाता है, और उसको तेज बुखार (106 डिग्री) हो जाता है । इस बीमारी के प्रकोप से रोगी पशु में लकवा या पक्षाघात हो जाता है, पशु भूमि पर पड़े पड़े अपना पैर पटकता रहता है तथा पेशियों में कंपन एवं ऐठन होने लगती है जिससे पशु की मृत्यु हो जाता है ।

उपचार

(क) इस रोग से बचाव हेतु टीका सर्वोत्तम उपाय है टीका हेतु एनसिफेलोमायलेटिस वैक्सीनकी 1 मिली. मात्रा चर्म अन्तर्गत तल गाया जाता है । इस टीके से पशु एक वर्ष के लिए रोग मुक्त हो जाता है ।

(ख) रोगी पशु के बचाव हेतु नोबलजीनयाएनालजीन का इंजेक्शन 4—5 मिली.की मात्रा माँस के अन्तर्गत लगाया जाता है ।

निष्कर्ष: यदि बकरी पालक अपने बकरियों में होने वाले बीमारियों के प्रति जागरूक होकर समय समय पर टीकाकरण कराता है तो बीमारी के होने का खतरा नगण्य हो जाता है एवं बकरियों में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है । बकरीपालक के इस कार्य से बकरी के स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है जिसकेफलस्वरूप बकरी के माँस एवं दूध में भारी मात्रा में बढ़ोत्तरी देखने को मिलता है एवं पशुपालक को कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त होता है ।

मत्स्य विभाग, अयोध्या

5.	खारे/क्षारीय/नमकीन जल क्षेत्र में मत्स्य संवर्धन हेतु निजी भूमि पर तालाब निर्माण	हेक्टेयर	8.00	3.20	4.80
6.	खारे/क्षारीय/नमकीन जल क्षेत्र में जल जीव पालन हेतु प्रथम वर्ष निवेश	हेक्टेयर	6.00	2.40	3.60
7.	खारे/क्षारीय/नमकीन जल क्षेत्रों में बायोफ्लॉक तालाब निर्माण ₹0 8.00 लाख निवेश सहित	संख्या	18.00	7.20	10.80
8.	ताजे जल क्षेत्रों में बायोफ्लॉक तालाब निर्माण ₹0 4.00 लाख निवेश सहित	संख्या	14.00	5.60	8.40
9.	मत्स्य बीज पोषण तालाब	हेक्टेयर	7.00	2.80	3.60
10.	जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचय (1000 अंगुलिका प्रति हेक्टेयर)	संख्या प्रति बीज	3.00	1.20	1.80
11.	वेटलेण्ड्स में मत्स्य अंगुलिका संचय	संख्या	3.00	1.20	1.80

मत्स्य पालकों/मछुआरों का बीमा

मछुआरों, मछली किसानों, मछली विक्रेता तथा मछली पकड़ने एवं मत्स्य पालन से सम्बन्धित गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्तियों की किररी अन्य श्रेणी हेतु बीमा

सम्पूर्ण किस्तमूलक राशि को पीएमएमएसवाई के निर्धारित प्रतिमान के अनुसार केन्द्र एवं सम्बन्धित राज्यों के मध्य सहभाजित किया जायेगा।

मत्स्य संसाधनों के संरक्षण हेतु मछुआरों के लिए आजीविका एवं पोषण से सम्बन्धित सहायता

मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/माह की समयावधि में मत्स्य संसाधनों के संरक्षण हेतु सामाजिक-आर्थिक रूप में पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका तथा पोषण से सम्बन्धित सहायता

पीएमएमएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार

योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता

लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि परियोजना के लिये किसी अन्य योजना से, विभाग से पूर्व में कोई राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हुयी है।

- ❖ योजना में भूमि क्रय हस्तांतरण पट्टा, उपहार व अधिग्रहण हेतु कोई धनराशि परियोजना में देय नहीं होगी।
- ❖ योजना में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये :-
- ❖ लाभार्थी/संस्था के पास मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है।
- ❖ परियोजना के लाभार्थी/कार्यान्वयन संस्था को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत परियोजना की भूमि सभी प्रकार से विवाद रहित है व सभी वैधानिक स्वीकृतियां उपलब्ध करानी होंगी।
- ❖ लाभार्थी/संस्था के पास जल क्षेत्र का पट्टा/वैधानिक अधिकार होना चाहिये।
- ❖ पट्टे की भूमि पर परियोजनायें स्थापित की जा सकती हैं तथा अवस्थापना सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष व अन्य परियोजनाओं के लिए 7 वर्ष निर्धारित है। पट्टाविलेख पंजीकृत होना अनिवार्य है। पट्टे की भूमि पर स्थापित यदि कोई परियोजना विफल होती है तो सम्बन्धित लाभार्थी/कार्यान्वयन संस्था को केन्द्रीय सहायता 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करना होगा।
- ❖ पट्टे/प्रवेश अनुमत्य (Enter upon permission) के जलक्षेत्रों की परियोजनाओं पर विचार किया जायेगा व पट्टे की अवधि राज्य द्वारा निर्धारित पट्टा नीति के अनुसार होगी।
- ❖ योजना का लाभ प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धांत पर देय होगा।

योजना का लाभ प्राप्त हेतु आवेदन प्रक्रिया

विभाग के पोर्टल <http://fymis.upsdc.gov.in> पर आवेदन ऑनलाइन करना होगा जिसके लिए आवेदन के साथ निम्न अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है :-

1. स्वयं का पासपोर्ट साइज़ फोटो।
2. आधार कार्ड
3. बैंक पासबुक
4. शपथ-पत्र (शपथ-पत्र का प्रारूप पोर्टल से डाउनलोड कर ₹0 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा तैयार किया जायेगा।)
5. गतिविधि हेतु उपलब्ध भूमि के साक्ष्य यथा-खतौनी इत्यादि।

नोट:- योजना की विस्तृत जानकारी व गाइडलाइन्स विभागीय वेबसाइट

<http://fisheries.upsdc.gov.in> तथा विभागीय वेब एप्लीकेशन <http://fymis.upsdc.gov.in> पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की भ्रांति की स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स व परियोजना इकाई लागत अंतिम होगी।

एपीडा (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) उत्तर प्रदेश में:

सी. बी. सिंह

एपीडा उत्तर प्रदेश में खेती और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। यह संगठन खेती, पशुपालन, डेयरी उत्पाद, फल-सब्जी, अनाज, और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से काम करता है।

उत्तर प्रदेश में एपीडा की मुख्य उपलब्धियां:

“कृषि-निर्यात हब के रूप में वाराणसी के विकास की पहल” (Initiative to develop Varanasi as an Agri& Export Hub by APEDA] Ministry of Commerce):

वर्ष 2019 में, [चम्क], वाणिज्य मंत्रालय ने “वाराणसी को एक कृषि-निर्यात हब के रूप में विकसित करने” की पहल उठाई: यह एक अत्यन्तमूल पहल थी, जिसमें APEDA ने खेती के पूरे सप्लाई चेन को जोड़कर नई क्षेत्र से निर्यात शुरू करने में सहायक रूप से योजनाएँ बनाई।

कई बैठकें संचालित की गईं: विभागों के साथ सीधे मिलने के लिए एक श्रृंगारिक बैठकों की श्रृंगारिक बैठकें आयोजित की गईं।

पहली परीक्षण शिपमेंट: वाराणसी से पहली परीक्षण शिपमेंट को संचालित करने के लिए, APEDA ने 01.11.2019 को वाराणसी में एक व्यापार संगठन (BSM) आयोजित किया, जिसके बाद MOU के साइनिंग का कार्यक्रम किया गया। पहली परीक्षण शिपमेंट को 20.12.2019 को फार्मर्स प्रॉड्यूस आर्गेनाइजेशन (FPO) के स्रोत से दुबई भेजा गया।

किसानों के बीच जागरूकता की कमी का पता चलना: इस संदर्भ में किसानों के बीच जागरूकता की कमी का पता चलने पर, APEDA ने उनके जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान किया।

लाइन एजेंसियों के साथ बैठकें: इसके आगे, APEDA ने लाइन एजेंसियों के साथ कई बैठकें आयोजित की, और वाराणसी से लंदन के रास्ते 23.04.2020 को 3 मीट्रिक टन ताजे सब्जियों के अद्वितीय मल्टी-मोडल निर्यात का आयोजन किया।

नई पहल: उत्तर प्रदेश से नई पहलों के रूप में:

- वाराणसी से लंदन के लिए ताजे सब्जियों का निर्यात नई दिल्ली के माध्यम से
- वाराणसी, आजमगढ़, अमरोहा, बिजनौर आदि से दुबई, लंदन में ताजा आम
- वाराणसी से कटा चावल नीतरात
- चंदौली से ऑस्ट्रेलिया में काला चावल का निर्यात

- कानपूर क्षेत्र से लंदन में जामुन
- मिर्जापुर, बलिया, लखनऊ, जालौन, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज आदि से ताजे सब्जियों का निर्यात
- मिर्जापुर (यूपी) से सेनेगल में बिना बासमती चावल का पूरा बोझ रेल रैक
- लखीमपुर (लखनऊ से) से इरान में केला निर्यात
- हाथरस से न्यूजीलैंड में भैंस का मक्खन निर्यात
- सिद्धार्थनगर और गोरखपुर से काला नमक चावल का निर्यात
- कानपूर से मूंगफली का निर्यात
- आगरा और फर्रुखाबाद से आलू का निर्यात
- बिजनौर और कानपूर से गुड़

वाराणसी के पास हवाई अड्डा था, लेकिन यह खेती उत्पादों के प्रत्यक्ष निर्यात के मामले में सक्रिय नहीं था। APEDA प्रयासों के बाद, अब LBSI वाराणसी में कृषि-निर्यात के लिए पूर्ण-मात्रांकित सक्रिय विंडो है।

- कृषि निर्यात नीति (AEP): यूपी ने कृषि निर्यात नीति की पहली शुरुआत की और यह पहली ऐसी नीति थी। इस नीति को तैयार करने में एपीडा ने तकनीकी सहायता प्रदान की और परिवहन पर 10 रुपये/किलोग्राम तक 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की।
- निर्यातकों का लाभ: अब तक, 26 निर्यातकों को लगभग 97.00 लाख रुपये का लाभ मिला है।
- क्लस्टर: एपीडा ने खेती निर्यात नीति के अंतर्गत कई क्लस्टर खोजे और पहचाने हैं, जैसे कि आम के लिए लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ; सब्जियों के लिए वाराणसी, मिर्जापुर, बाराबंकी, बलिया; डेयरी उत्पादों के लिए मथुरा; और आलू के लिए आगरा, फर्रुखाबाद।
- जीआई पंजीकरण: एपीडा वाराणसी ने कृषि उत्पादों के जीआई पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है, जिसमें बनारसी लांगड़ा आम, आदमचिनी चावल, रामनगरी भांटा, बनारसी पान पत्ता, प्रतापगढ़ी आवला, रतौल आम को जीआई टैग मिला है।
- कृषि निर्यात नीति में पहचानी गई क्लस्टर:
- आम के लिए: लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ।
- सब्जियों के लिए: वाराणसी, मिर्जापुर, बाराबंकी, बलिया।

- डेयरी उत्पादों के लिए: मथुरा।
- आलू के लिए: आगरा, फर्रुखाबाद।
- एपीडा वाराणसी ने कृषि वस्त्रों की जीआई पंजीकरण की सुविधा प्रदान की। आखिरकार, बनारसी लांगड़ा आम, आदमचिनी चावल, रामनगरी भांटा, बनारसी पान पत्ता, प्रतापगढ़ी आवला, रतौल आम को जीआई टैग मिला।
- एपीडा के वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय की मुख्य उपलब्धि:
- एपीडा ने उत्तर प्रदेश में निर्यातकों के रूप में 100 से अधिक किसान सहकारी समितियों (FPOs) को पंजीकृत किया है। इसमें से 25–30 FPOs खेती-बाड़ी के निर्यात में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
- खेती-बाड़ी के निर्यात में शामिल FPOs को लाभ हो रहा है और वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2 करोड़ करोड़ की ब्रायादी को पार कर लिया है।
- वाराणसी हवाई अड्डे से अवशोषणीय जीवनसाध्य वस्त्र का आवागमन दिन पर दिन बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान वाराणसी हवाई अड्डे ने 561 मीट्रिक टन अवशोषणीय वस्त्र का प्रबंधन किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में वाराणसी हवाई अड्डे ने केवल 157 मीट्रिक टन अवशोषणीय वस्त्र का प्रबंधन किया था। इस वृद्धि को 257 प्रतिशत के रूप में गणना जाता है।
- 2023–24 के पहले तिमाही (अप्रैल 23 से जून 23) में, एलबीएसआई हवाई अड्डे से लगभग 160 मीट्रिक टन की खेती-बाड़ी की निर्यात हुई। इस वृद्धि को 248 प्रतिशत के रूप में गणना जाता है।
- वर्तमान परिदृश्य में, खेती उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए वायुयान स्थान पूरी तरह से भरा हुआ है।

IEC/RCMC पंजीकरण के लिए दस्तावेजों की सूची (List Of Documents for IEC Registration):

- निर्देशक का नाम (Director Name)
- निर्देशक का ईमेल/मोबाइल नंबर (Director eMail/Mobile Number)
- कंपनी का प्रमाणपत्र (Company Certificate)
- कंपनी का पैन कार्ड (Company Pan)
- कंपनी का बैंक विवरण (Company Bank Details)
- कंपनी का रद्द चेक (Company Cancel Cheque)
- कार्यालय के पते का किराया समझौता (Rent Agreement of Office Address)
- निदेशक मंडल का पैन कार्ड (BODs PAN Card)
- निदेशक मंडल का आधार कार्ड (BODs Aadhaar Card)
- निदेशक मंडल का मोबाइल नंबर (BODs Mobile No.)
- निदेशक मंडल का ईमेल आईडी (BODs Email ID)

- IEC के लिए 500 रुपये का शुल्क और RCMC के लिए 5900 रुपये का शुल्क (500/00 मिम वित IEC – 5900 मिम वित RCMC)

“कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एपीडा की वित्तीय सहायता योजना (FAS)”

कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एपीडा (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता योजना (FAS) एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है, जैसे कि विपणन, विपणन, निर्यात के पैकेजिंग, बजट में सहायता, और अन्य कृषि निर्यात से संबंधित क्षेत्रों में।

इस योजना के तहत, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान किए जाते हैं, जो कृषि निर्यातकों और किसान सहकारी समितियों को उनके प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यह सहायता उन्नत प्रौद्योगिकी की अद्यतन वित्तीय संरचनाओं के साथ आती है, जिससे निर्यातकों के लिए अधिक संवेदनशील और सहयोगपूर्ण माहौल बन सकता है। एपीडा की वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत, कृषि निर्यातकों को उनके प्रयासों को मजबूती देने और उनके उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचने में मदद की जाती है, जिससे भारतीय कृषि सेक्टर का निर्यात विस्तार हो सकता है।

“निर्यात संरचना विकास” (Export Infrastructure Development):

निर्यात संरचना विकास (Export Infrastructure Development): इस कार्यक्रम के तहत, सहायता उपलब्ध होगी और इसकी शीर्षक रूप में 200 लाख रुपये की चादर के साथ 75 प्रतिशत तक होगी – सामान्य मामलों में। सरकारी संगठनों के लिए, स्वीकृत लागत के 90 प्रतिशत तक की सहायता उपलब्ध होगी, लेकिन इसकी शीर्षक रूप में 600 लाख रुपये की चादर के साथ।

गुणवत्ता विकास (Quality Development):

गुणवत्ता विकास के लिए, सहायता उपलब्ध होगी और इसकी शीर्षक रूप में 200 लाख रुपये की चादर के साथ 75 प्रतिशत तक होगी – सामान्य मामलों में। सरकारी संगठनों के लिए, स्वीकृत लागत के 90 प्रतिशत तक की सहायता उपलब्ध होगी, लेकिन इसकी शीर्षक रूप में 600 लाख रुपये की चादर के साथ।

बाजार विकास (Market Development):

इसके तहत 50 प्रतिशत या अधिकतम 3.0 लाख रुपये की मदद उपलब्ध होगी।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जनपद—बलरामपुर

क्र 0 स 0	योजना/कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत	अनुदान रूपया प्रति हे०	भौतिक लक्ष्य हे०
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना				
1	नॉन पेरिनियल टिप्सूकल्वर केला	102462	30738	175
2	नॉन पेरिनियल पपीता	61655	23121	10
3	पेरिनियल लीची	28000	8400	15
4	पेरिनियल आम विरल	25500	7650	100
5	पेरिनियल आम सघन	41000	9840	30
6	पेरिनियल अमरुद	38340	11402	10
7	पुष्प क्षेत्र विस्तार गेंदा (लघु सीमान्त)	40000	16000/10000	20
8	मसाला क्षेत्र विस्तार —प्याज, लहसुन, मिर्च	30000	12000	340
9	संकर षाकभाजी	50000	20000	195
1 0	मौन पालन	220000	88000	12
1 1	जीर्णोधार	40000	20000	15



संतोष कुमार दूबे
जिला उद्यान अधिकारी,
बलरामपुर

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

उद्यान फसल	इकाई लागत (लघुसीमान्त कृषक) प्रति हे०	अनुदान धनराशि (लघुसीमान्त कृषक) प्रति हे०	इकाई लागत (अन्य कृषक) प्रति हे०	अनुदान धनराशि (अन्य कृषक) प्रति हे०	भौतिक लक्ष्य
ड्रिप	146626	131963	146626	117301	708
मिनी सिप्र०	119454	107509	119454	95563	125
माइक्रो सिप्र०	85398	76858	85398	68318	50
पी० सिप्रकलर	27823	20867	27823	18085	500
रेनगन	43846	32885	43846	28500	239
योग					1622

अनुसूचित जाति/जनजाति विकास योजना

योजना/कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत	अनुदान रूपया प्रति हे०	भौतिक लक्ष्य हे०
संकर कद्दू वर्गीय सब्जी	37500	28125	12
संकर टमाटर	37500	28125	04
संकर शिमला मिर्च	37500	28125	02
संकर मसाला मिर्च	27000	24300	08
प्याज	27000	24300	02
गेंदा	27000	24300	02
रोज कटिंग	90000	81000	01
आई०पी०एम०	3600	3240	05

अधिक जानकारी हेतु इच्छुक कृषक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या विकासखण्ड प्रभारी बलरामपुर, तुलसीपुर एवं हरैयासतघरवा श्री रवि प्रकाश त्रिपाठी वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक मो० 8601502608 वि०ख० प्रभारी, रेहराबाजार, पचपेड़वा, गैंसड़ी एवं गैण्डासबुजुर्ग श्री सुभाष चन्द्र, सहायक उद्यान निरीक्षक, प्रभारी उत्तरोला एवं श्रीदत्तांगज श्री नारायण, सहायक उद्यान निरीक्षक मो० 9335483469 पर सम्पर्क कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी, बलरामपुर के मो० न० 9450576434 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

जिला उद्यान अधिकारी,
बलरामपुर

उद्यान विभाग, गोण्डा द्वारा जनपद के कृषकों हेतु संचालित योजनाएं

1. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (30 नॉन फूड एच.एच.एन)- अधिकतम क्षेत्रफल 4.00 हे० प्रति लाभार्थी**
नवीन उद्यान रोपण (आम, आमरुद, लीची) :- इकाई लागत का 50 प्रतिशत 03 वर्ष तक क्रमशः 60: 20: 20 प्रथम वर्ष ₹0 7650 (आम), ₹0 11502 (अमरुद), ₹0 8400 (लीची) प्रति हे० अनुदान देय है।
कैला डिब्यूकलर :- इकाई लागत ₹0 102462 का 40 प्रतिशत 02 वर्षों में प्रथम वर्ष ₹0 30738 एवं द्वितीय वर्ष ₹0 10247 प्रति हे० अनुदान देय है।
4. **पुष्प क्षेत्र विस्तार- अधिकतम क्षेत्रफल 2.00 हे० प्रति लाभार्थी**
 (अ) ग्लेडियोलस की खेती पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम ₹0 60000 लघु/सीमान्त कृषक एवं सामान्य कृषक के लिए ₹0 37500 प्रति हे० अनुदान देय है।
 (ब) गेंदा की खेती पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम ₹0 16000 लघु/सीमान्त कृषक एवं सामान्य कृषक के लिए ₹0 10000 प्रति हे० अनुदान देय है।
5. **मसाला क्षेत्र विस्तार :- अधिकतम सीमा क्षेत्रफल 2.00 हे० प्रति लाभार्थी :-**इकाई लागत ₹0 30000 का 40 प्रतिशत अधिकतम ₹0 12000 प्रति हे० अनुदान देय है।
4. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नर्सरी सीकलिंग रेथिन एन्ड प्रोडक्शन ऑफ हाई येल्ड वेजीटेबल्स):-**
शाकभाजी क्षेत्र विस्तार- अधिकतम क्षेत्रफल 0.4 हे० प्रति लाभार्थी
 संकर टमाटर, संकर फूलगोभी, संकर पातगोभी, संकर कद्दूवर्गीय, संकर शिमला मिर्च- इकाई लागत ₹0 50000 का 40 प्रतिशत अधिकतम ₹0 20000 प्रति हे० अनुदान देय है।
5. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (एर ड्राप गीर ब्लॉक- माहलीइरीगेसन) :-**
ट्रिप सिंचाई संयंत्रों की स्थापना :-
 - 1.1 अधिक दूरी वाली फसलें यथा- आम, अमरुद, पपीता।
 - 1.2 कम दूरी वाली फसलें यथा- शाकभाजी, आलू, पुष्प, गन्ना।**स्प्रिंकलर सिंचाई :-**
 - 2.1 पोर्टेबल स्प्रिंकलर।
 - 2.2 माइक्रो स्प्रिंकलर।
 - 2.3 मिनी स्प्रिंकलर।
 - 2.4 लार्ज वॉल्यूम (रेनगन)।

लाभार्थी का पथ

उपरोक्त योजनाओं का लाभ पाने हेतु कृषकों को <http://dbt.uphorticulture.in/> पर जाकर उद्यान विभाग के पोर्टल पर ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन हेतु कृषक खसरा खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकापी एवं मो० नम्बर साथ लेकर किसी भी जन सुविधा केन्द्र अथवा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय गोण्डा में करा सकते हैं। प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले लाभार्थी कृषकों को ही डी.बी.टी के माध्यम से अनुदान देय है।

(पारसनाथ)
जिला उद्यान अधिकारी
गोण्डा।
9411947378

फसल अवशेषों से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ायें और लाभ कमायें

फसल अवशेषों को खेत में मिलाने से मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। किसान के खर्च पर करीब दो हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की बचत होती है।

फसल अवशेष कमी न जलायें

फसल अवशेष जलाने से प्रदूषण फैलता है जहरीली गैसों से स्वास्थ्य हो हानि पहुँचती है।

- किसानों को फसल अवशेष एवं पंच मशीनरी यथा सुपर स्टो मैनेजमेंट सिस्टम, डेप्ली सोडर/ सुपर सोडर, पीडी स्टो चोपर, वेटर, मल्चर, अब मास्टर, कटर स्पेडर, रिवर्सबल एम बी प्लाउ, रोटरी स्लेबर, जीरो टिल सोड कम पट्टी ट्रिल खरीदने हेतु 50% तक अनुदान.
- फसल अवशेष एवं पंच मशीनरी के कन्स्ट्रक्शन एयरिंग कैंट/ फसल मशीनरी बैंक स्थापित करने हेतु 80% तक अनुदान.
- फसल अवशेषों को यथा स्थान सेट में सड़ाने के लिए वेस्ट डिमन्डोर कृषि विभाग के राजकीय कृषि बीज भण्डार पर निशुल्क उपलब्ध है.

अधिक जानकारी के लिये जनपद के उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी से सम्पर्क करें

मा० श्री बलदेव सिंह औलख
 राज्यमंत्री-कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान
 उत्तर प्रदेश

मा० श्री सूर्य प्रताप शाही
 मंत्री-कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

कृषि विभाग, जनपद- गोण्डा

अक्टूबर माह में किसान भाई क्या करें

फसलों में

डॉ. सौरभ वर्मा

विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य)

1. दांतेदार नरेन्द्र हंसिया से अगेती धान की कटाई वैहिक परिपक्वता पर करें।
2. रोग ग्रसित धान की बाली को निकाल कर झूठा कड़वा रोग का नियन्त्रण करें।
3. उपयुक्त नमी पर 20 अक्टूबर से सिंचित दशा में जौ की आजाद, के 141 लक्षण प्रजातियों की बोआई प्रारम्भ करें।
4. चने की टाइप-3, राधे के 850, काबुली, पन्त जी 144 एवं उकठा अवरोधी, मटर की टा 163, रचना मालवीय मटर 2, पन्तनगर 5, पाउडरी मिल्डूय अवरोधी एवं मसूर की टा 8, पन्त एल 406 व 234 प्रजातियों की बोआई राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद ही करें।
5. चना और मटर का 75-100 किग्रा तथा मसूर का 30-40 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर बोयें। कतार से कतार की दूरी चना में 30-35 सेमी, मटर में 30 सेमी तथा मसूर 20-25 सेमी रखें।
6. तोरिया की बोआई के 25 दिन बाद पहली सिंचाई करें तथा नत्रजन 30 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से टापड्रेसिंग करें।
7. सरसों एवं लाही में बोआई के 15-20 दिन के अन्दर विरलीकरण से आपसी दूरी 15 सेमी कर दें।

सब्जी एवं उद्यान में

डॉ. अश्वनी कुमार सिंह

विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान)

1. बसन्तकालीन टमाटर, मिर्च, बैंगन तथा मध्यम पिछेती फूलगोभी, पातगोभी, गांठगोभी जिसकी पौध सितम्बर के प्रथम पखवारे में डाले हों उसकी रोपाई कर दें।
2. सितम्बर के दूसरे पखवारे में डाली गयी पिछेती पातगोभी की पौध की रोपाई द्वितीय पखवारे में

अवश्य कर दें।

3. अगेती आलू को 10 अक्टूबर तक तथा मुख्य फसल को अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह तक बो दें।
4. आम, अमरूद, नींबू, कटहल आदि में संस्तुत उर्वरक तथा खाद का प्रयोग करें।
5. पपीता लगाने का कार्य 15 अक्टूबर तक कर दें।
6. नये बागों में निकाई-गुड़ाई सम्पन्न करें।
7. नये बागों के बीच में सहफसली खेती के लिये रबी की उपयुक्त फसलों की बोआई करें।
8. परवल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिये उन्नतशील प्रजातियां जैसे एफपी 3, एफपी 4, स्वर्णरेखा, बीबीआरपीजी 1, आईआईवी आरपीवी 105 की प्रवर्धन का उचित समय सितम्बर होता है परन्तु नदियों के किनारे दियरा भूमि पर परवल की रोपाई अक्टूबर, नवम्बर में की जाती है। परवल का प्रवर्धन मुख्य रूप से बेलों के द्वारा होता है इसको लगाते समय प्रत्येक दस मादा पौधों के बाद एक नर पौधे की बेल लगाना आवश्यक होता है।

फसल सुरक्षा

डॉ. वी. पी. चौधरी एवं डॉ. पंकज कुमार

सहायक प्राध्यापक (पादप रोग)

1. सैनिक कीट का नियन्त्रण मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत धूल 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर से करें।
2. बीज शोधन 2 ग्राम थीरम+1 ग्राम कार्बेन्डाजिम प्रति किग्रा बीज की दर से करें।
3. खरपतवार नियन्त्रण के लिये एक किग्रा वासालीन 1000 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर जमाव के पूर्व छिड़काव करें।
4. सब्जी बीज को 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम दवा को प्रति किग्रा बीज को शोधित कर बुवाई करें।
5. आम के गुच्छा रोग की रोकथाम हेतु एन ए 200 पी पी एम अर्थात् 200 मिग्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज (जी0डी0एस0) भिनगा श्रावस्ती एवं बहराइच

प्रधान कार्यालय: बी-1/59, सेक्टर-के, अलीगंज लखनऊ 226024 उ0प्र0

क्षेत्रीय कार्यालय: नई दिवानी कचेहरी गेट नं0 -3 के सामने बहराइच रोड भिनगा श्रावस्ती
क्षेत्रीय कार्यालय: मो0-डफालीपुरा, इन्दिरानगर, बहराइच

ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज एक स्वयं सेवी संस्था है इसका गठन 1993 में सोसाइटी एक्ट के तहत किया गया है। संस्था आजीविका संवर्धन एवं महिला सशक्तिकरण का काम करती रही है। जनपद श्रावस्ती में यह संस्था वर्ष 2012 से एवं बहराइच में 2018 से किसानों के लिए कृषि आधारित आजीविका पर कार्य कर रही है। जिसमें संस्था द्वारा किसानों की आजीविका हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करके किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि बिना जुताई किए गेहूं की खेती, धान की सीधी बुवाई, मचान विधि से सब्जी की खेती, जायद में मूंगफली की खेती एवं उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे कि आलू एवं प्याज की खेती हेतु किसानों को प्रेरित करना जिससे कि उनकी आजीविका सुदृढ़ हो।

संस्था कृषि आधारित आजीविका के साथ ही आपदा प्रबन्धन पर भी प्रमुखता से कार्य करती रही है ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदा व जोखिम से बचाया जा सके।

- संस्था द्वारा लेहडा एग्रो प्रोड्यूसर कं0 लि0 (एफ0 पी0 ओ0) का गठन किया गया है जिसमें 1610 किसान शेयर धारक हैं।
- संस्था ने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पॉच फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की है।
- संस्था द्वारा 60 सोलर पंप एवं 10 पालीहाउस लगवाये गये हैं।
- बहराइच एवं श्रावस्ती के 350 गाँवों में किसान खेत पाठशाला के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
- संस्था प्राकृतिक/जैविक खेती तथा फसल अवशेष प्रबन्धन पर प्रमुखता से कार्य करती है।
- महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु संस्था द्वारा ट्रेनिंग कम प्रोडक्सन सेन्टर संचालित है जिसमें सिलाई सिखाने एवं कपडे सिलने एवं बाजार में बेचने का कार्य किया जाता है।

जी0डी0एस0 द्वारा श्रावस्ती एवं बहराइच जनपद में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें टाटा ट्रस्ट, आई0टी0सी0 मिशन सुनहरा कल, हारवेस्ट प्लस, सरस्टेन प्लस, अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन, उशा इंटरनेशनल एवं सी0आर0एस0 आदि प्रमुख हैं।

वर्तमान समय में ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज श्रावस्ती जनपद के सभी विकासखण्डों में लगभग 30000 परिवारों के एवं बहराइच जनपद के 08 विकासखण्डों में 25000 परिवारों के साथ मिलकर उनकी आजीविका संवर्धन हेतु कार्य कर रही है।

सुशील कुमार द्विवेदी
कार्यकारी निदेशक
ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज

गन्ना विकास विभाग, आजमगढ़

गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

1. जिला योजना

1. **आधार पौधशाला अधिष्ठापन**— आधार पौधशाला अधिष्ठापन हेतु 25 कु बीज ही प्रति किसान दिया जायेगा। आधार पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज वितरण पौधशाला धारक को 50.00 रु० प्रति कु० की दर से अनुदान देय है।
2. **प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन**— प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन हेतु 01 कृषक को अधिकतम 50 कु आधार गन्ना बीज दिया जायेगा। प्राथमिक पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज के वितरण पर 25 रु. प्रति कु० की दर से अनुदान देय है।
3. **अभिजनक बीज यातायात**— अभिजनक गन्ना बीज (ग्रीडर/शोध/कृषक परिक्षेत्र से यातायात के हेतु रु० 15-00 प्रति कु० की दर से अनुदान देय होगा। अभिजनक बीज यातायात हेतु अधिकतम 25 कु० तक प्रति लाभार्थी प्रति कु० अनुमन्य है।
4. **आधार बीज यातायात**— कृषकों के यहाँ स्थापित आधार पौधशालाओं में उत्पादित आधार बीज से प्राथमिक पौधशालाओं की स्थापना हेतु रु० 7-30 प्रति कु० की दर यातायात अनुदान देय होगा। आधार बीज यातायात हेतु अधिकतम 50 कु० तक प्रति लाभार्थी पर अनुदान अनुमन्य होगा।
5. **बीज एवं मृमि उपचार**— बीज एवं मृमि उपचार के लिए उपयुक्त कीटनाशकों के मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु० 900/- प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा। अनुदान हेतु अधिकतम सीमा 2425 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी होगा।
6. **पेडी प्रबन्धन**— पेडी प्रबन्धन के अन्तर्गत यूरिया पेडी प्रबन्धन में यूरिया छिडकाव में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक के मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपया 900.00 प्रति हे० का अनुदान देय होगा। अनुदान हेतु अधिकतम सीमा 2425 हे० प्रति लाभार्थी होगी।
7. **बायो फर्टिलाइजर/वर्मी कम्पोस्ट**—जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 600.00 प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान देय होगा। अनुदान हेतु अधिकतम 4.425 हे० प्रति लाभार्थी होगी।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

1. **आधार पौधशाला अधिष्ठापन**— आधार पौधशाला अधिष्ठापन हेतु 25 कु बीज ही प्रति किसान दिया जायेगा। आधार पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज वितरण पौधशाला धारक को 50.00 रु० प्रति कु० की दर से अनुदान देय है।
2. **प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन**— प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन हेतु 01 कृषक को अधिकतम 50 कु आधार गन्ना बीज दिया जायेगा। प्राथमिक पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज के वितरण पर 25 रु. प्रति कु० की दर से अनुदान देय है।
3. **प्रदर्शन**—राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रदर्शन धारक को 1.00 हे० पर अनुदान की धनराशि 9000 रु० देय है।
4. **यंत्र वितरण**— राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चयनित सामान्य कृषक को यंत्र के कुल मूल्य का अधिकतम 30000.00 (तीस हजार) रूपया अथवा यंत्र खरीद मूल्य में जी.एस.टी. छोड़कर 50 प्रतिशत इनसे जो कम होगा अनुदान देय है।
5. **माइक्रोन्ट्रीएंट**—राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत माइक्रोन्ट्रीएंट मद में लाभार्थियों को लागत का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 500 रु० प्रति हे० की दर से अनुदान देय है।
6. **उत्पादकता पुरस्कार**—राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत काप कटिंग के आधार पर पौधा गन्ना एवं पेडी गन्ना में अधिक उपज प्राप्त करने वाले जनपद के कृषकों को प्रथम पुरस्कार अंकन 25000.00 रु० तथा द्वितीय पुरस्कार अंकन 15000.00 रु० दिया जाता है।
7. **किसान मेला/गोष्ठी**—राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत उत्तम तकनीकी एवं नवीन तकनीकी के प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा ब्लाक स्तरीय मेलों/गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।
8. **महिला समूह द्वारा सीडलिंग का वितरण**— गन्ना विकास विभाग द्वारा महिला समूहों का गठन कर नयी प्रजाति के सिंगल बड/बडविम से पौधे तैयार कर किसानों के मध्य वितरण किया जा रहा है। प्रति पौधा सिंगल बड से जो तैयार किया जाता है रु. 1.30 की दर से तथा बडविम से तैयार प्रति पौधा रु. 1.50 की दर से वितरणोपरान्त अनुदान की धनराशि समूहों के खाते में दिया जाता है।

04/12/2023
PCC

प्रश्न किसानों के, जवाब वैज्ञानिकों के

प्रश्न : ऊसर में कौन-कौन सी फसल ली जा सकती है और कब-कब किन-किन समयों में? (श्री राम नयन, ग्राम हरिगटनगंज, जनपद अयोध्या)

उत्तर : ऊसर भूमि में उपयुक्त सुधारकों जैसे जिप्सम अथवा पाइराइट मई-जून में प्रयुक्त करने के उपरान्त जुलाई में धान की रोपाई करनी चाहिए। धान कटने के बाद रबी में जौ अथवा गेहूं की फसल उगानी चाहिए। ऐसे में खेतों को प्रायः किसान भाई गर्मी में खाली छोड़ देते हैं जिनसे हानिकारक लवण पुनः जमीन के सतह पर जमा हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि गर्मी में भी कोई न कोई फसल ली जाये। इस प्रकार तीन वर्ष लगातार धान जौ / गेहूं ढेंचा क्रम अपनाना चाहिए।

प्रश्न : अच्छे किस्म का रबी से सम्बन्धित फसलों के बीज कहां प्राप्त करें?

(श्री अमर कीर्ति, ग्राम हलियापुर, जनपद सुल्तानपुर)

उत्तर : चना, मटर, तोरिया, सरसों तथा गेहूं का बीज आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के बीज तकनीकी विभाग तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से प्राप्त कर सकते हैं, वैसे प्रत्येक जनपद के कृषि विभाग द्वारा भी उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराया जाता है

प्रश्न : बरानी दशा में गेहूं की खेती में उर्वरक की कितनी मात्रा डालें?

(श्री भैरव शुक्ला, ग्राम खण्डासा, जनपद अयोध्या)

उत्तर : बरानी दशा में गेहूं की खेती के लिये 40:30:30 किग्रा के अनुपात में क्रमशः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। उर्वरक की यह सम्पूर्ण मात्रा बुवाई के समय कूड़ों में बीज के दो-तीन सेमी नीचे नाई / चोंगा द्वारा बेसल ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। बाली निकलने से पूर्व वर्षा हो जाने पर 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की टापड्रेसिंग लाभजनक होती है। यदि वर्षा न हो तो 2 प्रतिशत यूरिया का पर्णीय छिड़काव किया जाना फायदेमंद होगा

प्रश्न : राई सरसों के प्रमुख रोग कौन-कौन से हैं तथा उनका नियंत्रण कैसे करें?

(श्री राना सिंह, ग्राम-अमानीगंज, जनपद अयोध्या)

उत्तर : राई सरसों में लगने वाले रोगों में झुलसा, सफेद गेरुई एवं तुलासिता रोग प्रमुख हैं। झुलसा रोग होने पर मैकोजेब 2 किग्रा अथवा कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। सफेद गेरुई के नियंत्रण हेतु रीडोमिल (एम जेड 78) 2.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। तुलासिता रोग होने पर सफेद गेरुई के नियंत्रण वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए।

प्रश्न : चने में उकठा रोग लग जाता है क्या करें?

(श्री केदारनाथ सिंह, ग्राम-मुसाफिर खाना, जनपद सुल्तानपुर)

उत्तर : चने में उकठा रोग से बचाव हेतु गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने पर मृदाजनित रोगों का नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। जिन खेत में उकठा रोग अधिक लगता हो उसमें तीन-चार वर्ष तक चना की फसल नहीं लेना चाहिए। बुवाई से पूर्व बीज को 5 ग्राम ट्राइकोडरमा या 4 ग्राम ट्राइकोडरमा+1 ग्राम कार्बेन्डाजिम से शोधित कर बुवाई करना चाहिए।

प्रश्न : अण्डा उत्पादन हेतु मुर्गियों की कौन-सी नस्ल अच्छी पायी जाती है?

(श्री प्रदीप कुमार, ग्राम-जगदीशपुर, जनपद अमेठी)

उत्तर : अण्डा उत्पादन हेतु व्हाइट लेगहार्न, रोड आइसलैण्ड रेड नस्लें अच्छी पायी गयी हैं परन्तु व्यवसायिक अण्डा उत्पादन हेतु व्हाइट लेगहार्न नस्ल सबसे अच्छी पायी गयी है जो एक वर्ष में लगभग 280 से 320 अण्डे का उत्पादन करता है परन्तु अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिये इसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबन्धन करना आवश्यक है। अधिक जानकारी हेतु कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या से सम्पर्क करें।

जिला उद्यान अधिकारी, सुल्तानपुर

- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राज्य औद्योगिक मिशन)** योजना में कृषकों का पंजीकरण "आनलाइन रजिस्ट्रेशन" dbt.uphorituculture.in पर "पहले आओ पहले पाओ" अनुदान का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 सिस्टम से डी0बी0टी0 से कृषकों के आधार सीडेड खाते में/काइन्ड डी0बी0टी0 से लागू है।
- आनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक प्रपत्र व्यक्तिगत खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आई0एफ0एस0सी0 कोड व खाता संख्या स्पष्ट हो।
- आनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन पत्र, शपथ पत्र, दो फोटोग्राफ व आनलाइन रजिस्ट्रेशन में प्रयुक्त प्रपत्रों (खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक) की छायाप्रति जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में उपलब्ध करा दें।
- ❖ योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में नयीन उद्यान रोपण में केला रोपण-80 हे0, पपीता रोपण 5 हे0, आम रोपण-10 हे0, अमरुद रोपण 15 हे0, लाइम एण्ड लेमन- 4 हे0, वेल फ्रूट-4 हे0, जैक फ्रूट (कटहल)-05 हे0, स्ट्राबेरी-4 हे0, फालसा-02 हे0, शाकभाजी कार्यक्रम-150 हे0, मशाला कार्यक्रम प्याज-50 हे0 एवं पुष्प की खेती गेंदा में 25 हे0 तथा पुराने बागों का जीर्णोद्धार/कैनोपी मैनेजमेंट-4 हे0 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
प्रोजेक्ट बेस कार्यक्रम के तहत - पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, मशरूम प्रोडक्शन यूनिट, कम्पोस्ट मेंकिंग यूनिट, स्पान मेंकिंग यूनिट, प्याज भण्डार गृह, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोडरूम (स्टेगिंग), प्री0 कूलिंग यूनिट, रीफरवैन राइपनिंग चैम्बर, लोकार्ट प्रसंस्करण इकाई, प्राइमरी मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट आदि पर जिस इकाई पर दिशा-निर्देश में जो लागू है अनुदान देय है।
- कार्यक्रम में व्यय कृषक को स्वयं करना होगा तथा शासन द्वारा निर्धारित कमेटी के सत्यापनोपरान्त अनुदान लाभार्थी के बैंक खाते या लोन खाते में आनलाइन हस्तान्तरित किया जायेगा।
- ❖ **"पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन"**
- योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, रेनगन स्प्रिंकलर कृषक अपनी इच्छानुसार www.upmip.in पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर विभाग में रजिस्टर्ड कम्पनी/फर्म से अपना संयंत्र स्थापित करा सकता है। लघु सीमान्त कृषक को इकाई लागत का 90% तथा सामान्य कृषक को इकाई लागत का 80% अनुदान देय है। जी0एस0टी0 कृषक द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी द्वारा सत्यापनोपरान्त अनुदान की धनराशि का अन्तरण लाभार्थी कृषक के आधार लिंक्ड खाते व ऋण खाते में अथवा निर्माता फर्म निदेशालय स्तर से किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत कुल 1881 हे0 (ड्रिप सिंचाई - 619 हे0, मिनी स्प्रिंकलर-80 हे0, माइक्रो स्प्रिंकलर-72, पोर्टेबल स्प्रिंकलर-950 हे0, रेनगन स्प्रिंकलर - 160 हे0) का लक्ष्य प्राप्त है।
- ❖ **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.)**
- योजना के तहत जनपद में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उच्चीकरण यथा-बेकरी उद्योग, चारा उद्योग, दाल मिल, राइस मिल, दुग्ध उत्पाद, फल उत्पाद, हर्बल उद्योग, मशरूम उत्पाद, रेडी टू कुक-मैगी, नूडल्स, पास्ता, ढोकला, दलिया, सूजी आदि, सोयाबीन आधारित उत्पाद, मशाला उत्पाद, सब्जी आधारित उत्पाद, फ्लोर मिल, हनी प्रोसेसिंग, अंचार, मुरब्बा, सिरका उद्योग, मिठाई उद्योग, नमकीन उद्योग आदि खाद्य सम्बन्धित उद्योग हेतु उद्यमियों के परियोजना लागत के 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति उद्यम योजना सहायता प्रदान की जाती है। उद्यमी अपने प्रोजेक्ट pmfme पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करें। योजना में कृषकों/उद्यमियों की सहायता जनपदीय रिसोर्स पर्सन करेगा। योजनाओं में आवेदन से अनुदान भुगतान तक संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल से ही होती है।

जिला उद्यान अधिकारी
सुल्तानपुर

कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, गाजीपुर

-:प्रेस विज्ञापित:-

जनपद गाजीपुर के किसान भाइयों के लिए वर्ष 2023-24 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में पंजीकरण हेतु आफलाइन/ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल पर आमंत्रित है।

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य (हे०)	अनुदान प्रतिशत
01	टिशूकल्चर केला रोपण	45.00	इकाई लागत का 40-50 प्रतिशत अनुदान डी.बी.टी. के माध्यम से दिया जायेगा।
02	पपीता	3.00	
03	ड्रेगन फ्रूट	5.00	
04	जैक फ्रूट (कटहल)	2.00	
05	करौदा	2.00	
06	स्ट्राबेरी	5.00	
07	संकर शाकभाजी	125.00	
08	प्याज की खेती (खरीफ)	35.00	
09	संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस) बागवानी में मशीनीकरण, पैक हाउस, प्याज भण्डारण गृह, लो-कास्ट प्रीजरवेशन इकाई इत्यादि कार्यक्रम भी प्रसारित दिशा-निर्देश के अनुसार क्रियान्वित कराये जायेंगे।		

2. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना:-

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग यथा-पेठा, नमकीन (विभिन्न खाद्य पदार्थों से निर्मित), आलू प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद, टमाटर, बेकरी, मधु, फल, सब्जी प्रसंस्करण आदि से सम्बन्धित परियोजना स्थापित/उच्चीकरण की जा सकती है।

इकाई लागत का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

उपरोक्त सभी योजनाओं में अनु०जाति/जनजाति/अल्प सं०/अति पिछड़ी जाति/महिला लाभार्थी का मात्रात्मक/आरक्षण शासन के निर्देशानुसार अनुमन्य है। कृषक भाई उद्यान विभाग के पोर्टल www.dbt.uphorticulture.in पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ०प्र० लखनऊ की योजनाओं के लिये ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन उपरान्त आधार कार्ड, बैंक पास बुक, अद्यतन खतौनी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल नं० एवं पासपोर्ट साइज फोटो सहित कार्यालय में तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये। प्रसारित दिशा-निर्देशानुसार योजना का लाभ 'प्रथम आवक प्रथम पावक' के आधार पर अनुमन्य है। डी०बी०टी० के माध्यम से कार्यक्रम क्रियान्वयन में कृषकों को निवेश/सामग्री विभागीय निर्देशानुसार क्रियान्वित कराना होगा। अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में काइन्ड/डी.बी.टी. के माध्यम से ट्रांसफर की जायेगी। विशेष जानकारी के लिये कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री संजय कुमार सिंह उद्यान निरीक्षक मो०नं०-6393432897, श्री मनोज कुमार सिंह, सहायक उद्यान निरीक्षक मो०नं०-8299540872, बघाऊ लाल, सहायक उद्यान निरीक्षक मो०नं०-7355947897 एवं जिला उद्यान अधिकारी गाजीपुर मो०नं०-7985830377 पर भी सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जिला उद्यान अधिकारी
गाजीपुर

मुख्य विकास अधिकारी
गाजीपुर

जिलाधिकारी
गाजीपुर

पत्रांक 480/प्रेस विज्ञापित/उद्यान/2023-24/दिनांक 12 जुलाई, 2023

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2023-24

जनपद-संत कबीर नगर

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत औद्योगिक फसलों के अन्तर्गत उद्यान विभाग की वेबसाइट <http://dbt.uphorticulture.in> के पोर्टल पर आनलाइन पंजीकृत कृषकों को प्रथम आवक एवं प्रथम पावक के आधार पर विभागीय मानक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार डी0बी0टी0/काइण्ड डी0बी0टी0 माध्यम से अनुमन्य अनुदान दिया जाना है। इच्छुक कृषक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, संत कबीर नगर से (आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, फोटो, मोबाईल नं0) के साथ सम्पर्क कर पंजीकरण कराने के उपरान्त योजना का लाभ ले सकते हैं।

जनपद हेतु आवंटित लक्ष्य

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०/सं०में)	अनुदान प्रति (हे०/सं०)
1	केला रोपण (टीश्यू0 जी0-9)	25	40985/-
2	आम रोपण (5X5) मी०	3	16400/-
3	करौंदा	5	24000/-
4	गेंदा पुष्प	10	16000/ लघु सीमान्त कृषक
5	सं०शाकभाजी/सब्जी की खेती	125	20000/-
6	मसाला कार्यक्रम (प्याज)	50	12000/-
7	मौनपालन (सं०)	250	88000/50 मौनवंश
8	ट्रैक्टर (20 बी०एच०पी तक) सं०	4	100000/लघु सीमान्त कृषक 75000/अन्य कृषक
9	पावर टिलर 8 बी०एच०पी० से अधिक सं०	6	75000/लघु सीमान्त कृषक 60000/अन्य कृषक
10	पावर टिलर 8 बी०एच०पी० से कम सं०	3	50000/लघु सीमान्त कृषक 40000/अन्य कृषक
11	फंक्शनल पैक हाऊस (सं०)	3	200000/-

जिला उद्यान अधिकारी,
संत कबीर नगर।

मुख्य विकास अधिकारी,
संत कबीर नगर।


जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर।

कार्यालय : जिला उद्यान अधिकारी, संत कबीर नगर।

पत्रांक-653

जि०औ०मि०/प्रचार-प्रसार/2023-24/दिनांक 5 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि:-निदेशक, प्रसार, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञापन अपने पत्रिका में रु०-6000.00 (रुपये छः हजार मात्र) की सीमान्तगत प्रकाशित कराते हुए बिल दो प्रतियों में भुगतानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।


जिला उद्यान अधिकारी,
संत कबीर नगर।

Agricultural and Processed Food Export Development Authority

Head Office: 3rd Floor NCUI Building Siri Institutional Area Hauz Khas New Delhi.

Regional Office: 3rd Floor A Block TFC Badalapur Varanasi UP.

APEDA is mandated with the responsibility of export promotion and development of the following scheduled products:



- Fruits, Vegetables and their Products.
- Meat and Meat Products.
- Poultry and Poultry Products.
- Dairy Products.
- Confectionery, Biscuits and Bakery Products.
- Honey, Jaggery and Sugar Products.
- Cocoa and its products, chocolates of all kinds.
- Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages.
- Cereal and Cereal Products.
- Groundnuts, Peanuts and Walnuts.
- Pickles, Papads and Chutneys.
- Guar Gum.
- Floriculture and Floriculture Products.
- Herbal and Medicinal Plants.
- De-oiled rice bran.
- Green pepper in brine.
- Cashew Nuts and Its Products.
- Basmati Rice has been included in the Second Schedule of APEDA Act.

Financial Assistance Scheme (FAS) of APEDA for promotion of Agri Export

S.no.	Component	Benefits
1.	Export Infrastructure Development	The assistance will be upto 75% (of total DPR cost) subject to a ceiling of Rs 200 lakhs – In general The assistance will be up to 90% of the approved cost subject to a ceiling of Rs. 600 lakhs – For Govt. organisation
2.	Quality Development	The assistance will be upto 75% (of total DPR cost) subject to a ceiling of Rs 200 lakhs – In general The assistance will be up to 90% (of total DPR cost) subject to a ceiling of Rs. 600 lakhs – For Govt. organisation
3.	Market Development	In and around 50% or max Rs. 3.0 Lacs of ticket fair For detailed APEDA FAS kindly reach:

https://apeda.gov.in/apedawebsite/Announcements/FAS_Guidelines_05102021.pdf?v=1



First Ever export of fresh fruits and vegetables from Packhouse at Varanasi



Flag off of green chilly shipment by Hon'ble CM Govt of UP at Ballia

बैंक ऑफ बड़ोदा द्वारा किसान का सम्मान घर घर केसीसी अभियान

1 अक्टूबर 2023 - 31 दिसंबर 2023
#GharGharKCCAbhiyaan

- ₹1.60 लाख तक प्रतिभूति रहित ऋण ।
- ₹3 लाख तक के ऋण पर भारत सरकार से उपलब्ध ब्याज में छूट के अधीन @7% की रिफायती ब्याज दर ।
- ₹3 लाख तक के ऋण के लिए समय पर चुकौती पर साधारण ब्याज दर के साथ प्रतिवर्ष 3% का अनुदान ।
- ₹3 लाख तक के कुल ऋण के लिए शून्य प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण एवं निरीक्षण प्रभार ।
- उपरोक्त सुविधाएं ₹ 2 लाख तक के संबद्ध गतिविधि ऋण हेतु बीएचएफकेसीसी के लिए भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर केवल 3 लाख रुपये तक।

टोल फ्री नंबर पर कॉल करें (24x7): 1800 5700

www.bankofbaroda.in | हमें फॉलो करें



भरो ऊंची उड़ान, खुद के व्यवसाय के साथ मेहनत आपकी, साथ हमारा

हर साल कमाइए
10-15 लाख
रुपए तक!*

हिमांशु सिंह
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

हम बना रहे हैं बेहतर जीवन

'बैटर लाइफ़ फ़ार्मिंग' अलायंस- यह बायर, आई एफ सी (इंटरनेशनल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन), नेटाफिम, यारा, देहात और बिग बास्केट के बीच एक दीर्घकालिक साझेदारी है। इसका उद्देश्य किसानों की क्षमता को उभारने और उसे प्रदर्शित करने का अवसर उपलब्ध कराना है। उत्कृष्ट कृषि पद्धति और आधुनिक कृषि तकनीक की मदद से किसानों ने अपनी उपज में वृद्धि तथा फसल की गुणवत्ता बढ़ाकर, कृषि द्वारा अपनी आमदनी को भी बढ़ाया है।

उपलब्ध सेवाएं



बाज़ार से संपर्क

चिरस्थायी कृषि-वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ

सूचना एवं प्रशिक्षण

कृषि संबंधी उत्तम सुझाव

सिंचाई की तकनीक

एलायंस
पार्टनर्स



Bayer



International
Finance Corporation
WORLD BANK GROUP



NETAFIM™



Seminis
Grow better together



क्या आप कृषि-उद्यमी बनना चाहते हैं?

हमें ऐसे ग्रैज्युएट्स की तलाश है (खास तौर पर कृषि स्नातक), जो उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में बैटर लाइफ़ फ़ार्मिंग सेंटर स्थापित करके, इसे चलाना चाहते हैं।

*आप फसल और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर हर साल 10 से 15 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।

यदि आप स्वयं अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के साथ-साथ अन्य किसानों का जीवन भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो कृपया यहाँ सम्पर्क करें:

http://go.bayer.com/BetterLifeFarmingCenters_NB

या QR कोड स्कैन करें →

साथ ही हमें 1800-120-4049
पर भी फोन कर सकते हैं।



बैटर लाइफ़ फ़ार्मिंग संबंधी जानकारी के लिए यहां लॉग-ऑन करें: www.betterlifefarming.com